Ref No: PSB/HO/Shares Cell / 19 /2024-25 **May 7, 2024**

To,

BSE Limited, **Department of Corporate Services,** 25th floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai – 400 001. **SCRIP ID : PSB** **SCRIP CODE : 533295**	**National Stock Exchange of India Ltd.,** Exchange Plaza, C – 1, Block – G, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai – 400 051. **SYMBOL: PSB SERIES: EQ**

Dear Sir,

Reg: Notice of Extraordinary General Meeting (EGM) scheduled to be held on Friday, 31st May, 2024

Further to our intimation dated 29th April 2024, please find below the details in respect of the EGM of the shareholders of the Bank:

1	Date and Time of EGM	Friday, 31st May, 2024 at 11:00 a.m. through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM)
2	Business to be Transacted	1. Election of ONE Director from amongst the shareholders of the Bank (other than the Central Government) pursuant to the provisions of Section 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980, read with the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980 and the Punjab & Sind Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2008, Reserve Bank of India Master Directions, as amended and other applicable Directives / Guidelines issued by the Regulatory Authorities. 2. To consider and approve appointment of Sh Ravi Mehra as the Executive Director of the Bank in terms of Regulation 17(1C) of SEBI (LODR) Regulations, 2015 3. To consider and approve raising of capital up to an amount of Rs.2000 crore by way of QIP.
3	Specified / Cut-off date	**For agenda item no 1**: Friday, 03rd May, 2024 to Nominate, Contest and Vote (including remote e-voting) at the meeting **For agenda item no 2 & 3**: Thursday, 23rd May, 2024 for attendance at the meeting and voting (including remote e-voting) at the meeting.
4	Last date for submission of nominations	Thursday, 16th May 2024 by 04:00 p.m.
5	Period of Remote e-voting	From 10:00 a.m. on Monday, 27th May, 2024 to 05:00 p.m. on Thursday, 30th May, 2024

The detailed notice of the EGM is attached herewith.

Request you to take note of the same.

Yours faithfully

SAKET MEHROTRA Digitally signed by SAKET MEHROTRA Date: 2024.05.07 12:01:00 +05'30'

Punjab & Sind Bank H.O. Accounts & Audit Deptt. (Shares Cell) (शेयर कक्ष) Rajendra Place, New Delhi-8

Saket Mehrotra
Company Secretary

ੴ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫ਼ਤਹ॥

पंजाब एण्ड सिंध बैंक
Punjab & Sind Bank
ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ
पी.एस.बी (भारत सरकार का उपक्रम/A Govt. of India Undertaking)

प्रधान कार्यालय: 21, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली -110008

Head Office: 21, Rajendra Place, New Delhi – 110 008

कॉरपोरेट कार्यालय: एनबीसीसी ऑफिस कॉम्प्लेक्स, ब्लॉक 3, पूर्वी किदवई नगर, नई दिल्ली-110023

Corporate Office: NBCC Office Complex, Block 3, East Kidwai Nagar, New Delhi - 110023

असाधारण सामान्य बैठक वीडियो कॉफ्रेंसिंग (वीसी)/ अन्य श्रव्य-दृश्य साधनों (ओएवीएस) के माध्यम से

Extraordinary General Meeting through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM)

शुक्रवार, 31 मई, 2024, प्रातः 11.00 बजे

Friday, 31 May, 2024, 11.00 a.m.

पंजाब एण्ड सिंध बैंक

(भारत सरकार का उपक्रम)

प्रधान कार्यालय : 21, राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली – 110008

कॉरपोरेट कार्यालय : एनबीसीसी ऑफिस कॉम्प्लेक्स, ब्लॉक 3, पूर्वी किदवई नगर, नई दिल्ली-110023

सूचना

एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि पंजाब एण्ड सिंध बैंक के शेयरधारकों की असाधारण सामान्य बैठक, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/ अन्य श्रव्य-दृश्य साधनों (ओएवीएस) के माध्यम से **शुक्रवार, 31 मई, 2024** को प्रातः 11.00 बजे आयोजित की जाएगी जिसमें निम्नलिखित व्यवसायिक मदों पर विचार-विमर्श किया जाएगाः

मद संख्या 1 :

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (जिसे इसके बाद **'बीआर अधिनियम'** कहा गया है), राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं प्रकीर्ण उपबंध) योजना 1980 (जिसे इसके बाद "**योजना"** कहा गया है) के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 (जिसे इसके बाद "**अधिनियम"** कहा गया है) की धारा 9 (3) (i) के संबंध में और अधिनियम की धारा 19 के अनुसरण में बनाए गए पंजाब एण्ड सिंध बैंक (शेयर एवं बैठकें) विनियमन, 2008 (जिसे इसके बाद "**विनियमन"** कहा गया है), यथा संशोधित सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 (जिसे इसके बाद "**सेबी सूचीबद्धता विनियम"** कहा गया है) तथा आरबीआई परिपत्र संख्या डीबीआर.नियुक्ति.बीसी.सं.39/29.39.001/2016-17 दिनांकित 24.11.2016 व आगे उसमें किसी संशोधन के साथ पठित भारिबैं/बैंविवि/2019-20/71 मास्टर निदेश बैंविवि.नियु.सं .9/29.67.001/ 2019-20 दिनांकित 02.08.2019 के माध्यम से जारी भारतीय रिज़र्व बैंक (सरकारी क्षेत्र के बैंकों के बोर्ड पर निर्वाचित निदेशकों के लिए 'उचित और उपयुक्त' मानदंड) निर्देश, 2019 (जिसे इसके बाद '**आरबीआई निर्देश'** कहा गया है) तथा 25.03.2015 व 08.07.2016 को सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के गैर-सरकारी निदेशक के रूप में विचार करने के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के साथ पठित भारत सरकार की अधिसूचना संख्या एफ.नं. **16/83/2013**-बीओ. I दिनांकित 03.09.2013, एफ.नं. 16/51/2012-बीओ. I दिनांकित 28.04.2015 व दिनांकित 20.07.2016 तथा इसमें किए गए किसी संशोधन (जिसे इसके बाद "**भारत सरकार के दिशानिर्देशों"** के रूप में सदर्भित किया गया है**)** की शर्तों के अनुसार, केंद्रीय सरकार के अतिरिक्त बैंक के शेयरधारकों में से, जिनके वैध नामांकन प्राप्त हुए हैं, एक निदेशक का चुनाव करना तथा निम्नांकित संकल्प को पारित करना:

यह संकल्प पारित किया जाता है कि बीआर अधिनियम के साथ पठित अधिनियम की धारा 9 (3) (i), उसके अंतर्गत निर्मित योजना, विनियमों, आरबीआई निर्देशों तथा भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसरण में केंद्रीय सरकार के अतिरिक्त शेयरधारकों में से निर्वाचित निदेशक को एतदद्वारा चुनाव परिणाम की घोषणा के अगले दिवस से बैंक के निदेशक के रूप में पद ग्रहण करने के लिए नियुक्त किया जाता है और इस प्रकार पदधारण करने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि पूर्ण होने तक अपने पद पर बने रहेंगे/ रहेंगी।

चुनाव होने पर, उपरोक्त संकल्प को सेबी सूचीबद्धता विनियम के विनियमन 25 (2A) के प्रावधानों के अतर्गत भी पारित माना जाएगा।

मद संख्या 2 :

निम्नलिखित संकल्प पर एक सामान्य संकल्प के रूप में विचार करना तथा उचित पाए जाने पर उसे पारित करना :

यह संकल्प पारित किया जाता है कि समय-समय पर यथा संशोधित सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 17 (1C) के अनुसरण में वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एफ. नं. 4/1(v)/2023-बी.ओ. I दिनांकित 09.10.2023 के माध्यम से बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 9 की उप धारा (3) के खंड (a) के अंतर्गत कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि अथवा आगामी आदेश तक, जो भी पहले हो, बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में श्री रवि मेहरा की नियुक्ति को एतदद्वारा अनुमोदित किया जाए।

मद संख्या 3 :

अर्हताप्राप्त संस्थागत नियोजन/स्थानन के माध्यम से कुल राशि ₹ 2000 करोड़ (प्रीमियम सहित) की प्रत्येक ₹10/- (मात्र दस रुपये) अंकित मूल्य के नए इक्विटी शेयर जो लाभांश भुगतान सहित एक या एकाधिक श्रृंखलाओं में, इस प्रकार के मूल्य या मूल्यों पर और बोर्ड/ समिति द्वारा अपने पूर्ण विवेकाधिकार में निर्धारित और विचार किए जाने अनुसार निबंधन और शर्तों पर बैंक के विद्यमान इक्विटी शेयरों के साथ समस्त उद्देश्यों के लिए और समस्त प्रकार से समान श्रेणी के होंगे, के सृजन, प्रस्ताव, निर्गम तथा आबंटन हेतु शेयरधारकों का अनुमोदन प्राप्त करना तथा उपयुक्त पाए जाने पर निम्नलिखित को विशेष संकल्प (ओं) के रूप में पारित करना :

"**यह संकल्प किया जाता है कि** बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 (यहाँ "**अधिनियम**" के रूप में संदर्भित), बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (यहाँ "**बैंककारी अधिनियम**" के रूप में संदर्भित), पंजाब एण्ड सिंध बैंक (शेयर एवं बैठकें)

विनियमन, 2008 (यहाँ "**विनियमन**" के रूप में संदर्भित), यथा संशोधित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2018 [यहाँ "**सेबी (आईसीडीआर) विनियम**" के रूप में संदर्भित] के अनुसरण में तथा भारत सरकार (जीओआई), भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई), भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) और/अथवा किसी अन्य सक्षम प्राधिकरण द्वारा जारी प्रयोज्य नियम, विनियम, दिशानिर्देश, परिपत्र और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा किसी अन्य प्रयोज्य विधि, नियम या विनियमन (तत्समय प्रवृत्त किसी भी संशोधन या उसके पुन: अधिनियमन सहित), शेयर बाज़ारों जहाँ बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, के साथ बैंक द्वारा किए गए सूचीयन करार, सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम 2015 [यहाँ "**सेबी (एलओडीआर)**" के रूप में संदर्भित], किसी अन्य संबंधित प्राधिकरणों के किसी अनुमोदन, सम्मति, अनुमति या स्वीकृति और इस प्रकार के अनुमोदन, सम्मति, अनुमति या स्वीकृति प्रदान करते समय उनमें से किसी के द्वारा निर्धारित किए जा सकने वाले इस प्रकार के निबंधन, शर्तें और संशोधन तथा जिनके लिए बैंक के निदेशक मंडल (यहाँ '**बोर्ड**' के रूप में संदर्भित है जिसमें बोर्ड द्वारा गठित कोई भी समिति सम्मिलित होगी) द्वारा सहमति दी जा सकती है, के अधीन ऐसे समय या समय पर, इस प्रकार की शिष्टता में प्रीमियम सहित ऐसे मूल्य पर और विद्यमान बाज़ार स्थितियों एवं अन्य प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए निवेशकों जिन्हें प्रस्ताव, निर्गम व आबंटन किया जाता है, की श्रेणियों को निर्धारित करने के विवेकाधिकार सहित और यथावश्यक अग्रणी प्रबंधक (ओं) और/ या हामीदार (ओं) और/ या अन्य परामर्शदाता (ओं) जैसा कि बोर्ड अपने पूर्ण विवेकाधिकार में उचित व उपयुक्त समझे, के परामर्श से ऐसे निबंधन व शर्तों पर जो बोर्ड द्वारा अपने पूर्ण विवेक के अनुसार उचित व उपयुक्त समझा जा सकता है, एतदद्वारा बोर्ड को आईसीडीआर विनियमों के अध्याय VI के अंतर्गत अर्हताप्राप्त संस्थागत नियोजन/स्थानन चाहे वे बैंक के शेयरधारक हों अथवा नहीं, जैसा भारत सरकार/ आरबीआई द्वारा अनुमोदित किया जा सकता है और जैसा बोर्ड द्वारा अपने विवेकाधिकार में निर्धारित किया जा सकता है और प्रयोज्य विधि एवं विनियमों के अंतर्गत अनुमत है, के माध्यम से ₹2000 करोड़ (दो हजार करोड़ मात्र) की कुल राशि के सृजन, प्रस्ताव, निर्गम और आबंटन करने की सहमति प्रदान की जाती है।"

"आगे यह संकल्प पारित किया जाता है कि जारी किए गए इक्विटी शेयर, लाभांश सहित बैंक के विद्यमान शेयरों के समकक्ष होंगे।"

"आगे यह संकल्प पारित किया गया कि आईसीडीआर विनियमों के अध्याय VI के अनुसरण में अर्हताप्राप्त संस्थागत स्थानन के प्रकरण में:

a) प्रतिभूतियों का आबंटन, आईसीडीआर विनियम के अध्याय VI के तात्पर्य अनुसार केवल अर्हता प्राप्त संस्थागत खरीददारों को ही किया जाएगा, इस प्रकार की प्रतिभूतियों का पूर्ण भुगतान किया जाएगा और ऐसी प्रतिभूतियों का आबंटन इस संकल्प की तिथि से 12 माह के भीतर पूरा किया जाएगा।
b) आईसीडीआर विनियम 176 (1) के अनुसरण में बैंक को विनियम के अनुसार निर्धारत आधार मूल्य पर अधिकतम पाँच प्रतिशत तक के बट्टे पर शेयर देने का प्राधिकार दिया गया है।
c) प्रतिभूतियों के आधार मूल्य के निर्धारण की प्रासंगिक तिथि, आईसीडीआर विनियमन के अनुसार होगी।"

"**आगे संकल्प किया जाता है कि** उक्त संकल्प को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से एतदद्वारा बोर्ड को प्राधिकृत किया जाता है कि वह ऐसे सभी कृत्यों, कार्यों, मामलें और विषय को संपादित करे जिसमें इसके पूर्ण विवेकाधिकार अनुसार मसौदे को अंतिम रूप देने एवं अनुमोदन के साथ-साथ इक्विटी शेयर जारी व आबंटित किए जाने वाले निवेशकों के वर्ग, आबंटित किए जाने वाले इक्विटी शेयरों की संख्या, निर्गम मूल्य, निर्गम पर प्रीमियम राशि सहित निर्गम के प्रपत्र व शिष्टता को निर्धारित करने वाले अंतिम प्रस्ताव दस्तावेज़ सम्मिलित हैं लेकिन केवल इन तक सीमित नहीं है तथा शेयरों के निर्गम, प्रस्ताव या आबंटन और निर्गम आगम की उपयोगिता से अविर्भूत हो सकने वाले समस्त प्रश्नों, समस्याओं या संदेह का निपटान करे जैसा वे अपने पूर्ण विवेकाधिकार में उचित समझे और ऐसा करने के लिए उन्हें सदस्यों की किसी और सहमति या अनुमोदन या अन्यथा की आवश्यकता नहीं होगी तथा यह समझा जाएगा कि अंतिम रूप देने के प्रयोजन व आशय से सदस्यों ने इस संकल्प के प्राधिकार द्वारा स्पष्ट रूप से अपनी सहमति दी है।"

"**आगे संकल्प किया जाता है कि** एतदद्वारा बोर्ड को यथाआवश्यक अग्रणी प्रबंधक, विधिक सलाहकार, हामीदार, बैंकर्स, परामर्शदाता और ऐसी समस्त एजेंसियां जो इक्विटी शेयरों के इस प्रकार के प्रस्ताव में अंतर्निहित या संबद्ध हो सकते हैं, को संलग्न/नियुक्त करने तथा आढ़त, दलाली, शुल्क या इसी प्रकार के माध्यम से उन्हें पारिश्रमिक देने तथा ऐसी एजेंसियों के साथ इस प्रकार की समस्त व्यवस्थाओं, करारों, ज्ञापन, दस्तावेजों इत्यादि में सम्मिलित होने और उन्हें निष्पादित करने तथा शेयर बाज़ारों जहाँ बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध है, पर निर्गमित इक्विटी शेयरों की सूचीबद्धता प्राप्त करने के लिए अधिकृत किया जाता है।"

"आगे संकल्प किया जाता है कि उपरोक्त संकल्प को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से बोर्ड को एतदद्वारा निदेशकों की समिति/ प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी/ कार्यकारी निदेशक (ओं)/ कंपनी सचिव/ बोर्ड द्वारा प्राधिकृत अन्य व्यक्ति को अपने समस्त या किसी भी अधिकार के प्रत्यायोजन के लिए निदेशकों की समिति बनाने के लिए अधिकृत किया जाता है तथा बोर्ड, अपने द्वारा उपयुक्त व उचित माने जाने पर इस प्रकार की कार्रवाई करने और इस प्रकार के समस्त कृत्यों, कार्यों, मामलों, विषय को संपादित करने एवं किसी परिवर्तन (ओं) या संशोधन (ओं) को स्वीकार करने और इक्विटी शेयरों के निर्गमन व आबंटन के संबंध में अविर्भूत हो सकने वाले प्रश्न या समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक निर्देश देने के लिए अधिकृत हैं। इसके अंतर्गत निम्नलिखित शामिल हैं लेकिन केवल इन्हीं तक सिमित नही हैं :

i) मसौदे /अंतिम प्रस्ताव दस्तावेजों का अनुमोदन करना और यथा आवश्यक हो सकने वाले किसी अन्य प्राधिकरण या व्यक्तियों के पास उनका संचिकायन करना।

ii) निर्गम मूल्य, आबंटित किए जाने वाले इक्विटी शेयरों की संख्या, आबंटन का आधार और इक्विटी शेयरों के आबंटन का अनुमोदन करना।

iii) इक्विटी शेयरों के निर्गमन के संबंध में आवश्यक या वांछनीय समस्त अनुबंधों, करारों और अन्य दस्तावेजों, विलेखों एवं लिखतों की व्यवस्था, प्रतिपादन व निष्पादन करना।

iv) प्रस्ताव के लिए आवश्यक इस प्रकार के बैंक खाते खोलना।

v) इस प्रकार के समस्त कृत्यों, कार्यों, मामलों और विषय को संपादित करना तथा इस प्रकार के समस्त अन्य दस्तावेज़ों का निष्पादन और इस प्रकार के समस्त शुल्क का भुगतान करना जो इनके पूर्ण विवेकाधिकार में संव्यवहार के उद्देश्य के लिए आवश्यक या वांछनीय हो।

vi) उपयुक्त प्राधिकारियों के पास इस प्रकार के समस्त आवश्यक आवेदन करना और इस संबंध में आवश्यक नियामक संचिकायन करना।

vii) शेयर बाज़ार (ओं) जहाँ बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, पर बैंक के इक्विटी शेयर की सूचीबद्धता के लिए आवेदन करना।"

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा
कृते पंजाब एण्ड सिंध बैंक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 07 मई, 2024

साकेत मेहरोत्रा
कंपनी सचिव

टिप्पणियां:

1. **विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से असाधारण सामान्य बैठक**
एमसीए (कारपोरेट कार्य मंत्रालय) ने मई 2020 से जारी विभिन्न परिपत्रों के माध्यम से, परिपत्र संख्या 02/2022 दिनांकित 05.05.2022 तथा परिपत्र संख्या 09/2023 दिनांकित 25.09.2023 के अनुसरण में 30 सितंबर 2024 तक कंपनियों को वीसी/ओएवीएम के माध्यम से अपनी ईजीएम के आयोजन की अनुमति दी है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने भी एमसीए द्वारा जारी उपरोक्त परिपत्रों के अनुरूप, 06 अक्टूबर 2023 के अपने परिपत्र के माध्यम से सूचीबद्ध संस्थाओं को छूट दी है।

   उक्त प्रावधानों के अनुपालन में, बैंक की असाधारण सामान्य बैठक का आयोजन विडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) के माध्यम किया जा रहा है जिसमें सदस्यों को एक सामान्य स्थान पर शारीरिक रूप से उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है। ईजीएम के लिए मानित स्थान बैंक का प्रधान कार्यालय होगा। पंजाब एण्ड सिंध बैंक (शेयर व बैठकें) विनिमय, 2008 के विनियम 58 के अंतर्गत वीसी/ओएवीएम के माध्यम से ईजीएम में भाग लेने वाले शेयरधारकों की गणना, गणपूर्ति में शामिल करने के उद्देश्य से की जाएगी। जैसा कि वीसी/ओएवीएम के माध्यम से ईजीएम का आयोजन किया जाएगा, सचिवालय मानक 2 के अंतर्गत आवश्यक मानचित्र इस नोटिस के साथ संलग्न नहीं है।

2. **मताधिकार:** यथा संशोधित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 के खंड 3 (2ई) की शर्तों के अनुसार केंद्रीय सरकार के अतिरिक्त बैंक का कोई भी शेयरधारक मताधिकार के समय बैंक के समस्त शेयरधारकों के कुल मताधिकारों के दस प्रतिशत से अधिक मताधिकारों का प्रयोग, अपने द्वारा धारित शेयरों के संबंध में नहीं करेगा।

   यदि कोई शेयर दो या दो से अधिक व्यक्तियों के नाम पर है तो मतदान के संबंध में रजिस्टर में प्रथम नामित व्यक्ति को उसका एकमात्र धारक माना जाएगा।

   यथा संशोधित कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 की शर्तों के अनुसार, बैठक में भाग लेने व मतदान करने के लिए पात्र शेयरधारक, इलेक्टॉनिक साधनों के माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं।

3. **परोक्षी की नियुक्ति:** बैठक में भाग लेने और मतदान के लिए पात्र शेयर-धारक अपने स्थान पर बैठक में भाग लेने एवं मत देने के लिए परोक्षी की नियुक्ति करने हेतु पात्र होगें/होगीं तथा इस प्रकार के परोक्षी को बैंक का शेयरधारक होना अनिवार्य नहीं है। हालांकि वीसी/ओएवीएम के माध्यम से ईजीएम के आयोजन के लिए पूर्वोक्त छूटों के अनुसार, शेयरधारकों की भौतिक उपस्थिति को अनावश्यक बनाया गया है। तदनुसार, शेयरधारकों द्वारा प्रॉक्सी की नियुक्ति के लिए सुविधा इस ईजीएम के लिए उपलब्ध नहीं है तथा प्रॉक्सी फॉर्म व उपस्थिति पर्ची इस नोटिस के साथ संलग्न नहीं हैं।

4. **प्राधिकृत प्रतिनिधि (यों) की नियुक्ति:** कोई भी व्यक्ति किसी निगमित निकाय के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बैठक में भाग लेने तथा/या ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कंपनी/इकाई के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में उसे नियुक्त करने के संकल्प की प्रमाणित सत्यप्रति बैठक की तारीख से 4 दिन पूर्व अर्थात् **रविवार 26 मई 2024 को अपराह्न 05:00 बजे या इससे पूर्व** कंपनी सचिव को बैंक के कारपोरेट कार्यालय, पंजाब एंड सिंध बैंक, एनबीसीसी कार्यालय, प्रथम तल, ब्लॉक 3, पूर्वी किदवई नगर, नई दिल्ली-110023 में जमा नहीं की जाती है या संवीक्षक को scrutinizer@snaco.net पर मेल द्वारा नहीं भेजा जाता है जिसकी प्रतिलिपि complianceofficer@psb.co.in को भेजना है।

   बैंक का कोई भी अधिकारी या कर्मचारी, शेयरधारक के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त नहीं होगा।

5. डाउनलोडिंग के लिए बैठक की सूचना बैंक के वेबसाइट अर्थात् https://punjabandsindbank.co.in/ (निवेशक सूचना पृष्ठ), बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com पर तथा नैशनल स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की वेबसाइट www.nseindia.com पर उपलब्ध है।

6. **व्याख्यात्मक विवरण**
बैठक की मदों के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्यों को समायोजित करता हुआ व्याख्यात्मक विवरण इसके साथ संलग्न है और यह नोटिस का भाग है।

7. **शेयर अंतरण एजेंट से संचारः** भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सभी संचार प्राप्त करने के लिए अपने ई-मेल पते, डाक पते, बैंक विवरण इत्यादि में हुए परिवर्तनों/अद्यतन (यदि हो) की सूचना बैंक के शेयर अंतरण एजेंट को निम्नलिखित पते पर दें-

   लिंक इनटाइम इंडिया प्रा.लि.
   यूनिट: पंजाब एण्ड सिंध बैंक
   नोबल हाइट्स, प्रथम तल, प्लॉट संख्या एनएच 2, एलएससी, सी-1 ब्लॉक
   नियर सावित्री मार्किट, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058

फोन: +91 11 4141 0592, 93, 94 फैक्स: +91 11 4141 0591
ई-मेल: delhi@linkintime.co.in

अमूर्त रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सभी संचार प्राप्त करने के लिए ई-मेल पते, डाक पते, बैंक विवरण इत्यादि में हुए परिवर्तनों/अद्यतन (यदि है) की सूचना अपने डिपॉजिटरी सहभागियों को दें।

8. इलेक्ट्रॉनिक साधनों से मतदान

I. एमसीए परिपत्रों के साथ पठित सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन 2015 के विनियम 44, शेयर बाजारों के साथ सूचीयन करार तथा यथा संशोधित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के अंतर्गत प्रावधानों के अनुसरण में, बैंक सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड (सीडीएसएल) द्वारा उपलब्ध कराए गए ई-वोटिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक साधनों (दूरस्थ ई-वोटिंग व ईजीएम के दौरान ई-वोटिंग) द्वारा ईजीएम में मदों के संबंध में अपने शेयरधारकों को उनके मताधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान करते हुए प्रसन्न है।

II. **निर्दिष्ट तिथि / कट-ऑफ तिथि:** बैंक ने निम्नलिखित निर्दिष्ट तिथियां / कट-ऑफ तिथियां तय की हैं-

एजेंडा नंबर 1 के लिए: चुनाव में भाग लेने के पात्र शेयरधारकों का निर्धारण करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के अलावा बैंक के शेयरधारकों में से किसी एक निदेशक के चुनाव में नामांकन करने, चुनाव लड़ने के लिए जैसा कि सूचना में बताया गया है **शुक्रवार, 03 मई 2024** को निर्दिष्ट / कट-ऑफ तिथि के रूप में तय किया गया है।

एजेंडा नंबर 2 और 3 के लिए: बैठक में उपस्थिति और मतदान के लिए गुरुवार, 23 मई 2024 को निर्दिष्ट / कट-ऑफ तिथि के रूप में तय किया गया है।

III. वे शेयरधारक, जो वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से ईजीएम में उपस्थित रहेंगे तथा दूरस्थ ई-मतदान के माध्यम से चुनाव में मतदान नहीं किया है, ईजीएम के दौरान ई-मतदान प्रणाली के माध्यम से मतदान के पात्र होंगे।

IV. जिन शेयरधारकों ने बैठक से पूर्व दूरस्थ ई-मतदान द्वारा अपना मतदान कर दिया है, वे भी वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बैठक में भाग ले सकते हैं लेकिन पुनः अपना मतदान करने के लिए पात्र नहीं होंगे।

V. सदस्य, नोटिस में उल्लिखित प्रक्रियाओं का अनुसरण करके बैठक प्रारंभ होने के 15 मिनट पूर्व तथा निर्धारित समय पश्चात वीसी/ओएवीएम माध्यम में ईजीएम में भाग ले सकते हैं। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से ईजीएम में भाग लेने की सुविधा न्यूनतम 1000 सदस्यों को पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें वृहत शेयरधारक (2 प्रतिशत या उससे अधिक हिस्सेदारी वाले शेयरधारक), प्रवर्तक, संस्थागत निवेशक, निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक, लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति तथा हितधारक संबंध समिति, लेखापरीक्षक इत्यादि शामिल नहीं होंगे जिन्हें पहले आओ-पहले पाओ के प्रतिबंध के बिना ईजीएम में भाग लेने की अनुमति है।

VI. **ई-वोटिंग और आभासी बैठक में शामिल होने के लिए शेयरधारकों के निर्देश इस प्रकार हैं:-**

चरण 1: अभौतिक (डीमैट) रूप में शेयर रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के मामले में डिपॉजिटरी सीडीएसएल/एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से पहुंच।

चरण 2: भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों और अभौतिक (डीमैट) रूप में गैर-व्यक्तिगत शेयरधारकों के मामले में सीडीएसएल ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से पहुंच।

(i) **सोमवार, 27 मई, 2024 को प्रात: 10.00 बजे** से दूरस्थ ई-मतदान प्रारंभ होगी तथा **गुरुवार, 30 मई, 2024 को अपराह्न 05.00 बजे** समाप्त हो जाएगी। उसके बाद वोटिंग के लिए सीएसडीएल द्वारा दूरस्थ ई-मतदान मॉड्यूल बंद कर दी जाएगी। इस अवधि के दौरान बैंक के शेयरधारक जिनके पास विनिर्दिष्ट तिथि/ कट-ऑफ तिथि को शेयर मूर्त अथवा अमूर्त रूप में हैं, अपना मतदान ईलेक्ट्रॉनिक रूप से कर सकते हैं।

(ii) सेबी परिपत्र संख्या **SEBI/HO/CFD/CMD/CIR/P/2020/242 दिनांकित 09.12.2020** के अनुसार, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियमन 44 के तहत, सूचीबद्ध संस्थाओं द्वारा सभी शेयरधारकों के संकल्पों के संबंध में, अपने शेयरधारकों को दूरस्थ ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करना आवश्यक है। हालांकि, यह देखा गया है कि सार्वजनिक गैर-संस्थागत शेयरधारकों/खुदरा शेयरधारकों की भागीदारी नगण्य स्तर पर है।

वर्तमान में, भारत में सूचीबद्ध संस्थाओं को ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने वाले कई ई-वोटिंग सेवा प्रदाता (ईएसपी) हैं। इसके लिए विभिन्न ईएसपी पर पंजीकरण और शेयरधारकों द्वारा एकाधिक उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड के रखरखाव की आवश्यकता होती है।

मतदान प्रक्रिया की दक्षता बढ़ाने के लिए, सार्वजनिक परामर्श के अनुसार, **सभी अभौतिक (डीमैट) खाताधारकों के लिए उनके अभौतिक (डीमैट) खातों/डिपॉजिटरी/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों की वेबसाइटों के माध्यम से एकल लॉगइन क्रेडेंशियल के माध्यम से ई-वोटिंग सक्षम करने का निर्णय लिया गया है।** अभौतिक (डीमैट) खाताधारक ईएसपी के साथ दोबारा पंजीकरण कराए बिना अपना वोट डालने में सक्षम होंगे, जिससे न केवल निर्बाध प्रमाणीकरण की सुविधा मिलेगी बल्कि ई-वोटिंग प्रक्रिया में भाग लेने के लिए आसानी होगी और सुविधा भी बढ़ेगी।

चरण 1: अभौतिक (डीमैट) रूप में शेयर रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के मामले में डिपॉजिटरी सीडीएसएल/एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से पहुंच।

(iii) **सेबी परिपत्र संख्या SEBI/HO/CFD/CMD/CIR/P/2020/242 दिनांकित 9 दिसंबर, 2020** के संदर्भ में, सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदान की गई ई-वोटिंग सुविधा पर अभौतिक (डीमैट) रूप में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों को डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ बनाए गए अपने अभौतिक (डीमैट) खाते के माध्यम से वोट करने की अनुमति है। शेयरधारकों को सलाह दी जाती है कि वे ई-वोटिंग सुविधा तक पहुंचने के लिए अपने अभौतिक (डीमैट) खातों में अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अद्यतित करें।

उपरोक्त सेबी परिपत्र के अनुसार, **अभौतिक (डीमैट) रूप सीडीएसएल/एनएसडीएल (CDSL/NSDL) में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए** ई-वोटिंग और आभासी बैठक में शामिल होने के लिए लॉगइन विधि नीचे दी गई है-

शेयरधारकों के प्रकार	**लॉग-इन विधि**
सीडीएसएल (CDSL) डिपॉजिटरी के साथ अभौतिक (डीमैट) रूप में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	1) जिन उपयोगकर्ताओं ने सीडीएसएल ईजी/इजीएस्ट (Easi/Easiest) सुविधा का विकल्प चुना है, वे अपने मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड के माध्यम से लॉगइन कर सकते हैं। बिना किसी प्रमाणीकरण के ई-वोटिंग पृष्ठ तक पहुंचने का विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा। ईजी/इजीएस्ट में लॉगइन करने के लिए उपयोगकर्ताओं से अनुरोध है कि वे सीडीएसएल की वेबसाइट www.cdslindia.com पर जाएं और लॉगइन आइकन और New System Myeasi टैब पर क्लिक करें। 2) सफल लॉगइन के बाद ईजी/इजीएस्ट उपयोगकर्ता उन पात्र कंपनियों के लिए ई-वोटिंग विकल्प देख सकेगा जहां कंपनी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार ई-वोटिंग जारी है। ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करने पर, उपयोगकर्ता दूरस्थ ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने या मीटिंग के दौरान आभासी बैठक (वर्चुअल मीटिंग) और वोटिंग में शामिल होने के लिए ई-वोटिंग सेवा प्रदाता का ई-वोटिंग पेज देख पाएंगे। इसके अतिरिक्त, सभी ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं के सिस्टम तक पहुंचने के लिए लिंक भी उपलब्ध कराया गया है, ताकि उपयोगकर्ता सीधे ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं की वेबसाइट पर जा सकें। 3) यदि उपयोगकर्ता ईजी/इजीएस्ट के लिए पंजीकृत नहीं है, तो पंजीकरण करने का विकल्प सीडीएसएल वेबसाइट www.cdslindia.com पर उपलब्ध है और लॉगइन और New System Myeasi टैब पर क्लिक करें और फिर पंजीकरण विकल्प पर क्लिक करें। वैकल्पिक रूप से, उपयोगकर्ता www.cdslindia.com होम पेज पर उपलब्ध ई-वोटिंग लिंक से डीमैट खाता संख्या और पैन नंबर प्रदान करके सीधे ई-वोटिंग पेज तक पहुंच सकता है। सिस्टम डीमैट खाते में दर्ज अनुसार पंजीकृत मोबाइल और ईमेल पर ओटीपी भेजकर उपयोगकर्ता को प्रमाणित करेगा। सफल प्रमाणीकरण के बाद, उपयोगकर्ता ई-वोटिंग विकल्प देख सकेगा जहां ई-वोटिंग चल रही है और वह सभी ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं के सिस्टम तक सीधे पहुंच भी सकेगा।
एनएसडीएल (NSDL) डिपॉजिटरी के साथ अभौतिक (डीमैट) रूप में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	1) यदि आप पहले से ही NSDL IDeAS सुविधा के लिए पंजीकृत हैं, तो कृपया एनएसडीएल की ई-सेवा वेबसाइट पर जाएं। निम्नलिखित URL टाइप करके या तो पर्सनल कंप्यूटर पर या मोबाइल पर वेब ब्राउज़र https://eservices.nsdl.com खोलें। एक बार ई-सेवाओं का होम पेज प्रारंभ होने के बाद, "Login" के तहत "Beneficial Owner" आइकन पर क्लिक करें जो ' 'IDeAS' अनुभाग के तहत उपलब्ध है। एक नई स्क्रीन खुलेगी। आपको अपना यूजर आईडी और पासवर्ड दर्ज करना होगा। सफल प्रमाणीकरण के बाद, आप ई-वोटिंग सेवाएं देख पाएंगे। ई-वोटिंग सेवाओं के अंतर्गत "Access to e-Voting" पर क्लिक करें और आप ई-वोटिंग पृष्ठ देख पाएंगे। कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें और आपको दूरस्थ ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने या मीटिंग के दौरान वर्चुअल मीटिंग और वोटिंग में शामिल होने के लिए ई-वोटिंग सेवा प्रदाता वेबसाइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा। 2) यदि उपयोगकर्ता IDeAS ई-सेवाओं के लिए पंजीकृत नहीं है, तो पंजीकरण करने का विकल्प https://eservices.nsdl.com पर उपलब्ध है। पंजीकरण के लिए "Register Online for IDeAS" पोर्टल का चयन करें अथवा https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp पर क्लिक करें। 3) एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जाएं। निम्नलिखित URL टाइप करके या तो पर्सनल कंप्यूटर पर या मोबाइल पर वेब ब्राउज़र https://www.evoting.nsdl.com/ खोलें। एक बार ई-वोटिंग प्रणाली का होम पेज प्रारंभ होने के बाद, "Login" आइकन पर क्लिक करें जो 'Shareholder/Member' अनुभाग के अंतर्गत उपलब्ध है। एक नई स्क्रीन खुलेगी। आपको अपनी उपयोगकर्ता आईडी (यानी एनएसडीएल के साथ आपका सोलह अंकों का डीमैट खाता संख्या), पासवर्ड/ओटीपी और एक सत्यापन कोड दर्ज करना होगा जैसा कि स्क्रीन पर दिखाया गया है। सफल प्रमाणीकरण के बाद, आपको एनएसडीएल डिपॉजिटरी साइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा जहां आप ई-वोटिंग पृष्ठ देख सकते हैं। कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर

	क्लिक करें और आपको दूरस्थ ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने या मीटिंग के दौरान वर्चुअल मीटिंग और वोटिंग में शामिल होने के लिए ई-वोटिंग सेवा प्रदाता वेबसाइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा।

महत्वपूर्ण नोट : जो सदस्य यूजर आईडी/ पासवर्ड प्राप्त करने में असमर्थ हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे उपर्युक्त वेबसाइट पर उपलब्ध फॉरगेट यूजर आईडी और फॉरगेट पासवर्ड विकल्प का उपयोग करें।

निक्षेपागार अर्थात सीडीएसएल और एनएसडीएल के माध्यम से लॉगिन से संबंधित किसी भी तकनीकी समस्या के लिए डीमैट रूप में प्रतिभूतियां रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारकों के लिए हेल्प डैस्क

लॉगिन का प्रकार	हेल्प डैस्क विवरण
सीडीएसएल के साथ डीमैट रूप में प्रतिभूतियां रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारक	लॉगिन में किसी भी तकनीकी समस्या के लिए सदस्य **helpdesk.evoting@cdslindia.com** पर अनुरोध भेजकर सीडीएसएल हेल्प-डैस्क से संपर्क कर सकते हैं या टोल फ्री नंबर 1800225533 पर संपर्क कर सकते हैं।
एनएसडीएल के साथ डीमैट रूप में प्रतिभूतियां रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारक	लॉगिन में किसी भी तकनीकी समस्या के लिए सदस्य **evoting@nsdl.co.in** पर अनुरोध भेजकर एनएसडीएल हेल्प-डैस्क से संपर्क कर सकते हैं या टोल फ्री नंबर 022-48867000 और 022-24997000 पर कॉल कर सकते हैं।

चरण 2: भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों और डीमैट रूप में गैर-वैयक्तिक शेयरधारकों के मामले में सीडीएसएल ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से अभिगम।

I) **डीमैट फॉर्म में वैयक्तिक हिस्सेदारी के अतिरिक्त भौतिक शेयरधारकों और शेयरधारकों** के लिए ई-मतदान और आभासी बैठकों में शामिल होने के लिए लॉगिन विधि।

1) शेयरधारकों को ई-वोटिंग वेबसाइट **www.evotingindia.com** पर लॉग-ऑन करना चाहिए।
2) "शेयरधारक" मॉडयूल पर क्लिक करें।
3) अब अपना यूजर आईडी प्रविष्ट करें।
   a. सीडीएसएल हेतु – 16 अंकों की हिताधिकारी आईडी।
   b. एनएसडीएल हेतु – 8 अंकों की डीपी आईडी के बाद 8 अंकों की ग्राहक आईडी।
   c. भौतिक रूप में शेयरधारक बैंक में पंजीकृत अपनी फोलियों संख्या प्रविष्ट करें।
4) इसके बाद दर्शाई गई ईमेज सत्यापन को प्रविष्ट करें और लॉगइन पर क्लिक करें।
5) यदि आपके पास शेयर डीमेट रूप में हैं और आपने **www.evotingindia.com** पर लॉग-ऑन कर दिया है और पूर्व में किसी कंपनी हेतु ई-मतदान किया है तो आपने वर्तमान पासवर्ड का प्रयोग करना है।
6) यदि आप प्रथम बार प्रयोगकर्ता हैं तो निम्न दिए गए चरणों का अनुसरण करें :

	भौतिक रूप तथा अभौतिक रूप (डीमेट) में शेयरधारकों हेतु।
पैन	आयकर विभाग द्वारा जारी अपना 10 अंकों का अल्फा-न्यूमेरिक *पैन प्रविष्ट करें (यह डीमेट शेयरधारकों और भौतिक शेयरधारकों दोनों के लिए लागू है) • शेयरधारक जिन्होंने अपना पैन कंपनी/ डिपाजिटरी सहभागी के पास अपडेट नहीं कराया है, से अनुरोध है कि वे बैंक/आरटीए द्वारा भेजे गए अनुक्रम संख्या का प्रयोग करें या बैंक/आरटीए से संपर्क करें।
लाभांश बैंक विवरण **या** जन्म-तिथि (डीओबी)	लॉगिन करने हेतु अपने डिमेट खाते में या बैंक अभिलेख में दर्ज लाभांश बैंक विवरण या जन्म-तिथि (दिन/माह/वर्ष प्रारूप में) प्रविष्ट करें। • यदि दोनों विवरण निक्षेपागार या बैंक के पास पंजीकृत नही हैं तो कृपया लाभांश बैंक विवरण फील्ड में सदस्य आईडी/फोलियों संख्या प्रविष्ट करें।

II) इन विवरणों को उपयुक्त रूप से प्रविष्ट करने के पश्चात "सबमिट" टेब पर क्लिक करें।

III) सदस्य जिनके पास भौतिक रूप में शेयर हैं, सीधे सेलेक्शन स्क्रीन पर पहुँच सकते हैं। तथापि, शेयरधारक जिनके पास डीमेट रूप में शेयर हैं "पासवर्ड क्रिएशन विकल्प" में पहुँचेंगे, जहाँ उन्हें नए पासवर्ड स्थान में अनिवार्य रूप से अपना लॉग-इन पासवर्ड दर्ज करना होगा। कृपया नोट करें कि डीमेट धारकों द्वारा इस पासवर्ड का उपयोग किसी भी कंपनी जिसमें वह वोट देने के लिए पात्र है, उपयोग किया जा सकता है बशर्ते कंपनी सीडीएसएल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ई-मतदान करवाती हो। बलपूर्वक यह अनुशंसा की जाती है कि अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति को न बताएं तथा अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने के लिए अतिरिक्त सावधानी बरतें।

IV) सदस्य जिनके पास शेयर भौतिक रूप में हैं, इस सूचना में उल्लिखित अनुसार केवल ई-मतदान के लिए विवरण का उपयोग किया जा सकता है।

V) पंजाब एण्ड सिंध बैंक के "ईवीएसएन" पर क्लिक करें जिसको आप मतदान करना चाहते हैं।

VI) वोटिंग पृष्ठ पर आपको "RESOLUTION DESCRIPTION" दिखेगा और उसके सामने वोटिंग के लिए "हां/नहीं" का विकल्प दिखेगा। इच्छानुसार हाँ या नहीं विकल्प चुनें। विकल्प हाँ का अर्थ है कि आप संकल्प से सहमत हैं और विकल्प नहीं का अर्थ है कि आप संकल्प से असहमत हैं।

VII) यदि आप संपूर्ण संकल्प विवरण देखना चाहते हैं तो "RESOLUTION FILE LINK" पर क्लिक करें।

VIII) एक पुष्टि बॉक्स दिखेगा। यदि आप अपने मतदान की पुष्टि करना चाहते हैं तो "ओके" पर क्लिक करें और यदि अपना वोट बदलना चाहते हैं तो "कैंसल" पर क्लिक करें व तदनुसार अपना मतदान संशोधित करें।

IX) संकल्प पर एक बार मतदान की "पुष्टि" के पश्चात आपको अपने मतदान को संशोधन की अनुमति नहीं होगी।

X) मतदान पृष्ठ पर "प्रिंट लेने हेतु यहाँ क्लिक करें" विकल्प पर क्लिक करके आप अपने द्वारा किए गए मतदान का प्रिंट भी निकाल सकते हैं।

XI) यदि डीमेट खाताधारक अपना लॉग-इन पासवर्ड भूल गए हैं तो यूजर आईडी और ईमेज सत्यापन कोड को प्रविष्ट करें तथा फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करें व प्रणाली द्वारा मांगे गए विवरण को प्रविष्ट करें।

XII) यदि कोई बीआर/पीओए अपलोड किया गया है तो उसे अपलोड करने का एक वैकल्पिक प्रावधान भी है, जिसे सत्यापन के लिए जांचकर्ता को उपलब्ध कराया जाएगा।

XIII) **गैर-वैयक्तिक शेयरधारकों और अभिसंरक्षकों के लिए अतिरिक्त सुविधा - केवल दूरस्थ वोटिंग के लिए।**

- गैर-वैयक्तिक शेयरधारकों (अर्थात व्यैक्तिक, एचयूएफ, एनआरआई इत्यादि के अतिरिक्त) तथा अभिरक्षकों को **www.evotingindia.com** पर लॉग-ऑन करना होगा और "कॉरपोरेट" मॉडयूल में स्वयं को पंजीकृत करना होगा।
- पंजीकरण फॉर्म की स्कैन प्रति जिस पर इकाई की मुहर तथा हस्ताक्षर हो, को **helpdesk.evoting@cdslindia.com** पर मेल की जानी चाहिए।
- लॉग-इन विवरण प्राप्त होने के बाद, एडमिन लॉगइन तथा पासवर्ड का उपयोग करके अनुपालन यूजर क्रिएट कर लेना चाहिए। अनुपालन यूजर खाता (ओं) को लिंक करने समर्थ होगा जिसके लिए वो मतदान करना चाहते हैं।
- लॉगिन में लिंक किए गए खातों की सूची स्वचालित रूप से मेल की जाएगी और किसी भी गलत मेल के मामले में इसे हटाया जा सकता है।
- बोर्ड संकल्प तथा मुख्तारनामा (पीओए) की स्केन प्रति जिसे उन्होनें अभिरक्षक के पक्ष में जारी किया है (यदि हो), संवीक्षक के पास उसके सत्यापन के लिए सिस्टम में पीडीएफ प्रारूप में अपलोड करना चाहिए।
- वैकल्पिक रूप से गैर-वैयक्तिक शेयरधारकों को विधिवत प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता जो मतदान के लिए अधिकृत है, के अनुप्रमाणित नमूना हस्ताक्षर सहित प्रासंगिक बोर्ड संकल्प/ प्राधिकरण पत्र इत्यादि संवीक्षक तथा बैंक को ईमेल पते अर्थात **scruitinizer@snaco.net** तथा **complianceofficer@psb.co.in** पर भेजना आवश्यक है। यदि वे वैयक्तिक टैब से मतदान कर चुके हैं और उसे जांच के लिए संवीक्षक को सीडीएसएल ई-मतदान प्रणाली में अपलोड नहीं किया है।

वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से ईजीएम में भाग लेने और बैठक के दौरान ई-मतदान करने वाले शेयरधारकों के लिए निर्देश निम्नानुसार हैं:

1. ईजीएम के दिन बैठक में भाग लेने तथा ई-मतदान के लिए प्रक्रिया, ई-मतदान के लिए ऊपर बताए गए निर्देशों के समान ही है।
2. बैठक में भाग लेने के लिए वीसी/ ओएवीएम के लिए लिंक, ई-मतदान के लिए ऊपर उल्लिखित निर्देशों के अनुसार सफल लॉगिन के बाद बैंक के ईवीएसएन प्रदर्शित किए जाने वाले स्थान पर उपलब्ध होगा।
3. दूरस्थ ई-मतदान के माध्यम से मतदान करने वाले शेयरधारक बैठक में भाग लेने के लिए पात्र होंगे। हालांकि, वे ईजीएम में मतदान के पात्र नहीं होंगे।
4. शेयरधारकों से अनुरोध है कि बेहतर अनुभव के लिए लैपटॉप/ आईपैड के माध्यम से बैठक में भाग लें।
5. आगे, शेयरधारकों को कैमरा अनुमत करना आवश्यक होगा तथा बैठक के दौरान किसी भी बाधा से बचने के लिए अच्छी गति के इंटरनेट का उपयोग करें।
6. कृपया ध्यान दें कि मोबाइल हॉटस्पॉट से कनेक्ट करके मोबाइल उपकरणों या टेबलेट या लैपटॉप के माध्यम से जुड़ने वाले सहभागियों को अपने संबंधित नेटवर्क में विचलन के कारण ऑडियो/ विडियों के घटने का अनुभव हो सकता है। किसी प्रकार के पूर्वोक्त गडबड़ी को कम करने के लिए स्थिर वाई-फाई या लेन कनेक्शन के उपयोग करने की अनुशंसा की जाती है।
7. शेयरधारक जो बैठक के दौरान अपना विचार व्यक्त करना चाहते हैं/ प्रश्न पूछना चाहते हैं, बैठक से कम से कम 48 घंटे पूर्व अपना नाम, डीमेट खाता संख्या/ फोलियो संख्या, ई-मेल आईडी, मोबाइल नंबर समाविष्ट अपना अनुरोध स्पीकर के रूप में complianceofficer@psb.co.in पर पंजीकृत कर सकते हैं। वे शेयरधारक जो ईजीएम के दौरान बोलना नहीं चाहते हैं लेकिन उन्हें किसी विषय में जानकारी चाहिए तो बैठक से न्यूनतम 48 घंटे पूर्व अपना नाम, डीमेट खाता संख्या/ फोलियो संख्या, ई-मेल आईडी, मोबाइल नंबर समाविष्ट अपने प्रश्न अग्रिम में complianceofficer@psb.co.in पर भेज सकते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर बैंक द्वारा ई-मेल से समुचित रूप से दिया जाएगा।
8. जिन शेयरधारकों ने अपने को वक्ता के रूप में पंजीकृत किया है, बैठक के दौरान केवल उन्हें ही अपने विचार व्यक्त करने/ प्रश्न पूछने की अनुमति होगी।
9. केवल वे शेयरधारक, जो वीसी/ ओएवीएम सुविधा के माध्यम से ईजीएम में उपस्थित हैं और दूरस्थ ई-मतदान के माध्यम से संकल्पों पर अपना मतदान नहीं किया है और जिन्हें अन्यथा ऐसा करने से नहीं रोका गया है, ईजीएम के दौरान उपलब्ध ई-मतदान प्रणाली के माध्यम से मतदान के पात्र होंगे।
10. यदि ईजीएम के दौरान उपलब्ध ई-मतदान के माध्यम से किसी शेयरधारक द्वारा मतदान किया जाता है और उस शेयरधारक ने वीसी/ ओएवीएम सुविधा के माध्यम से बैठक में भाग नहीं लिया है तो ऐसे शेयरधारक द्वारा किए गए मतदान को अमान्य माना जाएगा क्योंकि बैठक के दौरान ई-मतदान की सुविधा केवल बैठक में भाग लेने वाले शेयरधारकों के लिए उपलब्ध है।

जिन शेयरधारकों के ई-मेल/मोबाइल नंबर, बैंक अथवा डिपॉजिटरी के पास पंजीकृत नहीं है, उनके लिए प्रक्रिया :

1) भौतिक शेयरधारकों के लिए – कृपया **complianceofficer@psb.co.in / delhi@linkintime.co.in** को ईमेल द्वारा आवश्यक विवरण यथा फोलियो संख्या, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाण-पत्र की स्केन प्रति (अग्र और पश्च), पैन (पैन कार्ड की स्व अनुप्रमाणित स्कैन प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्व अनुप्रमाणित स्कैन प्रति) उपलब्ध कराएं।
2) डीमेट शेयरधारकों के लिए – कृपया अपने संबंधित **निक्षेपागार सहभागी (डीपी)** के पास अपना मेल आईडी तथा मोबाइल नंबर अद्यतित करें।
3) **वैयक्तिक डीमेट शेयरधारकों के लिए** - कृपया अपने संबंधित निक्षेपागार सहभागी (डीपी) के पास अपना मेल आईडी तथा मोबाइल नंबर अद्यतित करें जो ई-मतदान करने तथा डिपॉजिटरी के माध्यम से आभासी बैठक में शामिल होने के लिए अनिवार्य है।

यदि आपको ईजीएम में भाग लेने एवं सीडीएसएल ई-मतदान प्रणाली से ई-मतदान के संबंध में किसी प्रकार की जिज्ञासा या प्रश्न है तो helpdesk.evoting@cdslindia.com पर मेल कर सकते हैं या टोल-फ्री नंबर 1800-22-5533 पर संपर्क कर सकते हैं।

इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा मतदान की सुविधा से जुड़े सभी शिकायतों के लिए श्री राकेश दल्वी, वरिष्ठ प्रबंधक, (सीडीएसएल) केंद्रीय डिपॉजिटरी सर्विस (इंडिया) लिमिटेड, ए विंग, 25वाँ तल, मैराथन फ्यूचर, मफतलाल मिल कंपाउंड, एन एम जोशी मार्ग, लोअर परेल (पूर्व), मुंबई-400013 पर संपर्क करें या helpdesk.evoting@cdslindia.com पर मेल करें या टोल-फ्री नंबर 1800-22-5533 पर संपर्क करें।

9. संवीक्षक

निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से ई-मतदान प्रक्रिया की संवीक्षा के लिए बैंक द्वारा मेसर्स एस. एन. अनंतसुब्रमण्यम एण्ड कंपनी, कंपनी सचिवों को संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है।

ईजीएम संपन्न होने के 48 घंटे भीतर संवीक्षक, बैठक के अध्यक्ष को कुल डाले गए मतदान पर समेकन संवीक्षक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे और अध्यक्ष या उसके द्वारा लिखित में प्राधिकृत व्यक्ति उस पर प्रतिहस्ताक्षर करेंगे तथा शेयर बाजारों एवं बैंक वेबसाइट पर संवीक्षक रिपोर्ट सहित परिणाम डालकर तत्काल मतदान के परिणाम की घोषणा करेंगे।

10. पत्राचार में परिवर्तन/ लाभांश अधिदेश

a) सूचना/संचार प्रेषण के लिए बैंक, एनएसडीएल/सीडीएसएल के पास पंजीकृत और संबंधित निक्षेपागरों से आरटीए द्वारा डाउनलोड किए गए पते के विवरण का उपयोग करेगा। इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि डीमैट खाते में पंजीकृत अपने पते को संबंधित निक्षेपागर सहभागी के पास अद्यतित कराएं जिससे वह यथासमय अद्यतित हो सके। बैंक या उसके रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट, पते में किसी भी परिवर्तन के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से प्राप्त किसी भी अनुरोध पर कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार के किसी भी परिवर्तन के लिए शेयरधारकों के निक्षेपागार सहभागी से ही अनुरोध किया जाए।

b) भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे पते में किसी भी बदलाव के विषय में वैध दस्तावेजी साक्ष्य और विधिवत हस्ताक्षरित औपचारिक अनुरोध आवेदन, बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट अर्थात मेसर्स लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को प्रस्तुत करें। इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों को अपने संबंधित निक्षेपागार सहभागी के पास ही पते में परिवर्तन के लिए अनुरोध करना होगा न कि बैंक या बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट के पास।

c) शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे बैंक या बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट के साथ किसी भी पत्राचार में अपना संबंधित फोलियो नंबर (भौतिक रूप में शेयर रखने वालों के लिए) और अपनी संबंधित डीपी आईडी/ क्लाइंट आई-डी (इलेक्ट्रॉनिक/ डीमैट फॉर्म में शेयर रखने वालों के लिए) अवश्य उद्धृत करें।

11. भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों द्वारा पैन, नामांकन, संपर्क विवरण, बैंक खाता विवरण और नमूना हस्ताक्षर प्रस्तुत करना

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिम. बोर्ड ने अपने परिपत्र संख्या SEBI/HO/MIRSD/MIRSD- PoD-1/P/CIR/2023/37 दिनांकित 16.03.2023 के माध्यम से निम्नलिखित परामर्श दिया है :

a) सूचीबद्ध कंपनियों में भौतिक प्रतिभूतियों के समस्त धारकों के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे अपने संबंधित फोलियो संख्या के लिए पैन, नामांकन, संपर्क विवरण, बैंक खाता विवरण और नमूना हस्ताक्षर प्रस्तुत करें।

b) जिन फोलियो में उपर्युक्त अनुच्छेद में उल्लिखित में से कोई भी एक दस्तावेज़/ विवरण, 01 अक्टूबर 2023 को या उसके बाद उपलब्ध नहीं है, उन्हें आरटीए द्वारा अवरुद्ध/कीलन कर दिया जाएगा।

c) प्रतिभूतिधारक जिनके फोलियो अवरुद्ध/कीलन कर दिए गए हैं वे निम्नलिखित के लिए पात्र होंगे: (1) उपरोक्त पैरा 1 में उल्लिखित

पूर्ण दस्तावेज/ विवरण प्रस्तुत करने के बाद ही आरटीए से शिकायत दर्ज करने या किसी सेवा अनुरोध का लाभ उठाने के लिए। (2) 01 अप्रैल, 2024 से केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से इस प्रकार अवरुद्ध/कीलन फोलियो के संबंध में लाभांश, ब्याज या मोचन भुगतान सहित किसी भी भुगतान के लिए।

d) यदि फोलियो, 31 दिसंबर 2025 तक अवरुद्ध/कीलन रहते हैं तो बेनामी संव्यवहार (प्रतिषेध) अधिनियम, 1988 और/या धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के अंतर्गत आरटीए/ बैंक द्वारा उनकी सूचना प्रशासी प्राधिकारी को दी जाएगी।

12. शेयरधारकों के लिए संपर्क विवरण

इस संचार के किसी भी मामले या पंजाब एण्ड सिंध बैंक के शेयर/लाभांशों से संबंधित किसी भी अन्य मुद्दे पर स्पष्टीकरण/ सहायता के लिए आप निम्नलिखित पते पर हमसे/ आरटीए से संपर्क कर सकते हैं (कृपया अपने पत्राचार में फोलियो संख्या / दूरभाष नंबर/ मोबाइल नंबर उद्धृत करें)

लिंक इनटाइम इंडिया प्रा.लि. यूनिट **:** पंजाब एण्ड सिंध बैंक नोबल हाइट्स, प्रथम तल, प्लॉट संख्या एनएच 2 एलएससी, सी-1 ब्लॉक, नियर सावित्री मार्किट जनकपुरी, नई दिल्ली**-110058** फोन**: +91 11 4141 0592, 93, 94** फैक्स**: +91 11 4141 0591** ई-मेल**: delhi@linkintime.co.in**	कंपनी सचिव पंजाब एण्ड सिंध बैंक एनबीसीसी ऑफिस कॉम्प्लेक्स प्रथम तल, ब्लॉक-3 पूर्वी किदवई नगर नई दिल्ली-110023 दूरभाष नंबर : 011-40175169 ई-मेल: complianceofficer@psb.co.in

सेबी ने परिपत्र संख्या SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD-1/P/CIR/2023/72 दिनांकित 08 जून, 2023 के माध्यम से आरटीए को सेवा अनुरोध/ शिकायतों के लिए एक उपयोगकर्ता-अनुकूल ऑनलाइन तंत्र या पोर्टल स्थापित करने का निर्देश दिया था।

सेबी के निर्देशानुसार, बैंक के आरटीए (मेसर्स लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड) ने नवीनतम निवेशक स्वयं सेवा पोर्टल **'स्वयं/SWAYAM'** नाम से प्रवर्तित किया है।

'स्वयं/SWAYAM' एक सुरक्षित, उपयोगकर्ता के अनुकूल वेब-आधारित एप्लिकेशन है जो शेयरधारकों को विभिन्न सेवाओं तक सहजतापूर्वक अभिगम के लिए समर्थ करता है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि पोर्टल पर पंजीकरण कर उसका प्रत्यक्ष अनुभव लें।

इस एप्लिकेशन को यूआरएल https://swayam.linkintime.co.in पर एक्सेस किया जा सकता है।

- सेवा अनुरोध का प्रभावी समाधान – '**स्वयं /SWAYAM**' के माध्यम से सेवा अनुरोध/ शिकायतें दर्ज करें व उसकी स्थिति देखें।
- विशेषताएं - उपयोगकर्ता अनुकूल जीयूआई।
- कॉरपोरेट कार्रवाई यथा लाभांश/ ब्याज/ बोनस/ विभक्त की स्थिति देखें।
- पैन आधारित निवेश - पैन से जुड़े खातों, कंपनीवार धारिता तथा प्रतिभूति मूल्यांकन तक पहुंच प्रदान करता है।
- अदत्त राशियों के लिए सहजतापूर्वक अनुरोध करें।
- स्वयं सेवा पोर्टल – मूर्त व अमूर्त रूप में धारित प्रतिभूतियों के लिए, जिनके फोलियो केवाईसी के अनुरूप हैं।
- विवरणी – संपूर्ण धारिता तथा कॉरपोरेट लाभ की स्थिति देखें।
- लॉगिन पर द्विकारण प्रमाणीकरण (2FA) - निवेशकों के लिए सुरक्षा उन्नत करता है।

13. भौतिक धारिता का अमूर्तीकरण - विशेष अनुरोध

a) सेबी ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति संख्या 12/2019 दिनांकित 27.03.2019 के माध्यम से निर्णय लिया है कि प्रतिभूतियों के प्रेषण या रूपांतरण के प्रकरण के अतिरिक्त, प्रतिभूतियों के प्रभावी हस्तांतरण के अनुरोधों पर तब तक कार्रवाई नहीं की जाएगी जब तक कि प्रतिभूतियां दिनांक 01.04.2019 से निक्षेपागार के पास अमूर्त में नहीं रखी जाती हैं। इसलिए शेयरधारकों से अनुरोध हैं कि वे अपनी भौतिक धृति को अविलंब अमूर्त कराएं।

b) सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 40 (1) के अनुसार, मूर्त रूप में धारित प्रतिभूतियों का हस्तांतरण दिनांक 01.04.2019 से बंद कर दिया गया है। तदनुसार शेयरों का हस्तांतरण केवल उस स्थिति में किया जा सकता है जब शेयर अमूर्त रूप में धारित हैं।

c) आगे, सेबी ने परिपत्र संख्या SEBI/HO/MIRSD_RTAMB/P/ CIR/2022/8 दिनांकित 25 जनवरी 2022 के माध्यम से निर्णय लिया है कि प्रतिरूप शेयर प्रमाण-पत्र, प्रेषण, रूपांतरण इत्यादि के अनुरोधों को संसाधित करते समय सूचीबद्ध कंपनियां भविष्य में केवल अमूर्त रूप में प्रतिभूतियां जारी करेंगी। उपरोक्त के मद्देनज़र, भौतिक रूप से शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि अपनी धृति को अमूर्तीकृत करें। शेयरों को डीमैट रूप में रखने के प्रमुख लाभ इस प्रकार हैं:

i) भौतिक शेयर प्रमाण-पत्र के क्षति या नष्ट होने की संभावना समाप्त हो गई है;
ii) शेयर प्रमाण-पत्रों के फाड़ने या कूटरचना या विकृत करने की संभावना समाप्त हो जाती है;
iii) अमूर्तीकरण, शेयरों के कागज रहित ट्रेडिंग की सुगमता और सुविधा प्रदान करता है। एक बार निक्षेपागार सहभागी (डीपी) के पास डीमैट खाता खुलने के बाद, शेयरधारक सुगमतापूर्वक इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर खरीद या बेच सकते हैं।

14. भौतिक रूप में धारित शेयरों के अमूर्तीकरण की प्रक्रिया:

विद्यमान शेयर प्रमाणपत्रों के विवरण में बदलाव/संशोधन नहीं होने की स्थिति में अमूर्तीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित है

A. डीमैट खाता नहीं रखने वाले शेयरधारकों के लिए :

- शेयरधारक को निकटतम निक्षेपागार सहभागी (डीपी) से संपर्क करना होगा तथा शेयरधारक (ओं) को पंजाब एण्ड सिंध बैंक में शेयरधारिता के अनुसार ही अपने नाम व विशिष्टता से डीमैट खाता खोलना होगा।
- डीमैट खाता खोलने के पश्चात शेयरधारक को मूल शेयर प्रमाणपत्र (ओं) के साथ विधिवत भरे हुए व हस्ताक्षरित डीमैट अनुरोध फॉर्म (डीआरएफ), डीपी को सौंपना होगा, जो इसे बैंक के आरटीए को अग्रेषित करेंगे।
- आरटीए, डीआरएफ की जांच/ सत्यापन करेगा और उचित पाए जाने पर शेयरों को समकक्ष संख्या में शेयरधारक (ओं) के डीमैट खाते में क्रेडिट करेगा।

B. डीमैट खाता अनुरक्षित करने वाले शेयरधारकों के लिए :

- जिन शेयरधारकों के पास पहले से ही डीमैट खाता है, उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि पंजाब एण्ड सिंध बैंक में शेयरधारिता के अनुसार ही उनके नाम व विशिष्टता से विद्यमान डीमैट खाता अनुरक्षित किया गया है। यदि हाँ तो शेयरधारक (ओं) को मूल शेयर प्रमाणपत्र (ओं) के साथ विधिवत भरे हुए व हस्ताक्षरित डीआरएफ, डीपी को प्रस्तुत करना होगा, जो इसे बैंक के आरटीए को अग्रेषित करेंगे।
- आरटीए, डीआरएफ की जांच/ सत्यापन करेगा और उचित पाए जाने पर शेयरों को समकक्ष संख्या में शेयरधारक (ओं) के डीमैट खाते में क्रेडिट करेगा।
- यदि विद्यमान डीमैट खाता, शेयरधारिता के अनुसार समान नामक्रम में नहीं है तो शेयरधारक (ओं) को मार्गदर्शन के लिए अपने डीपी से संपर्क करना होगा।
- यदि विद्यमान शेयर प्रमाणपत्रों के विवरण में परिवर्तन होता है तो ऊपर उल्लिखित पते पर बैंक के आरटीए अर्थात मेसर्स लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड या बैंक से संपर्क करें।

15. अन्य जानकारी

a) शेयरधारक जो नामों के समान क्रम में समरूप नाम या संयुक्त नाम में कई फोलियो में भौतिक रूप में शेयर रखते हैं, उनसे अनुरोध किया जाता है कि वे एक ही फोलियो में समेकन के लिए अपने शेयर प्रमाणपत्र, आरटीए को भेजें।

b) बैंक द्वारा प्रारंभ किए गए 'हरित पहल' के मद्देनजर शेयरधारकों से अनुरोध है कि डीमेट रूप में धारित शेयरों के लिए अपने संबंधित डिपॉजिटरी सहभागी के पास तथा भौतिक रूप में शेयर धारित होने पर बैंक के आरटीए (आरटीए का ईमेल आईडीः delhi@linkintime.co.in) के पास अपना ईमेल आई-डी पंजीकृत करें। इसके अतिरिक्त नाम, डाक-पता, ई-मेल पता, दूरभाष/ मोबाइल नंबर, स्थाई खाता संख्या (पैन), अनुदेश, नामांकन, बैंक विवरण जैसे – बैंक का नाम तथा शाखा विवरण, बैंक खाता संख्या, एमआईसीआर कोड, आईएफएससी कूट इत्यादि से संबंधित किसी प्रकार के परिवर्तन की स्थिति में इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयरधारक उसकी सूचना अपने डीपी को दें तथा भौतिक रूप में शेयरधारक आरटीए को सूचित करें।

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा
कृते पंजाब एण्ड सिंध बैंक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 07.05.2024

साकेत मेहरोत्रा
कंपनी सचिव

व्याख्यात्मक विवरणी

मद संख्या 1: एक शेयरधारक निदेशक का चुनाव

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 9 (3) (i) केंद्र सरकार के अतिरिक्त, शेयरधारकों में से निदेशकों के चुनाव के लिए उपबंधित करता है तथा धारा अन्य बातों के साथ-साथ यह भी उपबंधित करता है कि यदि बैंक द्वारा जनता को निर्गम की गई पूंजी, कुल प्रदत्त-पूंजी के 16% से अधिक नहीं है तो शेयरधारकों द्वारा केंद्रीय सरकार के अतिरिक्त अपने में से एक निदेशक का चुनाव किया जाए। वर्तमान में बैंक की सार्वजनिक शेयरधारिता 1.75% है और बैंक के शेयरधारकों में से 1 निदेशक का चुनाव करने का प्रस्ताव है।

बैंक के शेयरधारक निदेशक श्री तीरथ राज मेंदीरत्ता का कार्यकाल 11 मई 2024 को समाप्त होगा। इस रिक्ति को भरने के उद्देश्य से, बैंक के शेयरधारकों (केन्द्र सरकार के अतिरिक्त) का प्रतिनिधित्व करने वाले एक निदेशक के चुनाव के लिए बैंक की असाधारण सामान्य बैठक बुलाई गई है।

इसलिए शेयरधारक (केंद्रीय सरकार के अतिरिक्त), प्रासंगिक अधिनियम/योजना/विनियमन/आरबीआई दिशानिर्देश/ केंद्रीय सरकार के दिशानिर्देशों, प्रासंगिक उद्धरण/भाग जो अन्यत्र पुनः प्रस्तुत किए गए है, में विस्तृत प्रक्रिया अनुसार अपना नामांकन भेजने के पात्र हैं।

विधिक प्रावधानः

निम्नलिखित तालिका में इस संबंध में लागू विभिन्न अधिनियमों/विनियमों/योजना/अधिसूचनाओं में निहित प्रावधानों का उल्लेख है –

अधिनियम/ योजना/ विनियमन/ अधिसूचनाएं	प्रावधान	संक्षिप्त ब्यौरा
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949	धारा 5 (एन ई) धारा 16 (1) धारा 20	• पर्याप्त हित • समान निदेशकों का निषेध • अपने किसी निदेशक को या उसकी ओर से ऋण या अग्रिम स्वीकृति पर प्रतिबंध
बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980	धारा 3 (2 ई) धारा 9 (3) (i) धारा 9 (3 ए) (ए) से (सी) धारा 9 (3 ए ए) व धारा 9 (3 ए बी) धारा 9 (3 बी) धारा 13 (2)	• मताधिकार पर प्रतिबंध • शेयरधारकों द्वारा चुने जाने वाले निदेशकों की संख्या • कतिपय क्षेत्रों में विशेष ज्ञान • कोई भी व्यक्ति निदेशक के रूप में चुने जाने के लिए पात्र होगा यदि वह पिछले कार्य-निष्पादन रिकार्ड के अनुसार 'उचित व उपयुक्त' प्रतिष्ठाधारक, ईमानदार और इस प्रकार के अन्य मानदंड जैसा आरबीआई निर्धारित कर सकता है, व्यक्ति हो। • उक्त अधिनियम की धारा 9 (3 ए) तथा 9 (3 ए ए) की अपेक्षाओं को पूरा न करने वाले किसी चयनित निदेशक को हटाने का आरबीआई का अधिकार। • निष्ठा तथा गोपनीयता के रूप में बाध्यता।
राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1980	खंड 9 (4) खंड 10 खंड 11 खंड 11 ए खंड 11 बी खंड 12 (8)	• चुने हुए निदेशकों का कार्यकाल। • बैंक में निदेशक के रूप में चुने जाने से अयोग्यता। • निदेशक का कार्यालय खाली करना। • चुने गए निदेशक को कार्यालय से हटाना। • चुने गए किसी निदेशक का कार्यालय में आकस्मिक रिक्ति को भरना। • जिन व्यवस्थाओं में निदेशकों का हित है, उन हितों का निदेशकों द्वारा प्रकटीकरण
पंजाब एण्ड सिंध (शेयर और बैठकें) विनियमन, 2008	विनियम 10 विनियम 61 विनियम 63 विनियम 64 विनियम 65 विनियम 66 विनियम 67 विनियम 68	• संयुक्त धारकों के अधिकारों का प्रयोग • सामान्य बैठकों में मतदान • सामान्य बैठकों में निदेशकों का चुनाव • शेयरधारकों की सूची • चुनाव हेतु उम्मीदवारों का चयन • नामांकनों की संवीक्षा • चुनाव विवाद • मताधिकारों का निर्धारण

	विनियम 69 विनियम 70	• विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा मतदान • परोक्षी
भारिबैं/बैंविवि/2019-20/71 मास्टर निदेश बैंविवि.नियु.सं .9/29.67.001/ 2019-20 दिनांकित 02.08.2019 के माध्यम से जारी भारतीय रिज़र्व बैंक (सरकारी क्षेत्र के बैंकों के बोर्ड पर निर्वाचित निदेशकों के लिए 'उचित और उपयुक्त' मानदंड) निर्देश, 2019	बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 9 (3 ए बी) तथा धारा 9 (3 ए ए) के अनुसरण में	**भारतीय रिज़र्व बैंक (सरकारी क्षेत्र के बैंकों के बोर्ड पर निर्वाचित निदेशकों के लिए 'उचित और उपयुक्त' मानदंड) निर्देश, 2019**
भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग के संदर्भ एफ. सं. 16/83/2013-के माध्यम से पत्र दिनांकित 03.09.2013 तथा जीओआई पत्र एफ.नं. 16/51/2012-बीओ.आई. दिनाकित 28.04.2015 के माध्यम से अग्रेषित अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक की नियुक्ति के लिए मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति से अनुमोदित भारत सरकार द्वारा जारी संशोधित दिशानिर्देश दिनांकित 25.03.2015 तथा जीओआई पत्र एफ.नं. 16/51/2012-बीओ.आई. दिनाकित 20.07.2016 के माध्यम से अग्रेषित संशोधित दिशानिर्देश दिनांकित 08.07.2016 तथा इसके बाद तत्संबंधी संशोधन, यदि हो।		सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशकों की नियुक्ति हेतु भारत सरकार के दिशानिर्देश
आरबीआई मास्टर परिपत्र आरबीआई/2015-16/95 डीबीआर सं. डीआईआर.बीसी.10/13.03.00/2015-16 दिनांकित जुलाई 01, 2015		निदेशकों के रिश्तेदारों को ऋण एवं अग्रिम प्रदान करना।
सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन 2015		स्वतंत्र निदेशक से संबंधित प्रावधान

शेयरधारकों की सुविधा के लिए अधिनियम, विनियम अधिनियम, योजना, आरबीआई परिपत्र संख्या डीबीआर.नियुक्ति.बीसी.सं. 39/ 29.39.001/2016-17 दिनांकित 24.11.2016 के साथ पठित **भारिबैं/ बैंविवि/2019-20/71 मास्टर निदेश बैंविवि.नियु.सं: 9/29. 67. 001/2019-20 दिनांकित 02.08.2019 के माध्यम से जारी भारतीय रिज़र्व बैंक (सरकारी क्षेत्र के बैंकों के बोर्ड पर निर्वाचित निदेशकों के लिए 'उचित और उपयुक्त' मानदंड) निर्देश, 2019 तथा भारत सरकार के दिशानिर्देश से संगत उद्धरण को बैंक वेबसाइट** https://punjabandsindbank.co.in/ पर प्रदर्शित किया जाएगा। इस तरह के उद्धरण इच्छुक उम्मीदवारों को कंपनी सचिव को संबोधित, पंजाब एण्ड सिंध बैंक के कॉर्पोरेट कार्यालय में complianceofficer@psb.co.in पर अनुरोध प्राप्त होने पर ई-मेल भी किए जाएंगे, नामांकन फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि अर्थात **गुरुवार, 16 मई, 2024** को या उससे पहले होगी।

चुनाव में सहभागिता :
जैसा कि पूर्व में सूचित किया गया है, जिन शेयरधारकों के नाम निर्दिष्ट तिथि अर्थात् **शुक्रवार, 03 मई, 2024** को शेयरधारकों/ हिताधिकारी स्वामी के रजिस्टर में दर्ज हैं, केंद्रीय सरकार के अतिरिक्त शेयरधारकों के मध्य में से एक निदेशक के चुनाव में भाग लेने यथा नामांकन, निर्वाचन तथा मतदान के लिए पात्र होंगे।
कृपया ध्यान दें कि केंद्रीय सरकार, निदेशक के चुनाव में भाग लेने के लिए पात्र नहीं हैं लेकिन पर्यवेक्षक के रूप में ईजीएम में भाग ले सकता है।

बैंक के निदेशक के रूप में निर्वाचित होने के लिए आवश्यक अर्हताएं :

अधिनियम की धारा 9 (3 ए) के अनुसार, वह उम्मीदवार जो बैंक का शेयरधारक है और अधिनियम की धारा 9 (3) (i) के अंतर्गत बैंक के निदेशक के रूप में निर्वाचित होने के इच्छुक है, उसे

A. निम्न में से किसी एक अथवा अधिक विषय में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव हो :

(i) कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था
(ii) बैंकिंग
(iii) सहकारिता
(iv) अर्थशास्त्र
(v) वित्त
(vi) विधि
(vii) लघु उद्योग
(viii) किसी अन्य विषय में विशेष ज्ञान, व्यावहारिक अनुभव जो भारतीय रिजर्व़ बैंक की राय में बैंक के लिए उपयोगी हो सकता है।

(आरबीआई ने अपने परिपत्र संख्या डीबीआर.एपीपीटी.बीसी.सं.39/29.39.001/2016-17 दिनांकित 24.11.2016 के माध्यम से बैंकों में निदेशक की नियुक्ति पर विचार किए जाने हेतु व्यक्तियों के लिए विशेषज्ञता के क्षेत्रों में विस्तार कर (i) सूचना प्रौद्योगिकी (ii) भुगतान एवं निपटान प्रणाली (iii) मानव संसाधन (iv) जोखिम प्रबंधन और (v) व्यवसाय प्रबंधन, को शामिल किया है)

B. जमाकर्ताओं के हितों का प्रतिनिधित्व करता है; या

C. किसानों, कामगारों तथा शिल्पकारों के हितों का प्रतिनिधित्व करता हो

अधिनियम की धारा 9 (3 ए ए) के अनुसार, धारा 9 (3) (i) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति निदेशक के रूप में चुने जाने के लिए पात्र होगा यदि वह पिछले कार्य-निष्पादन रिकार्ड के अनुसार 'उचित व उपयुक्त' प्रतिष्ठाधारक, ईमानदार और इस प्रकार के अन्य मानदंड जैसा कि भारतीय रिज़र्व बैंक इस संबंध में समय-समय पर अधिसूचित कर सकता है, वाला व्यक्ति हो।

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970/80 की धारा 9 की उप धारा (3 क क) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970/80 की धारा 9 (3)(i) के प्रावधानों के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बोर्ड में निदेशक के रूप में चुने जाने के लिए पात्र होने वाले व्यक्ति की विशिष्ट 'उचित और उपयुक्त' मापदंड निर्धारित करते हुए अधिसूचना संख्या **बैंविवि.नियु.सं.9/29. 67.001/2019-20 दिनांकित 02 अगस्त 2019** जारी की है।

आगे, निर्वाचित निदेशक को बैंक की आचार संहिता के अधीन प्रसंविदा विलेख निष्पादित करना होगा और इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक/ अन्य विनियामक प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित वार्षिक घोषणा प्रस्तुत करना होगा।

बैंक के निदेशक के रूप में निर्वाचित होने के लिए निर्धारित अयोग्यताएं

A. राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1980 के खंड 10 के अनुसार निम्न व्यक्ति निदेशक के रूप में नियुक्त होने या निदेशक बनने का पात्र नहीं होगा :

(i) यदि उसे कभी दिवालिया घोषित किया गया है या उसने लेनदारों का भुगतान निलंबित किया हो या प्रशमन किया हो; या
(ii) यदि उसे विकृत चित्त का पाया गया हो तथा किसी सक्षम न्यायालय द्वारा उसे ऐसा घोषित किया गया हो ; या
(iii) यदि किसी नैतिक चरित्रहीनता से जुड़े अपराध में किसी फ़ौजदारी अदालत ने उसे दोषी ठहराया हो ; या
(iv) अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (ई) व (एफ) के अंतर्गत बैंक के कर्मचारियों में से नामित प्रबंध निदेशक तथा निदेशकों सहित पूर्णकालिक निदेशक के धारित पद के अतिरिक्त, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 की धारा 3 की उपधारा (1) के अंतर्गत गठित भारतीय स्टेट बैंक या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या भारतीय स्टेट बैंक (अनुषंगी बैंक) अधिनियम 1959 की धारा 3 में परिभाषित किसी अनुषंगी बैंक में लाभ का पद धारित करता हो, और

B. यदि वह बैंक बोर्ड के नामांकन और पारिश्रमिक समिति द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में गैर-सरकारी निदेशक के रूप में विचार करने हेतु केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मानदंड के साथ पठित आरबीआई/डीबीआर/2019-20/71 मास्टर निर्देश **बैंविवि.नियु.सं.9/29. 67.001/2019-20 दिनांकित 02 अगस्त 2019 के माध्यम से जारी भारतीय रिज़र्व बैंक (सरकारी क्षेत्र के बैंकों के बोर्ड पर निर्वाचित निदेशकों के लिए 'उचित और उपयुक्त' मानदंड) निर्देश, 2019 के अनुसार** 'उचित और उपयुक्त' व्यक्ति नहीं पाया गया हो।

कृपया ध्यान दें – बैंक में प्राप्त कानूनी परामर्श तथा निदेशक मंडल द्वारा अभिलेख में लिए गए अनुसार, पंजाब एण्ड सिंध बैंक के सेवानिवृत्त अधिकारियों को बैंक के शेयरधारक निदेशक का चुनाव लड़ने के लिए 'उचित और उपयुक्त' नहीं माना जाएगा।

कार्यकाल
राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध एवं विविध प्रावधान) योजना, 1980 के खंड 9(4) के अनुसार, निर्वाचित निदेशक तीन वर्ष तक पद पर रहेगा तथा पुनः निर्वाचित होने का पात्र होगा। बशर्ते कि ऐसा कोई निदेशक छह वर्ष से अधिक अवधि तक निरंतर पद पर नहीं रहेगा।

शेयरधारकों की सूची :

पंजाब एण्ड सिंध बैंक (शेयर एवं बैठकें) विनियमन 2008 के विनियम 64 में उपबंधित अनुसार, शेयरधारकों की सूची (इलेक्ट्रॉनिक रूप में यथा सीडी/पेन ड्राइव या इस प्रकार के अन्य माध्यम), बैंक के कार्पोरेट कार्यालय, एनबीसीसी ऑफिस कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, ब्लॉक 3, पूर्वी किदवई नगर, नई दिल्ली-110023 में शुक्रवार, 10 मई, 2024 से ₹50,000 (रुपये पचास हजार हजार मात्र) के भुगतान पर शेयरधारकों द्वारा खरीदने के लिए उपलब्ध रहेगी, भुगतान अनुसूचित बैंक के मांग ड्राफ्ट/भुगतान आदेश से किया जाना है जो नई दिल्ली में देय "पंजाब एण्ड सिंध बैंक" के पक्ष में जारी होगा। उक्त सूची को खरीदने के इच्छुक उम्मीदवारों को वचन कि इस सूची का उपयोग चुनाव प्रचार के लिए किया जाएगा तथा किसी भी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जाएगा, सहित "कंपनी सचिव, पंजाब एण्ड सिंध बैंक, शेयर कक्ष, कार्पोरेट कार्यालय, एनबीसीसी ऑफिस कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, ब्लॉक 3, पूर्वी किदवई नगर, नई दिल्ली-110023" को संबोधित करते हुए अनुरोध पत्र प्रेषित करना होगा।

शेयरधारकों के रजिस्टर का निरीक्षण :

शेयरधारकों द्वारा निरीक्षण के लिए शेयरधारकों का रजिस्टर एनबीसीसी ऑफिस कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, ब्लॉक 3, पूर्वी किदवई नगर, नई दिल्ली-110023 में स्थित शेयर कक्ष में सभी कार्यालयीन दिवस (रविवार, माह के दूसरे व चौथे शनिवार तथा बैंक अवकाश को छोड़कर) यथा सोमवार से शनिवार अपराह्न 3.00 बजे से अपराह्न 5.00 बजे तक उपलब्ध रहेगा। यदि किसी शेयरधारक को चुनिंदा/आंशिक जानकारी की प्रति या कंप्यूटर प्रिंट की आवश्यकता होती है तो प्रतिलिपि के लिए आवश्यक प्रत्येक 1,000 शब्दों या उसके भाग के लिए ₹5/- (रुपये पाँच मात्र) की दर पर पूर्व-भुगतान पर उसे दिया जाएगा।

चुनाव हेतु उम्मीदवारों का नामांकन :

I. नामांकन की वैधता :

पंजाब एण्ड सिंध बैंक (शेयर और बैठकें) विनियम, 2008 के विनिमयम 65 के संदर्भ में, भा.रि.बैंक के दिशा-निर्देश और भारत सरकार के दिशानिर्देश और किसी भी अन्य संशोधन या निदेशक के रूप में चुने जाने के लिए समय-समय पर जारी किए जाने वाले ऐसे अन्य प्रावधानों के अनुसार निदेशक के रूप में चुनाव के लिए उम्मीदवार का नामांकन वैध होगा :

a) वह शेयरधारक जिसके पास **शुक्रवार, 03 मई, 2024** को बैंक के **100 (एक सौ) शेयर** से कम नहीं है जो की चुनाव में भाग लेने के लिए शेयरधारकों की पात्रता निर्धारित करने के उद्देश्य से एक निर्दिष्ट तिथि / कट-ऑफ तिथि निर्दिष्ट की जा रही है तथा यदि वह निर्वाचित होता है तो बैठक की तिथि तक और उसके कार्यकाल के अंत तक न्यूनतम 100 शेयरों को धारण करता है।

b) नामांकन की प्राप्ति की अंतिम तिथि **गरुवार, 16 मई, 2024** तक की स्थिति के अनुसार, वह बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 या बैंकिंग कंपनियों (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1980 या राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1980 या पंजाब एण्ड सिंध बैंक (शेयर और बैठकें) विनियम, 2008 के अंतर्गत निदेशक होने के लिए अयोग्य नहीं है तत्पश्चात, दिनांकित 02 अगस्त 2019 के भारतीय रिज़र्व बैंक के मानक निर्देशों (सरकारी क्षेत्रों के बैंक के बोर्ड पर निर्वाचित निदेशकों के लिए "उचित और उपयुक्त" मानदंड के प्रावधानों के अनुसार निदेशक मंडल के लिए "उचित और उपयुक्त" पाया गया है, साथ पढ़ा जाए 25 मार्च 2015 और 08 जुलाई 2016 को भारत सरकार द्वारा जारी किए गए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के गैर-कार्यकारी निदेशकों के लिए दिशानिर्देश या ऐसे अन्य निर्देश जो समय-समय पर निदेशक के रूप में चुने जाने के लिए जारी किए जा सकते हैं।

c) वैध नामांकन लिखित में और अधिनियम के अंतर्गत निदेशक निर्वाचन करने के लिए पात्र कम से कम **100 (एक सौ) शेयरधारकों** अथवा उनके यथाविधि अटर्नि ने उस पर हस्ताक्षर किए है, बशर्ते कंपनी के रूप में शेयरधारक होने की स्थिति में नामांकन संबंधित कंपनी के निदेशकों द्वारा संकल्प के रूप में किया जा सकता है। इस तरह से नामांकन करने की स्थिति में जिस बैठक में इस तरह का संकल्प पारिक किया जाए उस बैठक क अध्यक्ष द्वारा सत्य प्रतिलिपि के रूप में प्रमाणित संकल्प की प्रतिलिपि कंपनी सचिव को संबोधित बैंक के कॉर्पोरेट कार्यालय, शेयर कक्ष, एनबीसीसी ऑफिस कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, ब्लॉक 3, पूर्वी किदवई नगर, नई दिल्ली-110023 को प्रेषित हो तथा इस तरह भेजी गई प्रतिलिपि को कंपनी की ओर से किया गया नामांकन माना जाएगा।

d) वैध नामांकन के साथ घोषणा संलग्न हो जो किसी जज, मजिस्ट्रेट, रजिस्ट्रार या सब-रजिस्ट्रार ऑफ एश्योरेंस अथवा राजपत्रित अधिकारी अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक अथवा अन्य किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक के अधिकारी द्वारा के विधिवत हस्ताक्षरित हो और यह कि वह नामांकन स्वीकार करता है और चुनाव के लिए खड़ा होने के लिए इच्छुक है और उसे या तो अधिनियम/विनियमन/योजना/भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्दशों/निदेशक होने से लागू होने वाले भारत सरकार के दिशानिर्देशों अंतर्गत निदेशक होने के लिए अयोग्य नहीं ठहराया गया है।

e) नामांकन फार्म एवं घोषणा फार्म वैसे है जैसा कि विनियम द्वारा निर्धारित है तथा प्रोफार्मा के रूप में अनुलग्नक हैं। (प्रोफार्मा बैंक की वेबसाइट https://punjabandsindbank.co.in/ पर भी पूर्ण सूचना के साथ उपलब्ध है।)

II. नामांकन फार्मों को जमा करना :

केंद्र सरकार के अलावा अन्य शेयरधारकों के बीच बैंक के निदेशकों के चुनाव लड़ने के इच्छुक शेयरधारक नीचे दिए गए प्रारूप में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने चाहिए "**पंजाब एण्ड सिंध बैंक - शेयरधारक निदेशक का चुनाव – 2024" व्यक्तिगत रूप से या कंपनी सचिव को संबोधित, पंजाब एण्ड सिंध बैंक, प्र.का. लेखा और लेखा परीक्षा विभाग, शेयर कक्ष, एनबीसीसी ऑफिस कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, ब्लॉक 3, पूर्वी किदवई नगर, नई दिल्ली-110023 में रजिस्टर्ड डाक/कूरियर के माध्यम से ताकि ईजीएम बैठक के लिए तय की गई तारीख के कम से कम 14 दिन पहले किसी कार्यदिवस को अर्थात् 16 मई, 2024, गुरुवार को शाम 04:00 बजे तक या पूर्व दी जाए**:

a) विधिवत भरा गया घोषणा फॉर्म;
b) चुनाव में भाग लेने के लिए पात्र शेयरधारकों में से न्यूनतम एक सौ का वैध नामांकन;

c) व्यक्तिगत जानकारी, घोषणा तथा संलग्न प्रारूपों में सबंधित दस्तावेजों के प्रमाणपत्रों की वचनबद्धता, प्रशंसा-पत्र **यथा आत्मविवरण की स्वप्रमाणित प्रतियाँ, शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र, अनुभव आदि।**

उक्त नामांकन फार्म एवं अन्य दस्तावेज सभी प्रकार से पूर्ण होने चाहिए विफल होने पर नामांकन खारिज होने के लिए स्वयं उत्तरदायी हैं।

III. नामांकनों की जाँच एवं निदेशकों का चुनाव :

a) नामांकनों की प्राप्ति के लिए निर्धारित तारीख के अगले प्रथम कार्यदिवस को, अर्थात् **शुक्रवार 17 मई 2024** को बैंक के द्वारा नामांकनों की जाँच की जाएगी और यदि कोई नामांकन वैध नहीं पाय जाता है तो उसे उसके वैध न पाए जाने के कारणों को दर्ज करने के पश्चात रद्द कर दिया जाएगा।

b) वैध नामांकन आरबीआई के निर्देश तथा भारत सरकार के दिशानिर्देशों की शर्तों के अनुसार बोर्ड की नामांकन एवं परिश्रमिक समिति (एनआरसी)/निदेशक मंडल की जाँच के अध्यधीन है। जैसा कि आरबीआई निर्देश/अधिसूचना और भारत सरकार के दिशानिर्देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंध की प्रकृति के समान हैं, बैंक उम्मीदवारों के उचित और उपयुक्तस्थिति का निर्धारण करते समय सख्त विचार कर सकता हैं। जैसा कि पहले ही निर्दिष्ट किया गया है **बैंक में प्राप्त कानूनी परामर्श तथा निदेशक मंडल द्वारा अभिलेख में लिए गए अनुसार, पंजाब एण्ड सिंध बैंक के सेवानिवृत्त अधिकारियों को बैंक के शेयरधारक निदेशक का चुनाव लड़ने के लिए** 'उचित और उपयुक्त' नहीं माना जाएगा।

c) बैंक नामांकन की जांच के समय या एनआरसी/निदेशक मंडल की सलाह के अनुसार उम्मीदवारों से उनकी उम्मीदवारी के संबंध से अन्य जानकारी, दस्तावेज मांग सकता हैं।

d) यदि चुनाव द्वारा भरी जाने वाली उक्त रिक्त के लिए केवल एक नामांकन हो तो यथा नामित उम्मीदवार को उसी समय से चयनित माना जाएगा तथा और उसका नाम स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित किया जाएगा और बैंक की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा और उसके बाद समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाएगा। नवनिर्वाचित निदेशक उस तारीख से पद ग्रहण करेंगे, जिस दिन उन्हें चुना गया है।

e) यदि एक वैध नामांकन से अधिक नामांकन हो तो उम्मीदवार का नाम स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित किया जाएगा और बैंक की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा उसके बाद समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाएगा तथा चुनाव ईजीएम में आयोजित किया जाएगा। उम्मीदवार अपने पक्ष में अधिकांश मतों की प्राप्ति में यथा दूरस्थ ई-वोटिंग तथा बैठक में वोटिंग का कुल योग निर्वाचित माना जाएगा और उसके नाम की घोषणा की जाएगी। नवनिर्वाचित निदेशक **शनिवार, 01 जून 2024** को पदभार ग्रहण करेंगे।

IV. नामांकन वापस लेना :

यदि कोई उम्मीदवार अपना नामांकन वापस लेना चाहता है तो वह बैंक की कार्य अवधि में यथा **शुक्रवार, 24 मई 2024,** शाम 5 बजे तक या पूर्व किसी भी समय कंपनी के सचिव, पंजाब एण्ड सिंध बैंक, शेयर्स कक्ष, एनबीसीसी ऑफिस कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, ब्लॉक 3, पूर्वी किदवई नगर, नई दिल्ली-110023 पत्र या complianceofficer@psb.co.in पर ईमेल भेजे, उसके बाद उक्त का कूरियर/स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषण करें।

V. वोटिंग प्रक्रिया ईजीएम के दौरान :

चुनाव के लिए मतदान दूरस्थ ई-वोटिंग और बैठक में मतदान के माध्यम से किया जाएगा।
दूरस्थ ई-वोटिंग सोमवार 27 मई, 2024 की प्रातः 10.00 बजे से गरुवार 30 मई 2024 को शाम 5.00 बजे तक होगी।
ईजीएम के दौरन मतदान ई-वोटिंग के माध्यम से किया जाएगा और बैठक के अध्यक्ष द्वारा उद्घोषणा के तुरंत बाद शुरू होगा।
वोटों की संख्या उनके द्वारा शुक्रवार, 03 मई 2024, निर्दिष्ट तिथि को शेयरों की संख्या के आधार पर होगी।

VI. विवाद :

यदि कोई विवाद होता है तो उसका निपटारा पंजाब एण्ड सिंध बैंक (शेयर व बैठके) विनिमय, 2008 के विनिमय 67 के अनुसार किया जाएगा।

VII. उद्धरण :

शेयरधारकों की सुविधा के लिए लागू अधिनियम/विनियमन/योजना/भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों / भारत सरकार के दिशानिर्देशों के प्रासंगिक अंशों को पुन: प्रस्तुत किया जाता है।

VIII. निदेशकों का हित :

शेयरधारिता की सीमा तक बैंक के निदेशकों तथा ऐसे निदेशक जिन्होने अपना नामांकर दर्ज किया है, उन्हें कारोबार के पूर्वोक्त मदों में हित तथा संबंध रखने वाले माने जाएंगे ।

IX. रिट याचिका :

शेयरधारक निदेशक के चुनाव के संबंध में, माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की गई थी, जिसमें शेयरधारक-निदेशकों की चुनाव प्रक्रिया 2020 को वापस लेने के बैंक के फैसले को चुनौती दी गई थी। बैंक ने इस मामले में विपक्ष में अपना हलफनामा दायर किया है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका का निपटान किया जाना बाकी है। चुनाव प्रक्रिया के साथ-साथ परिणाम रिट याचिका पर अंतिम निर्णय के अधीन हैं।

मद संख्या 2: बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में श्री रवि मेहरा की नियुक्ति को अनुमोदित करना

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 17 (1सी) के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि निदेशक मंडल में किसी व्यक्ति की नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति के लिए शेयरधारकों का अनुमोदन अगली आम बैठक में लिया जाए। तदनुसार, 09.10.2023 से बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में श्री रवि मेहरा की नियुक्ति के लिए शेयरधारकों की स्वीकृति आवश्यक है।

बैंकिंग कंपनियां (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 9 की उप धारा (3) के खंड (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसार, केंद्र सरकार ने अधिसूचना ईएफ.सं.4/1(v)/2023-बीओ.आई दिनांक 09 अक्टूबर 2023 के तहत श्री रवि मेहरा को पंजाब एण्ड सिंध बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है, जो पदभार ग्रहण करने की तारीख अर्थात् 09.10.2023 से या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, से प्रभावी होगा।

सेबी एलओडीआर के विनियम 36(3) और सचिवीय मानक 2 के अनुसार ईजीएम में नियुक्ति चाहने वाले निदेशक का विवरण

श्री रवि मेहरा का संक्षिप्त परिचय
निदेशक का नाम : श्री रवि मेहरा
आयु : 57 वर्ष
शैक्षणिक योग्यता : वाणिज्य में स्नातकोत्तर तथा भारतीय बैंकर्स संस्थान (सीएआईआईबी) के प्रमाणित एसोसिएट।
कार्यग्रहण की तिथि : 09.10.2023

श्री रवि मेहरा ने 09.10.2023 को बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला। पंजाब एण्ड सिंध बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में अपनी पदोन्नति से पहले, श्री रवि मेहरा पंजाब एण्ड सिंध बैंक के महाप्रबंधक के पद पर कार्यरत थे। वे वाणिज्य में स्नातकोत्तर हैं और भारतीय बैंकर्स संस्थान (सीएआईआईबी) के प्रमाणित एसोसिएट भी हैं।

उन्होने दिसंबर 1988 में पंजाब एण्ड सिंध बैंक में कार्यग्रहण किया। तीन दशकों से अधिक के कार्यकाल में, श्री रवि मेहरा ने बैंकिंग के लगभग सभी प्रमुख क्षेत्रों में विशेषज्ञता हासिल की, ग्रामीण, शहरी और मेट्रो शाखाओं और बैंक के कॉर्पोरेट कार्यालय सहित प्रशासनिक कार्यालयों में भी कार्य किया। उनके पास क्रेडिट, मानव संसाधन, जोखिम प्रबंधन और वित्तीय समावेशन सहित अन्य समृद्ध अनुभव है।

श्री रवि मेहरा भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार पारिश्रमिक/प्रतिपूर्ति पाने के अधिकारी हैं।

श्री रवि मेहरा या उनके रिश्तेदारों (बैंक में उनकी शेयरधारिता की सीमा तक, यदि कोई हो) के अलावा बैंक के किसी भी निदेशक या उनके रिश्तेदार और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक का संबंध या हितार्थी, संलग्न ईजीएम नोटिस की मद संख्या 2 में दिए गए साधारण प्रस्ताव से नहीं है।

मद संख्या 3: अर्हताप्राप्त संस्थागत स्थानन के माध्यम से इक्विटी शेयरों का निर्गम

- लगातार बदलते व्यवसाय परिदृश्य में अपने बढ़ते व्यवसाय स्तर को पूरा करने तथा बेसल-III मानदंडों का अनुपालन करने के लिए बैंक को अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता है।

- बेसल III पूंजी विनियमन और परिणामी पूंजी प्रभार के संदर्भ में निधियों की बढ़ती पूंजी आवश्यकता को पूरा करने के लिए और सामान्य उधार उद्देश्यों के लिए, जैसा कि बोर्ड द्वारा तय किया जा सकता है, बैंक ने बैंक की पूंजी पर्याप्तता में सुधार करने और बैंक की सामान्य व्यावसायिक आवश्यकताओं को वित्तपोषित करने के लिए धन जुटाने का प्रस्ताव किया है।

- नोटिस में प्रस्तावित विशेष संकल्प आईसीडीआर विनियमनों के अध्याय VI के अंतर्गत अर्हताप्राप्त संस्थागत स्थानन के माध्यम से अर्हता प्राप्त संस्थागत क्रेताओं को ₹2000 करोड़ (केवल दो हजार करोड़ रुपये) (प्रीमियम सहित) से अधिक राशि के इक्विटी शेयर जारी करने से संबंधित है।

- चूंकि बैंक के इक्विटी शेयर सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के अनुसार स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध हैं, इसलिए शेयरधारकों के लिए यह आवश्यक है कि यदि उन्हें आनुपातिक आधार पर कोई अतिरिक्त प्रतिभूति जारी करने का प्रस्ताव नहीं दिया जाता है तो वे उसे जारी करने का अनुमोदन प्रदान करें।

- यह ध्यान देने योग्य है कि शेयरधारकों के अनुमोदन के अलावा, अर्हताप्राप्त संस्थागत स्थानन (क्यूआईपी) आदि के माध्यम से इक्विटी शेयरों का निर्गम, इस संबंध में सभी वैधानिक, नियामक या किसी अन्य लागू दिशानिर्देशों के अनुपालन के अधीन होगा।

- इक्विटी शेयर जारी करने के लिए विस्तृत निबंधन और शर्तें, जब कभी बनाई जाएंगी, व्यापारी बैंकों, अग्रणी प्रबंधकों, सलाहकारों और ऐसे अन्य प्राधिकरणों के परामर्श से बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाएंगी, जिन पर बैंक द्वारा विचार किया जाना अपेक्षित हो सकता है। विशेष संकल्प में बोर्ड को ऐसे समय या समय पर, ऐसे मूल्य या मूल्यों पर और ऐसे निवेशकों को, जिनका उल्लेख बोर्ड अपने पूर्ण विवेक से करता है, एक या अधिक किस्तों में इक्विटी शेयर जारी करने की शक्ति प्रदान करता है।

- निदेशक मंडल नोटिस में उल्लिखित विशेष प्रस्ताव को आपके अनुमोदन हेतु अनुशंसित करता है।

- बैंक का कोई भी निदेशक इस विशेष संकल्प से संबंधित या हितार्थी नहीं है।

निदेशक बोर्ड के आदेश से
कृते पंजाब एण्ड सिंध बैंक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 07 मई, 2024

(साकेत मेहरोत्रा)
कंपनी सचिव

निदेशकों का चुनाव – प्रासंगिक अधिनियमों, योजना तथा विनियमों आदि के उद्धरण

केंद्र सरकार के अलावा अन्य शेयरधारक निदेशकों के चुनाव के प्रावधान और शेयरधारकों द्वारा चुने जाने वाले ऐसे निदेशकों की संख्या बैंकिंग कंपनियों (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 9 (3) (i) में निहित है।

बैंक विनिमयन अधिनियम, 1949, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन तथा विविध प्रावधान) योजना, 1980 तथा पंजाब एण्ड सिंध बैंक (शेयर व बैठकें) अधिनियम, 2008, आरबीआई के "उचित और उपयुक्त" मापदंड आरबीआई के अधिसूचना 46 व 47/29.39.001/2007-08 दिनांकित 01.11.2007, अधिसूचना डीबीओडी बीसी संख्या95/29.39.001/2010-11 के साथ पढ़ा जाए तथा दिनांकित-01.06.2011 संशोधित 25.03.2015 व 07.06.2016 अंशकालिक गैर-कार्यकारी निदेशक (भारत सरकार के दिशानिर्देश) के चयन के लिए दिशानिर्देश तथा भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 03.09.2013 जो शेयरधारकों के निदेशक के लिए लागू हो के प्रासंगिक विनियमों को क्रमशः शेयरधारकों की सूचना के लिए नीचे दर्शाया गया है।

बैंककारी विनिमय अधिनियम,1949

प्रर्याप्त हित – खंड 5 (एनई)

(i) कंपनी के संबंध में इसका अर्थ है कंपनी के शेयरों में किसी व्यक्ति या उसकी पत्नी पति या अवयस्क बच्चे या तो अकेले या साथ मिलकर लाभार्थी के रूप में अपना हित धारण करना। इस संबंध में भुगतान राशि 5 रुपया या कंपनी प्रदत्त पूंजी का 10 प्रतिशत इस दोनों में जो भी कम हो, होना चाहिए;
(ii) फर्म के संबंध में इसका अर्थ किसी व्यक्ति या उसकी पत्नी/पति या अवयस्क बच्चों के द्वारा फर्म में लाभार्थी के रूप में अपना हित रखना संबंधित फर्म के सभी भागीदारों द्वारा कुल अभिदत्त पूंजी का 10 प्रतिशत से अधिक होना चाहिए।

सामान्य निदेशकों विषयक प्रतिषेध – धारा 16(1) :

भारत में निगमित कोई भी बैंककारी कंपनी अपने निदेशक बोर्ड में ऐसे किसी व्यक्ति को निदेशक के रूप में नहीं रखेगी जो किसी अन्य बैंककारी कंपनी का निदेशक है ।

ऋण व अग्रिम पर प्रतिबंध – धारा 20 :

1) कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के खंड 77 में विहित कुछ भी विपरीत के बावजूद, कोई बैंककारी कंपनी-
   a) अपने शेयर के प्रतिभूति पर कोई ऋण या अग्रिम प्रदान नहीं करेगी, अथवा
   b) निम्नलिखित की ओर से किसी ऋण या अग्रिम प्रदान करने के लिए कोई प्रतिबद्धता नहीं की जानी चाहिए।
      (i) कंपनी का कोई निदेशक
      (ii) कोई ऐसा फर्म जिसमें इसके निदेशक भागीदार, प्रबंधक, कर्मचारी अथवा गारंटीकर्ता के रूप में हित रखते हो, अथवा
      (iii) बैंककारी अधिनियम, 1956 के खंड 25 के अंतर्गत कोई पंजीकृत कंपनी या बैंककारी कंपनी का कोई कंपनी अनुषंगी न हो अथवा कंपनी या अनुषंगी अथवा एक सरकारी कंपनी में बैंककारी कंपनी का कोई निदेशक, प्रबंधन एजेंट, प्रबंधक कर्मचारी या गारंटीकर्ता अथवा जिसमें बहुत अधिक हित रखते हो अथवा
      (iv) कोई व्यक्ति जिससे इसके निदेशक एक भागीदार या गारंटीकर्ता हो।
2) अगर किसी बैंकिंग कंपनी द्वारा मंजूर ऋण या अग्रिम इस प्रकृति का है कि जिस दिन ऋण या अग्रिम प्रदान किया गया था उस तिथि को उप धारा (1) के खण्ड (ख) के लागू होने की स्थिति में उसे मंजूर करने का वचन नहीं दिया जा सकता था अथवा वह किसी बैंकिंग कंपनी द्वारा बैंकिंग विधि (संशोधन) अधिनियम, 1968 (1968 का 58) के आरंभ होने के उपरांत किंतु ऐसे प्रारंभ के पूर्व हुई वचनबद्धता के अनुसरण में मंजूर किया गया हो तो बैंकिंग कंपनी को मूल रकम पर देय व्याज, यदि कोई हो, सहित ऋण या अग्रिम देते समय निर्धारित अवधि के भीतर या जहां ऐसी कोई अवधि निर्धारित न की गई हो वहां उक्त धारा 5 के प्रारंभ से एक वर्ष पूरा होने के पूर्व वसूली हेतु उपाय किये जाने चाहिए; बशर्ते भारतीय रिजर्व बैंक, बैंकिंग कंपनी द्वारा इस संदर्भ में उसके पास किये गये लिखित आवेदन पर किसी मामले में ऋण या अग्रिम की वसूली अवधि को ऐसी तिथि तक बढ़ा सकता है जो उपर्युक्त धारा 5 के प्रारंभ होने से तीन वर्ष से अधिक की अवधि की तिथि न हो। यह विस्तार ऐसी शर्तों एवं निबंधनों के अधीन होगा जिन्हें रिजर्व बैंक उचित समझे।

इसके अतिरिक्त यह भी शर्त है कि यह उप धारा संबंधित निदेशक द्वारा चाहे वह मृत्यु, सेवानिवृत्ति त्यागपत्र या अन्य किसी कारण से बैंकिंग कंपनी के निदेशक का पद रिक्त करने पर लागू नहीं होगी।

3) उपधारा (2) या उसके किसी भी भाग में उल्लिखित कोई भी ऋण या अग्रिम रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन के बिना प्रेषित नहीं किया जाएगा तथा ऐसे अनुमोदन के बिना की गई कोई भी छूट/ माफी अमान्य एवं अप्रभावी होगी।
4) जहां उप धारा 2 में संदर्भित कोई ऋण या अग्रिम किसी भी व्यक्ति द्वारा देय हो तो उक्त उप धारा में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर बैंकिंग को चुकौती न किए जाने की स्थिति में ऐसे व्यक्ति को, यदि वह बैंकिंग कंपनी का निदेशक है, उक्त अवधि की समाप्ति की तिथि को ऐसा होने की स्थिति में यह माना जाएगा कि जैसे उसने उक्त तिथि को अपना पद रिक्त कर दिया हो।

इस धारा की व्याख्या :

- "ऋण या अग्रिम" में कोई भी ऐसा लेन-देन शामिल नहीं होगी जिसे रिजर्व बैंक लेन-देन के स्वरूप, उक्त लेन-देन के कारण देय होने वाली किसी भी रकम की वसूली के संभाव्य समय एवं उसकी विधि तथा परिस्थितियों, जमाकर्ताओं के हितों और प्रासंगिक प्रतिफलों पर विचार करते हुए इस धारा के प्रयोजन हेतु ऋण या अग्रिम न होने का सामान्य या विशेष आदेश के द्वारा उल्लेख कर सके।
- "निदेशक" से तात्पर्य है, प्रबंध करने के उद्देश्य से अथवा प्रबंधन हेतु सभी या उसके किसी कार्य के संबंध में सलाह देने के उद्देश्य से भारत में बैंकिंग कंपनी द्वारा गठित किसी मण्डल या समिति का सदस्य

5) अगर ऐसा कोई प्रश्न उठता है कि क्या कोई लेन-देन ऋण या अग्रिम है, तो इस धारा के प्रयोजन हेतु मामला भारतीय रिजर्व बैंक को प्रेषित किया जाएगा और उस पर उसका निर्णय अंतिम होगा।

इसके अलावा, कंपनी अधिनियम, 1956 से संबंधित उपर्युक्त प्रावधानों के तहत किए गए किसी भी संदर्भ को कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत प्रासंगिक प्रावधानों के तहत संदर्भ के रूप में माना जाएगा।

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970

मताधिकार को सीमित करना :

धारा 3(2ई) : केन्द्रीय सरकार को छोड़कर कोई भी शेयरधारक बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल मताधिकार के दस प्रतिशत से अधिक उनके द्वारा धारित किसी शेयर के संबंध में मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पात्र नहीं होगा।

निदेशक मंडल की संरचना :

धारा 9 (3) (1) : जहाँ धारा 3 की उप धारा (2ख) के खंड (ग) के अंतर्गत निर्गमित पूंजी :

a) कुल प्रदत्त पूंजी के सोलह प्रतिशत से अधिक नहीं हो, तो एक निदेशक
b) कुल प्रदत्त पूजी के सोलह प्रतिशत से अधिक परंतु बत्तीस प्रतिशत से ज्यादा नहीं हो, तो दो निदेशक
c) कुल प्रदत्त पूजी के बत्तीस प्रतिशत से अधिक हो, तो केन्द्र सरकार को छोड़कर तीन निदेशक अन्य शेयरधारकों द्वारा अपने बीच में से निर्वाचित किए जाएंगे।

बशर्ते कि इस खंड के तहत ऐसे किसी निदेशक के निर्वाचन के उपरांत उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण कर लेने पर, खंड (एच) के अंतर्गत जितने निदेशक नामांकित हैं उतने निदेशक इस योजना में यथा निर्दिष्ट तरीके से सेवानिवृत्त होंगे।

आगे बशर्ते कि यदि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) और वित्तीय संस्थाएं कानून (संशोधन) अधिनियम, 2006 के आरंभ होने पर अथवा उससे पहले, अनुरूप नए बैंक में निर्वाचित निदेशकों की संख्या उप-खण्ड (I) अथवा उप-खण्ड (II) अथवा उप-खण्ड (III), जैसा भी मामला हो, में निर्दिष्ट निदेशकों की संख्या से अधिक हो तो ऐसे अधिक संख्यक निदेशक जो यह कानून आरंभ होने के पूर्व निर्वाचित हुए हैं इस तरह से सेवानिवृत्त होंगे जैसा इस योजना में निर्दिष्ट किया गया है और ऐसे निदेशक उनके कार्यकाल के समय से पूर्व सेवानिवृत्ति के लिए किसी भी क्षतिपूर्ति दावे के हकदार नहीं होंगे।

धारा 9 (3 क) : उक्त-खंड (i) के अंतर्गत निर्वाचित किए जाने वाले निदेशक-

A) निम्नलिखित विषयों में से एक या एक से अधिक के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखने वाले होंगे
   i. कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था,
   ii. बैंकिंग
   iii. सहकारिता
   iv. अर्थशास्त्र
   v. वित्त
   vi. विधि
   vii. लघु उद्योग
   viii. अन्य कोई विषय जिसमें विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव जो भारतीय रिजर्व बैंक की राय में अनुरूप नए बैंक के लिए उपयोगी हो।

• (आरबीआई ने अपने परिपत्र संख्या डीबीआर. एपीपीटी बीसी. एनओ.39/29.39.001/2016-17 दिनांक 24 नवम्बर, 2016 के माध्यम से (i) सूचना प्रौद्योगिकी (ii) भुगतान एवं निपटान प्रणाली (ii) मानव संसाधन (iv) जोखिम प्रबंधन एवं (v) व्यवसाय प्रबंधन को शामिल करने के लिए विशेषज्ञता के क्षेत्रों को विस्तार दिया है जिससे बैंकों में निदेशक की नियुक्ति हेतु ऐसे व्यक्तियों पर भी विचार किया जा सके)

B) जमाकर्ताओं क हित का प्रतिनिधित्व करता हो; अथवा
C) किसानों, कामगारों कारीगरों के हित के प्रतिनिधित्व करता हो।

धारा 9 (3 क क): उप-धारा 3(क) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना और इस अधिनियम अथवा प्रचलित कानून में अन्य बातों के होते हुए भी बैंक निदेशक बनने के इच्छुक किसी उम्मीदवार को उप-धारा 3 के खण्ड (आई) के अधीन इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी ट्रैक रिकॉर्ड, सत्यनिष्ठा और अन्य मानदंडों के अनुसार "उचित एवं उपयुक्त" स्थिति में होना चाहिए।

धारा 9 (3 क ख): भारतीय रिजर्व बैंक उप-धारा 3(कक) के अंतर्गत जारी अधिसूचना में "उचित एवं उपयुक्त" स्थिति का निर्धारण करने वाले प्राधिकारी, ऐसे निर्धारण का तरीका, ऐसे निर्धारण के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया और ऐसे अन्य विषय जो इस संबंध में आवश्यक अथवा प्रासंगिक हो सकते हैं, को भी विनिर्दिष्ट कर सकता है।

धारा 9 (3 ख) : जहां भारतीय रिजर्व बैंक की राय में बैंक की उप धारा (3) के खण्ड (आई) के अंतर्गत निर्वाचित कोई निदेशक उप धारा (3क) और (3कक) की अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता है, तो वह ऐसे निर्देशक तथा बैंक को सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद आदेश द्वारा ऐसे निदेशक को हटा सकता है और इस प्रकार हटाए जाने पर निदेशक मंडल उप धारा (3क) और (3कक) की अपेक्षाओं को पूरा करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को, अनुरूप नए बैंक के शेयरधारकों द्वारा अगली वार्षिक आम बैठक में किसी निदेशक के निर्वाचित होने तक, ऐसे हटाए गए व्यक्ति के स्थान पर निदेशक के रूप में सहयोजित करेगा और यह मान लिया जाएगा कि ऐसा सहयोजित व्यक्ति उक्त बैंक के शेयरधारकों द्वारा निदेशक के रूप में विधिवत निर्वाचित है।

निष्ठा व गोपनीयता का दायित्व :

धारा 13 (2) : प्रत्येक निदेशक, स्थानीय बोर्ड या किसी समिति के सदस्य या लेखापरीक्षक, सलाहकार अधिकारी या अनुरूप नए बैंक का अन्य कर्मचारी अपना पदभार ग्रहण करने से पहले तृतीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रारूप में निष्ठा एवं गोपनीयता की घोषणा करेगा।

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970

निर्वाचित निदेशक का सेवाकाल :

खण्ड 9 (4):
निर्वाचित निदेशक तीन वर्ष के लिए पद पर रहेगा और पुनर्निवाचन के लिए पात्र होगा ।
बशर्ते ऐसा कोई भी निदेशक लगातार छः वर्ष से अधिक अवधि के लिए पदधारित नहीं करेगा।

निदेशकों की अयोग्यता :
खण्ड 10 :
किसी व्यक्ति को निर्देशक के रूप में नियुक्त किए जाने तथा निदेशक बनने से अयोग्य ठहराया जाएगा

a) यदि वह किसी समय दिवालिया करार कर दिया गया हो या उसने लेनदारों का भुगतान रोके रखा था प्रशमन किया हो, या
b) यदि वह अस्वस्थ दिमाग का पाया गया हो और किसी सक्षम न्यायालय ने इस बाबत घोषणा की हो, या
c) यदि उसे फौजदारी न्यायालय द्वारा किसी नैतिक चरित्रहीनता से जुड़े अपराध में दोषी ठहराया गया हो, या
d) यदि वह किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के अंतर्गत लाभ का पद धारण करता हो या भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत गठित भारतीय स्टेट बैंक अथवा किसी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा भारतीय स्टेट बैंक (सहायिकी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 3 में वर्णित किसी सहायिकी बैंक में लाभ का पद धारित करता है, किन्तु अपवादस्वरूप, वह अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा 3 के खंड (ई) एवं (एफ) के अन्तर्गत बैंक के कर्मचारियों में से नामित प्रबंध निदेशक और निदेशकों को सम्मिलित करते हुए पूर्णकालिक निदेशक का पद धारित कर सकता है।

निदेशक के पद का रिक्त होना :
खण्ड 11 :
1. यदि कोई निदेशक खण्ड 10 में विनिर्दिष्ट किन्हीं निरर्हताओं के अधीन आ जाता है या बोर्ड से अनुमति लिए बिना लगातार तीन से अधिक बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने अपना पद रिक्त कर दिया है और तदुपरांत वह पद रिक्त हो जाएगा।
2. अधिनियम की धारा 9 की उप धारा (3) के खण्ड (ख) या खण्ड (ग) या खण्ड (घ) में संदर्भित प्रबंध निदेशक अथवा निदेशक सहित अध्यक्ष अथवा पूर्णकालिक निदेशक सहित केन्द्रीय सरकार को लिखित रूप में सूचना देकर अपना पद त्याग सकता है और ऐसा त्याग पत्र केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत होने पर यह माना जाएगा कि पद रिका हो गया है और कोई अन्य निदेशक लिखित रूप में केन्द्रीय सरकार को लिखित सूचना देकर अपना पद त्याग सकता है और ऐसा त्यागपत्र केन्द्रीय सरकार द्वारा इसकी सूचना प्राप्त प्रभावी होगा।
3. उपर्युक्त उप-धारा के किसी भी प्रावधान पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना अधिनियम की धारा 9 की उपधारा 3 के खण्ड (ई) अथवा खण्ड (एफ) में उल्लेखित निदेशक का पद तभी रिक्त हो जाएगा जब निदेशक राष्ट्रीयकृत बैंक के कामगार के अलावा कर्मचारी या कार्मिक नहीं रहता है, जिसके वह निदेशक हैं।
4. जहां निर्वाचित निदेशक के अलावा निदेशक के पद की कोई रिक्त हो जाती है, तो वह अधिनियम का धारा 9 की उप-धारा (3) के अनुसार भरी जाएगी।

निर्वाचित निदेशक को पद से हटाना :

खण्ड 11 क :

केन्द्रीय सरकार को छोड़कर अन्य शेयरधारक ऐसे सभी शेयरधारकों द्वारा धारिता कुल शेयर पूँजी का कम से कम आधा भाग धारित करने वाले शेयरधारकों के बहुमत से प्रेरित संकल्प द्वारा धारा 9 की उपधारा (3) के खण्ड (आई) के तहत निर्वाचित किसी निर्देशक को हटा सकते है और उसके स्थान पर रिक्त को भरने हेतु दूसरे को निर्वाचित कर सकते है।

निर्वाचित निदेशक के पद की रिक्ति का भरा जाना :

खंड 11 ख :

1. जहां किसी निर्वाचित निदेशक के कार्यकाल की अवधि की समाप्ति से पहले कोई रिक्ति होती है, तो रिक्ति निर्वाचन द्वारा भरी जाएगी। बशर्ते की जहां रिक्ति की अवधि छः महिने से कम रहने की संभावना है वहां शेष निदेशकों द्वारा उक्त रिक्ति भरी जाएगी।
2. उप-खण्ड (1) के अंतर्गत निर्वाचित या सहयोजित व्यक्ति जैसा मामला हो, अपने पूर्वाधिकारी के कार्यकाल की शेष अवधि के लिए परग्रहण करेगा।

निदेशकों द्वारा हितों का प्रकटन :

खंड 12 (8) :

राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा उसकी ओर से की गई या प्रस्तावित किसी संविदा, ऋण, व्यवस्था या प्रस्ताव से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संबंध या हित रखने वाला कोई निदेशक संबंधित परिस्थितियों का ज्ञान होने के बाद यथाशीघ्र वह बोर्ड को अपने हित का स्वरूप घोषित करेगा और जब तक कोई सूचना प्राप्त करने के लिए अन्य निदेशकों द्वारा उसकी उपस्थिति की अपेक्षा नहीं की जाएगी तब तक वह ऐसी संविदा, ऋण, व्यवस्था या प्रस्ताव पर चर्चा करते समय बोर्ड की बैठक में उपस्थित नहीं होगा और इस तरह ऐसा कोई निदेशक उपस्थित रहने पर ऐसी संविदा, ऋण, व्यवस्था या प्रस्ताव पर मतदान नहीं करेगा।

बशर्ते कि इस उप-खण्ड में दी गई कोई भी बात ऐसे निदेशकों पर मात्र इसलिए लागू नहीं होगी कि वह

i. कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) मे यथा परिभाषित किसी सार्वजनिक कंपनी में या भारत में तत्समय लागू किसी विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी निगम या किसी सहकारी समिति में, जिसके साथ या जिससे उक्त राष्ट्रीयकृत बैंक ने कोई संविदा, ऋण, व्यवस्था या प्रस्ताव किया हो या करने का प्रस्ताव रखता हो, प्रदत्त पूंजी का दो प्रतिशत से कम धारण करने वाला शेयरधारक (निदेशक के अलावा) है या
ii. राष्ट्रीयकृत बैंक का अधिकारी या अन्य कर्मचारी है, यदि वह अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (3) के खण्ड (ई) या (एफ) के निदेशक है।

पंजाब एण्ड सिंध बैंक (शेयर व बैठकें) विनिमय, 2008

विनियम 10: संयुक्त धारकों के अधिकारों का प्रयोग :

किसी शेयर के दो या अधिक व्यक्तियों के नाम होने की स्थिति में, शेयर के अंतरण के मामले को छोडकर, मतदान करने, लाभांश प्राप्त करने, नोटिस का निष्पादन करने और पंजाब एण्ड सिंध बैंक से संबंधित अन्य सभी या किन्ही मामलों में प्रथम नामधारक को उसका एकल धारक समझा जाएगा।

विनियम 63 : निदेशकों का चयन आम सभा में होगा :

i. अधिनियम की धारा 9 की उपधारा 3 के खण्ड (1) के अनुसार निदेशक का चयन केन्द्र सरकार के अलावा पंजीकृत शेयरधारकों द्वारा बैंक की सामान्य बैठक में उनके बीच में से ही किया जाएगा।
ii. जहां किसी निदेशक का चुनाव किसी भी सामान्य बैठक में होना है, उसके बाद बैठक की सूचना देने वाले नोटिस को शामिल किया जाएगा। इस प्रकार के प्रत्येक नोटिस में चुने जाने वाले निदेशकों की संख्या तथा रिक्तियां जिनके संबंध में चुनाव किया जाना है, उनके विवरण विनिर्दिष्ट किए जाएंगे।

विनियम 64 : शेयरधारकों की सूची :

i. इन विनियमों के विनियम 63 के उप-विनियम (1) के अंतर्गत निदेशक के चुनाव के लिए रजिस्टर में उन शेयरधारकों की एक सूची तैयार की जाएगी जिसके द्वारा निर्देशक का चुनाव किया जाना है।
ii. इस सूची में शेयर धारकों के नाम, उनके पंजीकृत डाक पते, उनके द्वारा पारित शेयरों की संख्या तथा उनके शेयरों के पंजीकृत किए जाने की तारीख तथा चुनाव किए जाने की निर्धारित तारीख को, जिसको बैठक होने वाली है, उनके मतों की संख्या आदि शामिल होंगे और आवेदन पर इस सूची की प्रतिया निदेशक बोर्ड या प्रबंधन समिति द्वारा तय किए जाने वाले मूल्य पर प्रधान कार्यालय में बिक्री के लिए निर्धारित तारीख से कम से कम तीन सप्ताह पूर्व उपलब्ध होनी चाहिए।

विनियम 65 : चुनाव के लिए प्रत्याशियों का नामांकन :

i. निदेशक के रूप में चुनाव हेतु किसी भी प्रत्याशी का कोई भी नामांकन तब तक विधिमान्य नहीं होगा, जब तक कि

a) वह पंजाब एण्ड सिंध बैंक के कम से कम 100 (एक सौ) शेयरों का शेयरधारक न हो।
b) उसे अधिनियम के अंतर्गत अथवा योजना के अंतर्गत नामांकन प्राप्त होने की अंतिम तारीख तक निदेशक होने के लिए अयोग्य घोषित न किया गया हो।
c) उसने अपने नाम पर धारित चाहे संयुक्त रूप से अन्य के साथ या एकल नाम पर बैंक के सभी शेयरों की मांग राशियों का निर्धारित तारीख के पहले भुगतान न कर दिया हो।
d) नामांकन लिखित होना चाहिए और अधिनियम के अंतर्गत निदेशक चुनने के लिए पात्र कम से कम 100 शेयरधारको अथवा उनके विधिवत नियत अटॉनी द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए बशर्ते कि कोई शेयरधारक जो एक कंपनी है, के द्वारा किया गया नामांकन उसके निदेशकों द्वारा पारित संकल्प के तहत किया जाए और जहां ऐसा किया गया हो वहाँ पर बैठक के अध्यक्ष द्वारा संकल्प की प्रति को सत्य प्रतिलिपि के रूप में प्रमाणित करके इसकी एक प्रति बैंक के प्रधान कार्यालय को भेज दी जानी चाहिए और इस प्रति को उस कंपनी की ओर से किया गया नामांकन माना जाएगा।
e) नामांकन के साथ न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, अश्योरेसेज के रजिस्ट्रार अथवा उप रजिस्ट्रार या अन्य राजपत्रित अधिकारी या भारतीय रिज़र्व बैंक के अथवा किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के अधिकारी के सामने हस्ताक्षरित की गई यह घोषणा संलग्न अथवा शामिल होनी चाहिए कि वह नामांकन स्वीकार करता है और चुनाव के लिए खड़ा होना चाहता है और यह कि उसे अधिनियम अथवा योजना अथवा इन विनियमों के अंतर्गत निदेशक चुने जाने के लिए अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।

ii. कोई भी नामांकन तब तक विधिमान्य नहीं होगा जब तक कि यह इससे संबंधित सभी दस्तावेजों के साथ प्रत्येक दृष्टिकोण से पूर्ण रूप में पंजाब एण्ड सिंध बैंक के प्रधान कार्यालय में बैठक के लिए तय तारीख से कम से कम 14 दिन पहले प्राप्त न हो जाए।

विनियम 66 : **नामांकनों की संवीक्षा (जांच) :**

i. नामांकनों की जांच नामांकनों के प्राप्त होने की निर्धारित तारीख के आगामी प्रथम कार्य दिवस को की जाएगी और यदि किसी नामांकन को विधिमान्य नहीं पाया जाता है तो उसे निरस्त कर दिया जाएगा और निरस्त करने का कारण दर्ज किया जाएगा। यदि चुनाव द्वारा भरी जाने वाली किसी विशिष्ट रिक्ति के लिए केवल एक ही वैध नामांकन होता है तब इस प्रकार से नामित व्यक्ति को तुरन्त चुना गया मान लिया जाएगा और उसका नाम और पता इस प्रकार से चुने जाने के लिए प्रकाशित किया जाएगा। इस प्रकार की स्थिति में इस आशय के लिए बुलाई गई बैठक में कोई चुनाव नहीं होगा और यदि बैठक पूर्ण रूप से उपर्युक्त चुनाव के लिए ही बुलाई गई हो तो वह रद्द हो जाएगी।
ii. ऐसी स्थिति में जब चुनाव हो रहा हो तथा जब विधिमान्य नामांकनों की संख्या चुने जाने वाले निदेशकों से अधिक हो तो वह प्रत्याशी जिसे बहुमत प्राप्त होगा उसे चुना हुआ माना जाएगा।
iii. वह निदेशक जिसका चयन किसी मौजूदा रिक्ति को भरने के लिए किया गया है उसने अपना पदभार उस तारीख से संभाल लिया माना जाएगा जिस तारीख को उसका चयन किया गया अथवा जिस तारीख से उसका चुनाव किया गया माना गया है।

विनियम 67: चुनाव विविद

i. यदि किसी ऐसे व्यक्ति की योग्यता अथवा अयोग्यता के बारे में जिसका चयन हुआ है अथवा जिसे चुना हुआ घोषित किया गया है। अथवा किसी निदेशक के चुने जाने की वैधता के बारे में कोई संदेह अथवा विवाद उठता है तो कोई भी ऐसा व्यक्ति, प्रत्याशी या शेयरधारक जो इस प्रकार के चुनाव में मतदान करने के लिए पात्र है, वह इस प्रकार के चुनाव के परिणाम की घोषणा के 7 दिन के भीतर बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को इसकी लिखित सूचना दे सकता है और उक्त सूचना में उसे उन आधारों का पूर्ण विवरण देना होगा जिन पर वह चुनाव की वैधता पर संदेह या विवाद करता है।
ii. उप विनियम (1) के अंतर्गत इस प्रकार की सूचना प्राप्त होने पर अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक अथवा उनकी अनुपस्थिति में बैंक के कार्यपालक निदेशक इस प्रकार के संदेह या विवाद को निर्णय के लिए उस समिति को भेज देंगे जिसमें अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक अथवा उनकी अनुपस्थिति में बैंक के कार्यपालक निदेशक और कोई दो निदेशक हों जिन्हें अधिनियम की धारा 9 की उप धारा 3 के खण्ड (ख) और (ग) के अन्तर्गत नामित किया गया है।
iii. उप विनियम (i) में उल्लिखित समिति ऐसी जांच करेगी जैसा वह ठीक समझे और यदि उनके सामने यह आता है कि चुनाव विधि मान्य चुनाव था तब वह चुनाव के घोषित परिणामों की पुष्टि करेगी अथवा यदि उनके समक्ष ऐसा पाया जाता है कि चुनाव विधिमान्य नहीं था, तब वह जांच प्रारंभ होने के 30 दिन के भीतर ऐसे आदेश देंगे और नया चुनाव कराने सहित, जैसा कि समिति परिस्थितियों के अनुरूप ठीक समझे, निर्देश जारी करेगी।
iv. इस विनियम के अनुरूप ऐसी समिति द्वारा दिया गया आदेश व निर्देश निर्णायक होगा।

विनियम 68: मताधिकार का निर्धारण :

i. अधिनियम की धारा 3 (2ई) में दिए गए प्रावधानों के अध्यधीन सामान्य बैठक की तारीख के पहले रजिस्टर बंद होने की तारीख पर जिसे शेयरधारक के रूप में पंजीकृत किया गया है, ऐसे प्रत्येक शेयरधारक को हाथ उठाकर एक मत देने का अधिकार और यदि चुनाव होता है तो उसके नाम पर दर्ज प्रत्येक शेयर के लिए उसे एक मत देने का अधिकार होगा।
ii. अधिनियम की धारा 3(2ई) में दिए गये प्रावधानों के अध्यधीन, उपर्युक्त के अनुसार मत देने के लिए पात्र प्रत्येक शेयर धारक, जो एक कंपनी नहीं है, जो स्वयं अथवा परोक्षी के माध्यम से उपस्थित हो अथवा जो कंपनी है वह उसके विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि अथवा परोक्षी के माध्यम से उपस्थित हो, उसे हाथ उठाकर वोट देने की दशा में एक मत देने और चुनाव की स्थिति में उप विनियम (i) में यहां उपर्युक्त के अनुरूप उसके द्वारा धारित प्रत्येक शेयर के लिए एक मत देने के लिए पात्र होगा।
स्पष्टीकरण: इस अध्याय के लिए कम्पनी' से तात्पर्य कोई भी कॉरपोरेट निकाय से है।

iii. बैंक के शेयर धारक सामान्य बैठक में भाग लेने एवं वोट देने के लिए पात्र होंगे तथा वे किसी अन्य व्यक्ति को (शेयरधारक हो अथवा नहीं) उनके स्थान पर बैठक में भाग लेने एवं वोट देने के लिए परोक्षी नियुक्त करेंगे, परंतु ऐसे किसी बोलने का अधिकार नहीं होगा।

विनियम 69: विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से मतदान :

i. कोई शेयर धारक, वह केन्द्र सरकार हो अथवा कंपनी, एक संकल्प के द्वारा, जैसा मामला हो, अपने किसी अधिकारी को अथवा किसी अन्य व्यक्ति को शेयरधारकों की किसी सामान्य बैठक में अपने प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने हेतु प्राधिकृत कर सकता है और इस प्रकार से प्राधिकृत व्यक्ति (जिन्हें इन विनियमों में विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि कहा गया है) केन्द्र सरकार की ओर से अथवा जिस कंपनी का वह प्रतिनिधित्व करता है उसकी ओर से इस प्रकार से उनके अधिकार का प्रयोग कर सकेगा जैसे कि वह स्वयं बैंक का शेयर धारक हो, इस प्रकार दिया गया प्राधिकार विकल्पतः दो व्यक्तियों के नाम पर हो सकता है और ऐसे मामलों में इनमें से कोई व्यक्ति केन्द्र सरकार कम्पनी के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर सकता है।
ii. बैठक के लिए निर्धारित की गई तारीख से कम से कम चार दिन पहले बैंक के प्रधान कार्यालय में विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि नियुक्ति किए जाने संबंधी संकल्प की उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि जमा न कराने की दशा में कंपनी के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कोई भी व्यक्ति बैंक के शेयरधारकों की किसी बैठक में न तो भाग ले सकेगा और न ही मतदान कर सकेगा।

भारतीय रिजर्व बैंक के (सार्वजनिक बैंकों के बोर्ड में चुने गए निदेशकों के लिए 'उचित एवं उपयुक्त' मापदंड) दिशा-निर्देश, 2019:
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा बैंकिंग कम्पनी (उपक्रमों का अभिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 1970/1980 की धारा 9 की उप-धारा (3एए) के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी की गई अधिसूचना आरबीआई / डीबीआर/ 201-20/71 मास्टर निर्देश डीबीआर एपीपीटी सं. 9/29,67,001/2019- दिनांक 2 अगस्त, 2019 द्वारा बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अभिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 80 की उप-धारा 9(3)(i) के उपबंधों के अंतर्गत उपयुक्त और उचित मानदंड निर्धारित किए गए हैं, जिन्हें पीएसबी के बोर्ड में निदेशक के रूप में निर्वाचित किये जा रहे व्यक्तियों द्वारा पूरा किया जाना है।

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देश की मुख्य विशेषताएं :
'उपयुक्त और उचित" स्तर आदि का निर्णय करने के लिए प्राधिकारी, पद्धति/ क्रियाविधि तथा मानदंड निम्नानुसार होंगे:

(क) प्राधिकारी

बैंकिंग कंपनियों की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (i) के तहत निदेशक के रूप में चुने जाने के लिए व्यक्तियों की 'उपयुक्त और उचित' स्थिति का निर्धारण करने के लिए उचित परिश्रम की प्रक्रिया शुरू करने के लिए (अधिग्रहण और हस्तांतरण का उपक्रम) अधिनियम, 1970/1980 के तहत सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों को एक "नामांकन और पारिश्रमिक समिति" का गठन करना आवश्यक है (समिति) जिसमें निदेशक मंडल के सदस्यों में से कम से कम तीन गैर-कार्यकारी निदेशक हों, उनमें से कम से कम आधे स्वतंत्र निदेशक होना चाहिए और बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति के कम से कम एक सदस्य को शामिल करना चाहिए। भारत सरकार के नामित निदेशक और बैंकिंग कंपनियों की धारा 9 (3) (ग) (उपक्रमों का अधिग्रहण और स्थानांतरण) अधिनियम, 1970/1980 के तहत नामित निदेशक समिति का हिस्सा नहीं होंगे।

बैंक के गैर-कार्यकारी अध्यक्ष को समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन ऐसी समिति की अध्यक्षता नहीं करेगा। बोर्ड को उनमें से एक को समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित करना चाहिए। अध्यक्ष सहित तीन कोरम आवश्यक है। यदि किसी भी नामित सदस्य की अनुपस्थिति होने के कारण कोरम प्राप्ति के लिए, बैठक के लिए उसके स्थान पर बोर्ड किसी अन्य गैर-कार्यकारी निदेशक को नामित कर सकता है। समिति के गठन के समय, बोर्ड अपने कार्यकाल पर निर्णय ले सकता है।

(ख) पद्धित और क्रियाविधि

बैंक चुनाव हेतु अपना नामांकन दर्ज करने वाले व्यक्तियों से निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक जानकारी तथा घोषणा और वचन प्राप्त करेगा। समिति नामांकन की मंजूरी हेतु निर्धारित अंतिम तारीख के बाद बैठक करेगी तथा नीचे दिए गए मानदंडों के आधार पर निर्धारित करें कि व्यक्ति की उम्मीदवारी स्वीकार की जानी चाहिए या नहीं । समिति की बैठक में हुई चर्चा को औपचारिक कार्यवृत्त के रूप में उचित प्रकार से रिकॉर्ड किया जाना चाहिए तथा यदि मतदान हुआ है तो उसे भी नोट किया जाना चाहिए। हस्ताक्षरित घोषणा में उपलब्ध जानकारी के आधार पर, समिति उम्मीदवार की स्वीकार्यता या अस्वीकार्यता के बारे में निर्णय लेगी और यह सुनिश्चित करने के लिए उम्मीदवार निर्दिष्ट अनिवार्यताओं को पूरा करता है या नहीं यह निर्णय करने के लिए यदि आवश्यक समझे उचित प्राधिकारी / व्यक्ति से सम्पर्क कर सकती है।

(ग) मानदंड

नामांकन समिति को नीचे दिए गए बोर्ड मानदंड़ों के आधार पर प्रस्तावित उम्मीद्वारों के "उपयुक्त तथा उचित" स्तर का निर्धारण करना चाहिए:

i. **आयु** - चुनाव हेतु नामांकन दर्ज करने के लिए निर्धारित कट-ऑफ़ तारीख को उम्मीद्वार की आयु 35 से 67 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
ii. **शैक्षणिक अहर्ता** - उम्मीदवार कम से कम स्नातक होनी चाहिए।
iii. **अनुभव व विशेषज्ञता का क्षेत्र –** उम्मीदवार को आरबीआई परिपत्र डीबाआर.एपीपीटी.बीसी सं.39/2.39.001/2016-17 दिनांत 24 नवम्बर, 2016 के साथ पठित बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 9 (3ए)(ए)/सेबी अधिनियम की धारा 19 ए(ए) में वर्णित एक या अधिक मामलों के संबंध में विशेष जानकारी या प्रायोगिक अनुभव होना आवश्यक है।
iv. **अयोग्यता** - राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970/80 के खंड 10 में निर्धारित 'निदेशकों की अयोग्यता' के

अतिरिक्त:

a. उम्मीदवार को किसी भी बैंक या रिज़र्व बैंक या वित्तीय संस्थान (एफआई) या बीमा कंपनी या किसी अन्य बैंक में गैर-ऑपरेटिव वित्तीय होल्डिंग कंपनी (NOFHC) के बोर्ड का सदस्य नहीं होना चाहिए।

स्पष्टीकरण: इस उप-पैरा एवं उप पैरा (सी) के उद्देश्य हेतु, "बैंक" शब्द किसी बैंकिंग कंपनी, अनुरूप नए बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, सहकारी बैंक एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में शामिल होगा।

b. किराया खरीद, वित्त पोषण, धन उधार देना, निवेश, पट्टे पर देने एवं बैंकिंग संबंधित अन्य गतिविधियों से जुड़े व्यक्ति को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के बोर्ड में चयनित निदेशक के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा। यदि ऐसी कंपनियों के निवेशको का उन कम्पनियों पर प्रबंधकीय नियंत्रण नहीं है तो उन्हें निदेशक के रूप में नियुक्ति हेतु आयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा।
c. कोई भी व्यक्ति जिसने अतीत में किसी भी श्रेणी के अंतर्गत निदेशक के रूप में चाहे निरंतर या अंतराल पर छः वर्ष तक किसी बैंक (जिसमें वह बैंक शामिल है जिसमें उसने अतीत में निदेशक के रूप में कार्य किया है)/ एफआई/आरबीआई/बीमा कम्पनी के बोर्ड में निदेशक के रूप में कार्य किया है, ऐसे व्यक्ति को बैंक के बोर्ड में निर्वाचित/पुनर्निर्वाचित नहीं किया जा सकता है।
d. ऐसे व्यक्ति को स्टॉक ब्रोकिंग के व्यवसाय में संलग्न नहीं होना चाहिए।
e. ऐसा व्यक्ति संसद या राज्य विधानमंडल या नगर निगम या नगर पालिका या अन्य स्थानीय निकायों (अर्थात् क्षेत्रीय परिषद,नगर परिषद, पंचायत, ग्राम सभा, जिला परिषद इत्यादि के रूप में अधिसूचित) का सदस्य नहीं होना चाहिए।
f. ऐसे व्यक्ति को किसी सनदी लेखाकार फर्म के साझीदार के रूप में कार्यरत नहीं होना चाहिए जो कि वर्तमान में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या भारतीय स्टेट बैंक के सांविधिक केंद्रीय लेखापरीक्षक के रूप में संबद्ध हो।
g. ऐसे व्यक्ति को किसी सनदी लेखाकार फर्म के साझीदार के रूप में कार्यरत नहीं होना चाहिए जो कि वर्तमान में किसी बैंक के सांविधिक शाखा लेखापरीक्षक या समवर्ती लेखापरीक्षक के रूप में संबद्ध हो, जिसमें चुनाव हेतु नामांकन भरा गया है।

v. **कार्यकाल** - चुने गए निदेशक का कार्यकाल तीन वर्ष होगा और वह पुनर्निर्वाचन हेतु पात्र होगा:
बशर्ते कि ऐसा कोई भी निदेशक छह वर्ष की अवधि से अधिक समय तक अपने पद पर नहीं रह सकेगा, चाहे उसने निरंतर या अंतराल पर कार्य किया हो।

vi. **व्यावसायिक प्रतिबंध**
a. ऐसे व्यक्ति का न तो संबंधित बैंक के साथ कोई कारोबारी संबंध (विधिक सेवाएं, परामर्श सेवाएं इत्यादि सहित) होना चाहिए न ही उसे ऐसी गतिविधियों में संबद्ध होना चाहिए जो कि उस बैंक के साथ कारोबारी हितों में टकराव उत्पन्न करे।
b. ऐसे व्यक्ति के किसी बैंक या अन्य किसी बैंक वाली किसी एनओएफएचसी के साथ किसी भी प्रकार के व्यावसायिक संबंध नहीं होने चाहिए।
c. चुनाव हेतु नामांकन भरते समय बैंक के साथ ऐसा संबंध रखने वाले किसी व्यक्ति को मद (ख) के अंतर्गत अपेक्षा को पूरा करने वाला मान लिया जाएगा, ऐसा व्यक्ति समिति को एक घोषणा प्रस्तुत करेगा कि यदि वह निदेशक के रूप में चुना जाता है और निर्वाचित होता है, तो बैंक के निदेशक के रूप में नियुक्ति से पूर्व उसका ऐसा संबंध समाप्त हो जाएगा।

vii. **पिछला कार्यनिष्पदन रिकार्ड व निष्ठा –** ऐसे व्यक्ति को किसी नियमक या पर्यवेक्षी प्राधिकरण/एजेंसी या विधि प्रवर्तन एजेंसी से प्रतिकूल नोटिस नहीं मिला हो तथा वह व्यक्ति समिति किसी भी ऋण संस्थान का चूककर्ता नहीं होना चाहिए।

बैंकों को निर्वाचित निदेशक से निम्न प्राप्त करना चाहिए :

(a) निदेशक का पदभार ग्रहण करने से पहले ऐसे व्यक्ति को अनुबंध में दिए गए प्रारूप में निष्पादित विलेख;
(b) प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को इस संबंध में एक साधारण घोषणा कि ऐसे व्यक्ति द्वारा पहले उपलब्ध कराई गई सूचना में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।
(c) जहां निर्वाचित निदेशक यह सूचित करते है कि पहले दी गई सूचना में परिवर्तन है, तो बैंक ऐसे निदेशक से नई घोषणा प्राप्त करेंगे जिसमें परिवर्तन किए गए है।

बैंक बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 20 का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। इसके अतिरिक्त,

(a) चयनित सी.ए. निदेशकों/उनके फर्म के ग्राहकों के उचित प्रकटन सहित, सुरक्षा की उचित व्यवस्था स्थापित करना। इसके अतिरिक्त यह भी सुनिश्चित करना कि वे उनके/फर्म के ग्राहकों के बैंक ऋण/निवेश के निर्णय में शामिल न हों। चयनित सी.ए. निदेशक के लिए यह आवश्यक है कि वे अनिवार्यतः इस पूरी प्रक्रिया से स्वयं को अलग करें तथा इस संबंध में शर्तों पर हस्ताक्षर करें।
(b) यह व्यवस्था करना कि चयनित निदेशक, अपने हितों की कारोबारी इकाइयों में निदेशक होने का पूर्ण तथा उचित प्रकटन करें। इसके अतिरिक्त संबंधित निदेशक, उनसे संबंधित संस्थाओं से संबद्ध बैंक के ऋण/निवेश के निर्णयों से व्यक्तिगत रूप से स्वयं को करें।
(c) निदेशक रूप में चयनित किसी व्यक्ति को निदेशक के रूप में पद छोड़ने के दो वर्ष के बाद की अवधि तक संबंधित बैंक में कोई पेशेवर काम आबंटित न करना।

जहाँ चयनित निदेशक :

(a) विफल होता है:
  (i) 'शर्तों का विलेख' या घोषणा प्रस्तुत करना; या
  (ii) उचित प्रकटन करना; या
  (iii) ऋण/निवेश संबंधी निर्णयों में सहभागिता करने से बचना, जहाँ उसका हित है; या
(b) अधूरा या गलत प्रकटन करना, या
(c) ऐसी गतिविधियों में शामिल होना जो उपर्युक्त मानदंडों के अनुसार उन्हें "अयोग्य तथा अनुचित प्रतिपादित करते हैं। ऐसे निदेशक के संबंध में यह माना जाएगा कि वे बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970/1980 की धारा 9 की उप-धारा (3एए) की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं तथा वे इसके परिणाम के लिए जिम्मेदार होंगे।

भारत सरकार की अधिसूचना दिनांकित 25 जनवरी, 2021
भारत सरकार ने 25 जनवरी, 2021 को राष्ट्रीयकृत बैंकों (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970/1980 में एक विशेष प्रावधान (खण्ड 14क) सम्मिलित करते हुए अधिसूचित किया:

"जहां किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से विधि द्वारा कोई कार्रवाई या बात करने की अपेक्षा है और ऐसा करने के लिए बैंक के बोर्ड की किसी समिति की सिफारिशों या अवधारण, या उसके द्वारा प्रतिभूतिधारकों की शिकायतों का समाधान, या किसी नियुक्ति, उसके के संबंध में उसके अनुमोदन या पुनर्विलोकन की अपेक्षा है, और यदि बोर्ड का यह समाधान हो जाता है कि ऐसी समिति का, ऐसी समिति में कोई रिक्ति विद्यमान होने अथवा उसके किसी सदस्य के इससे अलग होने के कारण बैठक के लिए गणपूर्ति पूरी नहीं हो सकती है तो बोर्ड उक्त कार्रवाई अथवा बात को कर सकते है"।

अंशकालिक गैर-कार्यकारी निदेशक के चयन के लिए दिशानिर्देश
भारत सरकार ने अपने पत्र दिनांकित 3 सितंबर, 2013 के माध्यस से परामर्श दिया है कि बोर्ड की नामांकन समिति शेयरधारक निदेशक के 'उपयुक्त तथा उचित स्थिति' का भी निर्धारण करते समय, गैर-कार्यकारी निदेशक (एनओडी) के लिए भारत सरकार द्वार जारी दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखे। भारत सरकार ने अपने पत्र दिनांकित 28 अप्रैल 2015 के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को संशोधित दिशानिर्देश दिनांकित 25 मार्च, 2015 तथा अपने पत्र दिनांकित 20 जुलाई 2016 के माध्यम से संशोधन दिनांकित 08 जुलाई 2016 अग्रेषित किए हैं, जिसका सार निम्नानुसार है:-

क) सामान्य:
1. संबंधित अधिनियमों/नियमों के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए नामांकन किए जाएंगे।
2. नामंकितियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन औपचारिक योग्यता और विशेषज्ञता, ट्रैक रिकॉर्ड, सत्यानिष्ठा आदि के अनुसार की जा सकती है। सत्यानिष्ठा और उपयुक्तता का आंकलन करने हेतु आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी, वित्तीय स्थिति, व्यक्तिगत ऋण लेने के लिए की गई नागरिक कार्यवाही, पेशेवर-निकायों से प्रवेश या निकासी से इनकार, नियामकों और समान निकायों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों तथा पूर्व संदेहास्पद कारोबारी गतिविधियों आदि को आधार माना जाएगा।

ख) अनुभव:
1. कृषि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, बैंकिंग, सहकारिता, अर्थशास्त्र, व्यवसाय प्रबंधन, मानव संसाधन, वित्त, कॉर्पोरेट कानून, जोखिम प्रबंधन, उद्योग और आईटी के क्षेत्रों में विशेष शैक्षणिक प्रशिक्षण या व्यवहारिक अनुभवधारक व्यक्ति पर सामान्य रूप से विचार किया जाएगा। किसी वरिष्ठ पद पर 20 साल के उद्योग का अनुभव, संबंधित क्षेत्रों में स्थापित विशेषज्ञता (सफलतापूर्वक एक प्रतिष्ठित संगठन का नेतृत्व किया, एक असफल संगठन में परिवर्तन लाया) को प्राथमिकता दी जाएगी।
2. कुल 20 वर्षों के अनुभवधारक सेवानिवृत वरिष्ठ सरकारी अधिकारी और संयुक्त सचिव और उससे ऊपर के स्तर पर कम से कम 10 वर्षों का अनुभव। सेवानिवृत्ति के एक वर्ष बाद सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के सेवानिवृत सीएमडी/ईडी। भूतपूर्व सीएमडी/ईडी की उस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के बोर्ड में एनओडी के रूप में नियुक्ति पर विचार नही किया जाएगा, जहां से वे सेवानिवृत हुए हो। पीएसबी के सेवारत सीएमडी/ईडी को किसी अन्य पीएसबी के बोर्ड में एनओडी के रूप में नियुक्ति पर विचार नहीं किया जाएगा।
3. प्रिमियर प्रबंधन बैंकिंग संस्थानों के शिक्षाविद निदेशक और प्राध्यापक (प्रोफेसर) जिन्हें 20 वर्षों का अधिक अनुभव हो।
4. ऐसे सनदी लेखाकार जिन्हें 20 वर्षों का अनुभव हो (लेखापरीक्षा के अनुभव को छोडकर) को भी वरीयता दी जाएगी।
5. हालांकि, प्रकरणों के गुणावगुण आधार पर असाधारण मामलों में वित्त मंत्री के अनुमोदन से अनुभव मानदंड में रियायत दी जा सकती है।
6. जहां तक संभव हो महिलाओं और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय के व्यक्तियों को भी प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है।

ग) शिक्षा:
एनओडी किसी भी संकाय में स्नातक होना चाहिए, अधिमान्यतः व्यवसाय-प्रबंधन, जोखिम प्रबंधन, वित्त, मानव संसाधन और आईटी में विशेषज्ञता।

घ) आयु:
समिति द्वारा सिफारिश की तारीख पर निदेशक की आयु 67 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

ङ) कार्य अनुभवः

आमतौर पर पेशेवर/शिक्षाविदों को उनके क्षेत्र विशेष में काम करने का 20 वर्ष का अनुभव होना चाहिए।

च) अयोग्यताएः

1. बैंक/वित्तीय संस्था (एफआई)/भारतीय रिज़र्व बैंक/बीमा कंपनी में किसी भी श्रेणी के अंतर्गत पहले से ही निदेशक के रूप में होने पर किसी भी अन्य बैंक/वित्तीय संस्था में एनओडी के रूप में नामांकन के पर विचार नहीं किया जा सकता है।

2. किराया खरीद, वित्त पोषण, निवेश, पट्टे पर देने और अन्य पैरा बैंकिंग गतिविधियों के साथ जुड़े व्यक्ति, सांसद, विधायक, एमएलसी और स्टॉक ब्रोकर्स को बैंकों/ वित्तीय संस्थानों के बोर्ड में गैर-कार्यकारी निदेशकों के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा। यदि हायर पर्चेज़, वित्त पोषण, निवेश, पट्टे पर देने और अन्य पैरा बैंकिंग गतिविधियों में संलग्न निवेशकों का इस प्रकार के कंपनियों में कोई प्रबंधकीय नियंत्रण नहीं है तो एनओडी के रूप में नियुक्त होने के लिए उन्हें अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा।

3. किसी भी व्यक्ति ने विगत में किसी भी श्रेणी के अंतगर्त निदेशक के तौर पर बैंक/वित्तीय संस्था के निदेशक मंडल में दो कार्यकालों या छह वर्ष (जो भी अधिक हो) तक सेवाएं दी हों, उसे उसी बैंक/वित्तीय संस्था में निदेशक के रूप में पुनः नामित नहीं किया जा सकता है।

4. सनदी लेखाकार, यदि उसका/उसकी फर्म वर्तमान में किसी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षा के रूप में प्रवृत्त है।

5. सनदी लेखाकार, यदि उसका/उसकी फर्म वर्तमान में बैंक में सांविधिक शाखा लेखापरीक्षक या समवर्ती लेखापरीक्षक के रूप में प्रवृत्त है।

छ) कार्यकाल:

बैंक/वित्तीय संस्थान/आरबीआई/बीमा कंपनी के बोर्ड में निदेशक के रूप में नामांकन के लिए एनओडी पर विचार नहीं किया जाएगा यदि ऐसा निदेशक पहले से ही किसी अन्य बैंक/वित्तीय संस्थान/आरबीआई/बीमा कंपनी के बोर्ड पर छह वर्षों के लिए लगातार या सविरामता से एनओडी/ शेयरधारक-निदेशक रह चुके हैं।

ज) व्यवसायिक प्रतिबंध

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 के खंड 10 (डी) के अंतर्गत किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में व्यावसायिक प्रतिबंध का मामला बनाम लाभ के पद की पृथक रूप से जांच की जा सकती है।

झ) क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बोर्डों पर देश के सभी छह क्षेत्रों उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, मध्य और उत्तर-पूर्व को एक साथ लेकर प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए।

जैसा कि आरबीआई निर्देश और भारत सरकार दिशानिर्देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों की प्रकृति एक समान है, बैंक उम्मीदवारों के 'उचित और उपयुक्त' स्थिति का निर्धारण करते समय दोनों प्रतिबंधों पर विचार कर सकता है।

पंजाब एण्ड सिंध बैंक
(भारत सरकार का उपक्रम)
प्रधान कार्यालयः 21, राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली-110008
कार्पोरेट कार्यालयः एनबीसीसी ऑफिस कॉम्प्लेक्स, ब्लॉक 3 पूर्वी किदवई नगर, नई दिल्ली-110023

बैंक का नामः पंजाब एण्ड सिंध बैंक

प्रस्तावित निदेशको (उम्मीदवार) द्वारा घोषणा एवं वचन
(यथोचित संलग्नकों सहित)

यहां पासपोर्ट साईज फोटो लगाएं

क्र. सं.	विवरण	दी गई जानकारी
I. व्यक्तिगत विवरण		
a	नाम	प्रथम नाम / मध्य नाम / अंतिम नाम
b	वर्तमान पता	
c	राष्ट्रीयता	
d	जन्मतिथि तथा आयु	__/__/____, आयु: ____वर्ष ___ माह ___ दिन
e	शैक्षिक योग्यता	
f	निदेशक पहचान संख्या	
g	आधार संख्या	
h	(क) स्थायी खाता संख्या (पैन) (ख) आयकर सर्किल/वार्ड का नाम/पता जहां प्रस्तावित निदेशक के कर (आयकर क्षेत्राधिकार) का निर्धारण किया जाता है। (ग) गत 3 वर्षों के लिए रिटर्न फ़ाइल करने और करों के भुगतान का विवरण	फाइल करने की तिथि / प्रदत्त कर राशि (₹ में)
i	स्थाई पता	
j	ईमेल /वैकल्पिक ईमेल का पता : एसटीडी कोड सहित टेलीफोन नंबर : मोबाइल नंबर :	
k	प्रासंगिक ज्ञान और अनुभव [संदर्भ लें- • बैंककारी विनियम अधिनीयम, 1949 की धारा 10ए (2) • कैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970/1980 की धारा 9 (3 ए) • एसबीआई अधिनियम, 1955 की धारा 19 ए (i) यथास्थिति बैंककारी कंपनी के लिए उपयोगी विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव पर आरबीआई परिपत्र डीबीआर.एपीपीटी. बीसी सं. 39/29.39.001/2016-17 दिनांकित 24 नवंबर, 2016 के साथ पठित]	

l	वर्तमान पेशा (पदनाम, संगठन का नाम और अनुभव के संबंध में संक्षिप्त लेख)	
m	पिछले न्यूनतम 10 वर्षों का पेशा, जिन संगठनों में कार्य किया है, उनके पूर्ण पते, कार्यभार ग्रहण करने की तारीख, कार्यभार मुक्त होने की तिथि (कारण सहित) पदनाम आदि।	
n	सनदी लेखाकार के संबंध में, निम्नलिखित की सूचना देः (क) भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) की सदस्यता संख्याः (ख) आईसीएआई में पंजीकरण की तिथिः (ग) पंजीकृत फर्म/फर्मों का नाम व पताः (घ) फर्म/फर्मों या आपके द्वारा वर्तमान में की गई लेखा परीक्षा (ओं) का विवरणः	
o	शाखा का नाम तथा खाता संख्या (बचत/चालू/ऋण खाते) के साथ बैंक/को का नाम, जहां आप एक मूल खाताधारक हैं। डीमैट खातों का विवरण (यदि कोई हो) (प्रतिलिपि संलग्न करें)	बैंक का नाम | शाखा | खाते का प्रकार | खाता संख्या
p	सभी क्रेडिट सूचना कंपनियों (सीआईसीएस) से समेकित क्रेडिट सूचना रिपोर्ट (सभी मॉड्यूल सहित)	
q	बैंक की निदेशकता से संबंधित जानकारी	

ll **प्रस्तावित निदेशक से संबंधित रिश्ता**

a	रिश्तेदारों की सूची, यदि कोई हो, जो किसी भी बैंक से किसी प्रकार से जुड़े हैं {कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 की उप-धारा 77 तथा कंपनी (परिभाषा का विशेषीकरण) नियम, 2014 के नियम 4 का संदर्भ लें}		
b	(i) संस्थाओं की सूची, यदि कोई हो, जिनमें उस पर हित लेने के लिए विचार किया जा सकता है (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 184 का संदर्भ लें)। बैंकों/एनबीएफसीएस/ कंपनियों/निकायों कॉर्पोरेट/फर्मों/व्यक्तियों के संघ आदि के नामों का पृथक रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए। (ii) ऐसी संस्थाएँ जिनमें वह हिताधिकारी स्वामित्व रखता/रखती हों (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 89 और 90 का संदर्भ लें और एमसीए के प्रमुख हिताधिकारी स्वामित्व नियमों का भी संदर्भ लें) (iii) न्यासों की सूची जिसमें ट्रस्टी के रूप में पदस्थ है।		
c	वर्तमान और प्रस्तावित संस्थाओं की सूची, जिनमें वह बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5 (एनई)*की परिभाषाओं के अंतर्गत पर्याप्त हित रखता/रखती हैं। पर्याप्त हित (i) किसी कंपनी के संबंध में, इसका तात्पर्य है किसी व्यक्ति या उसके जीवन साथी या उसके अव्यस्क बच्चे द्वारा अकेले या साथ मिलकर कंपनी के शेयरों में पाँच लाख रुपये से अधिक या कंपनी की चुकता पूंजी का 10 प्रतिशत जो भी कम हो, लाभार्थी हित धारण करना; (ii) एक फर्म के संबंध में, इसका तात्पर्य है कि किसी व्यक्ति या उसके जीवनसाथी या उसके अव्यस्क बच्चे द्वारा अकेले या साथ मिलकर उक्त फर्म के सभी भागीदारों द्वारा अभिदत्त कुल पूंजी का दस प्रतिशत से अधिक का प्रतिनिधित्व करना।	कंपनी/फर्म का नाम	
		निगमीकरण देश	
		शेयरों की संख्या	
		प्रत्येक शेयर का अंकित मूल्य	
		शेयरधारिता का कुल अंकित मूल्य	
		कुल चुकता पूंजी की % रूप में शेयरधारिता	
		लाभकारी हित (मूल्य के साथ-साथ % के रूप में)	
		क्या संस्था कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत धारा 8 की कंपनी है।	
d	विदेशों में निगमित संस्थाओं में शेयरपूंजी और भारत में व्यवसाय के स्थान का विवरण		

e	बैंक/एनबीएफसी/किसी अन्य कंपनी का नाम जिसमें वर्तमान/ पूर्व में बोर्ड के सदस्य/सलाहकार आदि हैं/थे (ऐसे कार्यालय में पदधारिता की अवधि का विवरण दें)	
f	आपके द्वारा तथा/या बैंक की ओर से उपरोक्त ॥ (b) से (d) में सूचीबद्ध इकाई द्वारा वर्तमान में ली गई निधि और गैर-निधि सुविधाएं (यदि हो)	
g	ऐसे मामले (यदि हो) जहां आप या उपर्युक्त बिंदु ॥ (b) से (d) में सूचीबद्ध इकाईयों ने बैंक/किसी अन्य बैंक/एनबीएफसी से प्राप्त ऋण सुविधाओं के संबंध में चूक की है या विगत 10 वर्षों में चूककर्ता रह हो।	
h	प्रकरण (यदि हो)जहां वह चूककर्ता है या किसी बैंक/एनबीएफसी /किसी अन्य उधार देने वाले संस्थान द्वारा इरादतन चूककर्ता घोषित किया गया है।	

III. व्यवसायिक उपलब्धियों का अभिलेख

A	निदेशक पद के लिए प्रासंगिक व्यवसायिक उपलब्धियां	
IV. उम्मीदवार के विरुद्ध कार्यवाहियाँ, यदि कोई हों,		
a	यदि वह किसी व्यावसायिक संगठन/निकाय का सदस्य है तो अनुशासनात्मक कार्रवाई का विवरण (यदि हो), लंबित या आरंभ की गई या गत समय में उनके विरुद्ध दोष सिद्धि हुई हो जहाँ उन्हें कभी भी किसी व्यवसाय/पेशे में प्रवेश से प्रतिबंधित किया गया हो	
b	आर्थिक कानूनों और विनियमों के उल्लंघन के लिए उसके या उपरोक्त ॥ (b) से (e) में सूचीबद्ध किसी भी संस्था के विरुद्ध विगत में लंबित या प्रारंभ किए गए या परिणाम में दोषी ठहराया गए अभियोग का विवरण (यदि हो)	
c	लंबित या आरंभ किए गए या दोषसिद्धि पाए गए का विवरण आपराधिक अभियोग का विवरण, यदि कोई हो	
d	क्या निदेशक में कंपनी अधिनियम, 2013 का धारा 164 के तहत परिकल्पित कोई अयोग्यता है, तो उसका विवरण ।	
e	क्या वह या उपरोक्त ॥ (b) और (e) में विनिर्दिष्ट कोई इकाई सरकारी विभाग या एजेंसी के दृष्टांत पर किसी भी जाँच के अधीन है।	
f	यदि वह सीमा शुल्क/उत्पाद शुल्क/ आयकर/विदेशी विनिमय/ अन्य राजस्व प्राधिकरणों द्वारा नियमों/विनियमों/विधि संबंधी अपेक्षाओं के उल्लंघन के संबंध में दोषी पाया गया है तो उसका विवरण ।	
g	क्या वह कभी भी किसी नियामक संस्था जैसे सेबी, आईआरडीएआई, पीएफआरडीए आदि के प्रतिकूल नोटिस में आया है। (यद्यपि उम्मीदवार के लिए नियामकों द्वारा जारी आदेशों और परिणामों के बारे में कॉलम में उल्लेख करना आवश्यक नहीं होगा जो बाद में पूर्णतः रिवर्स/ रद्द (सेटिंग असाइड) किया गया हो, यदि रिवर्सल/अपास्त किया जाना योग्यता के आधार पर न होकर तकनीकी कारणों जैसे क्षेत्राधिकार की परिसीमा या अभाव के आधार पर हो तो उक्त का उल्लेख किया जाना अनिवार्य है। यदि आदेश पर अस्थायी रूप से रोक लगाई गी है और अपीलीय/न्यायालय की कार्यवाही लंबित है, तो उसका भी उल्लेख किया जाए)	
V. मद संख्या I से IV के संबंध में कोई अन्य स्पष्टीकरण/जानकारी और 'उचित व उपयुक्त' मूल्यांकन के लिए प्रासंगिक अन्य जानकारी		

घोषणा

मैं पुष्टि करता/करती हूं कि उपर्युक्त सूचना मेरी संपूर्ण जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य एवं पूर्ण है। मैं वचन देता/देती हूं कि, मेरी नियुक्ति के पश्चात् घटित होने वाली सभी घटनाओं की पूर्ण जानकारी मैं यथा संभव शीघ्रता से बैंक को दूंगा/दूंगी जो कि उपर्युक्त उपलब्ध कराई गई सूचना से संबंधित है। मैं वचन देता/देती हूँ कि मैं स्वयं को बैंक के लेखापरीक्षा कार्य से दूर रखूगां/रखूंगी उन इकाइयों जिनमें मैं हितबद्ध हूँ, के

बैंक ऋण/निवेश निर्णयों में भाग नहीं लूंगा/लूंगी। मैं यह भी वचन देता/देती हूं कि, बैंक के निदेशको द्वारा निष्पादित किए जाने हेतु अपेक्षित प्रसंविदा विलेख को निष्पादित करूंगा/करूंगी।	
स्थान:	उम्मीदवार के हस्ताक्षर
दिनांक:	
अपने आप में संतुष्ट होने पर एनआरसी/ निदेशक मंडल की टिप्पणी यह कि उक्त सूचना सत्य एवं पूर्ण है।	
स्थान: दिनांक:	अध्यक्ष के हस्ताक्षर

पंजाब एण्ड सिंध बैंक
(भारत सरकार का उपक्रम)
प्रधान कार्यालयः 21, राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली-110008
कार्पोरेट कार्यालयः एनबीसीसी ऑफिस कॉम्प्लेक्स, ब्लॉक 3 पूर्वी किदवई नगर, नई दिल्ली-110023

<u>उम्मीदवार द्वारा घोषणा</u>
(पीएसबी विनियमन का विनियम 65 का संदर्भ लें)

मैं ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री/श्रीमती ..... निवास ..... एतदद्वारा, पुष्टि करता/करती हूँ किः

a) मैं पंजाब एण्ड सिंध बैंक का शेयरधारक हूँ और चुनाव में सहभागिता हेतु विनिर्दिष्ट तिथि/अंतिम तिथि अर्थात् **शुक्रवार, 03 मई 2024** को फोलियो नं. ...../डीपीआईडी नं. ...../ ग्राहक आईडी नं. .....के अंतर्गत ₹ 10/-प्रति शेयर अंकित मूल्य के बैंक के ..... इक्विटी शेयर हैं और यदि बैंक के निदेशक के रूप में चुना जाता हूँ तो कार्यकाल के अंत तक इन शेयरों को रखने का वचन देता हूँ;
b) मुझे (i) कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, (ii) बैंकिंग, (iii) सहकारिता, (iv) अर्थशास्त्र, (v) वित्त, (vi)विधि, (vii)लघु उद्योग, (viii) सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित मामलों या क्षेत्र में/भुगतान और निपटान प्रणाली/मानव संसाधन/जोखिम प्रबंधन/व्यवसाय प्रबंधन में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव* है जिसका विशेष ज्ञान और व्यवहारिक अनुभव भारतीय रिज़र्व बैंक की राय में बैंक के लिए उपयोगी होगा और मैं बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा 3 ए के संदर्भ में जमाकर्ताओं या किसानों, श्रमिकों और कारीगरों के हित का प्रतिनिधित्व करता हूं और इसके प्रमाण के रूप में, मैं इसके साथ प्रासंगिक प्रशंसा-पत्र, प्रस्तुत करता हूं और (*जो लागू नहीं है उसे काट दें)
c) मैं नामांकन संख्या ..... स्वीकार करता/करती हूँ; और
d) मैं पंजाब एण्ड सिंध बैंक के निदेशक का चुनाव लड़ने का/की इच्छुक हूँ; और
e) मैं बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1980, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना 1980, पंजाब एण्ड सिंध बैंक (शेयर और बैठकें) विनियम 2008 के प्रावधानों के तहत और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी मास्टर निर्देश तथा भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक के निदेशक के पद के लिए अयोग्य नहीं हूँ ।
f) मैं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 के तहत अयोग्य नहीं हूँ; और
g) मैं किसी लाभ के पद पर नहीं हूँ और न किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या भारतीय स्टेट बैंक जो भारतीय स्टेट बैंक एक्ट 1955 के अंतर्गत उप-धारा (1) धारा 3 के अनुसार गठित है, अथवा भारतीय स्टेट बैंक (अनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 का धारा 3 में वर्णित किसी अनुषंगी बैंक का कर्मचारी हूँ।

मैं आगे यह घोषणा करता हूँ किः

a) मुझे कभी भी दिवालिया घोषित नहीं किया गया है या भुगतान निलंबित या लेनदारों के साथ जोड़ा नहीं गया है; और
b) मुझे कभी भी मानसिक रूप से अस्वस्थ नहीं पाया गया है और न ही किसी सक्षम अदालत द्वारा ऐसा घोषित किया गया है और न ही किसी सक्षम कोर्ट द्वारा दोषी ठहराया गया है और न ही किसी क्रिमिनल कोर्ट द्वारा नैतिक अधमता जैसै किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है; और
c) मैं किसी भी समय पंजाब एण्ड सिंध बैंक के रोजगार में नहीं था; और
d) मैं किसी भी आर्थिक अधिकारी या न्यायिक मजिस्ट्रेट या उच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय द्वारा उद्घोषित अपराधी नहीं हूँ; और
e) मैं यदि निदेशक के रूप में निर्वाचित होता हूँ तो बैंक के साथ यदि कोई पेशेवर रिशता हो, तो उसे तोड़ दूंगा और उस कार्यकाल दौरान बैंक के साथ किसी भी व्यवसायिक रिश्ते का निर्वाह उसके बाद दो वर्ष की अवधि के लिए नहीं रखूंगा, और
f) मैं किसी बैंक या रिज़र्व बैंक या वित्तीय संस्थान (एफआई) या बीमा कंपनी या किसी अन्य बैंक द्वारा धारित एनओएफएचसी के बोर्ड का सदस्य नहीं हूँ।
g) मैं हायर खरीद, वित्तपोषण, धन उधार देने, निवेश, पट्टे और अन्य पैरा बैंकिंग गतिविधियों से जुड़ा हुआ नहीं हूँ।
h) मैंने किसी भी श्रेणी के बैंक/वित्तीय संस्थान/भारिबैंक/बीमा कंपनी के बोर्ड में पूर्व में निदेशक के रूप में लागतार या अनिरंतर रूप से छः वर्षों तक कार्य नहीं किया है।
i) मैं स्टॉक ब्रोकिंग के कारोबार में नहीं लगा हूँ।
j) मैं लोकसभा सदस्य या राज्य विधानसभा या निगर निगम या नगरपालिका या अन्य स्थानीय निकायों (अन्य स्थानीय निकायों का तात्पर्य किसी अधिसूचित क्षेत्रीय परिषद, नगर परिषद, पंचायत, ग्राम सभा, जिला परिषद इत्यादि निकायों से है) के कसी भी पद पर नहीं हूँ।
k) मैं ऐसे किसी सनदी लेखाकार फर्म के भागीदार के रूप में कार्य नहीं कर रहा हूँ जो वर्तमान में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या भारतीय स्टेट बैंक के सांविधिक केंद्रीय लेखापरीक्षक के रूप में संलग्न है।
l) मैं ऐसे किसी सनदी लेखाकार फर्म के भागीदार के रूप में कार्य नहीं कर रहा हूँ जो वर्तमान में पंजाब एण्ड सिंध बैंक जिसमें चुनाव के लिए नामांकन किया गया है, के सांविधिक शाखा लेखापरीक्षा या संगामी लेखापरीक्षक के रूप में संलग्न है।
m) मेरा न तो पंजाब एण्ड सिंध बैंक के साथ कोई व्यावसायिक संबंध (कानूनी सेवाओं, सलाहकार सेवाओं आदि सहित) है और न ही मैं ऐसी गतिविधियों में संलग्न हूँ जिसके परिणामस्वरूप पंजाब एण्ड सिंध बैंक के साथ व्यावसायिक हितों में टकराव हो सकता है।
n) मेरा बैंक या किसी एनओएफएचसी (NOFHC) धारित किसी अन्य बैंक के साथ कोई व्यावसायिक संबंध नहीं है तथा वचन देता हूँ कि निर्वाचित होने पर निदेशक के रूप में पद ग्रहण करने से पूर्व बैंक के साथ संबंध, यदि हो तो, समाप्त कर दूंगा।

o) मैं किसी भी नियामक या पर्यवेक्षी प्राधिकरण/एजेंसी या कानून प्रवर्तन एजेंसी के प्रतिकूल नोटिस के अधीन नहीं हूँ तथा मैं किसी ऋणदाता संस्था का चूककर्ता नहीं हूँ।

p) निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण से पूर्व मैं प्रसंविदा विलेख (आरबीआई परिपत्र दिनांकित 02.08.2019 के निर्धारित प्रारूप में) निष्पादित करने का वचन देता हूँ।

q) मैं यथाशीघ्र बैंक को वृत्तांत (यदि कोई हो) की पूरी जानकारी देने का वचन देता हूँ जो इस घोषणा के बाद उत्तरवर्ती है जो बैंक के निदेशक के रूप में मेरे चुनाव पर यहाँ दी गई जानकारी तथा प्रसंविदा लेख के निष्पादन से प्रासंगिक है।

r) बैंक के निदेशक के रूप में पद पर रहने तक मैं यथासंशोधित सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुपालन का वचन देता हूँ।

s) मैं नीचे, अन्य कंपनियों/बैंकों/अन्य संस्थानों में वर्तमान के साथ अपने पिछले निदेशक पद का भी विवरण दे रहा हूँ-

कंपनियों/बैंकों/अन्य संस्थानों का नाम	निदेशक पद का विवरण यथा कार्यकाल, अवधि, निदेशक पद की प्रकृति इत्यादि

(आवश्य होने पर अतिरिक्त कतार/शीट जोड़ें) (जो लागू नहीं है उसे काट दें)

t) मैं अपने व्यक्तिगत ब्यौरे संलग्न कर रहा हूँ जो मेरी जानकारी एवं विश्वास में पूर्ण व सही है।

नाम	
हस्ताक्षर	
मोबाइल नंबर	
शेयरों की संख्या	
पंजीकृत फोलियो संख्या (यदि अमूर्त नहीं है)	
डीपी आईडी व ग्राहक आईडी (यदि अमूर्त है)	
स्थान	
दिनांक	

उपरोक्त घोषणा मेरे समक्ष हस्ताक्षरित की गई है।

न्यायधीश, मजिस्ट्रेट, एश्योरेंस रजिस्ट्रार अथवा सब-रजिस्ट्रार, या अन्य राजपत्रित अधिकारी या भारतीय रिज़र्व बैंक अथवा पंजाब एण्ड सिंध बैंक अथवा किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के किसी अधिकारी के मुहर सहित हस्ताक्षर (जो लागू नहीं है उसे काट दें)

दिनांक सहित हस्ताक्षर व मुहर

पंजाब एण्ड सिंध बैंक
(भारत सरकार का उपक्रम)
प्रधान कार्यालयः 21, राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली-110008
कार्पोरेट कार्यालयः एनबीसीसी ऑफिस कॉम्प्लेक्स, ब्लॉक 3 पूर्वी किदवई नगर, नई दिल्ली-110023

नामांकन फॉर्म
(शेयरधारक द्वारा)
(पीएसबी विनियमन के विनियम 65 का संदर्भ लें)

क्रम संख्या.....

प्रति,
पंजाब एण्ड सिंध बैंक
एनबीसीसी ऑफिस कॉम्प्लेक्स,
ब्लॉक 3 पूर्वी किदवई नगर,
नई दिल्ली-110023

आदरणीय महोदय/महोदया,

निदेशक का चुनाव

ईजीएम सूचना दिनांकित **07 मई, 2024** के संदर्भ में मैं..... पंजाब एण्ड सिंध बैंक का शेयरधारक हूँ और मेरे पास चुनाव में सहभागिता हेतु विनिर्दिष्ट/अंतिम तिथि अर्थात् **शुक्रवार, 03 मई 2024** को ₹10/-प्रति शेयर के ..... इक्विटी शेयर हैं और मैं एतदद्वारा श्री/श्रीमती..... पुत्र/पुत्री/पत्नी ..... निवासी ..... को **शुक्रवार, 31 मई 2024** को होने वाली बैंक के शेयरधारकों की असाधारण सामान्य बैठक में बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1980 की धारा 9 (3) (i) में किए गए उपबंध अनुसार बैंक के शेयरधारकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए पंजाब एण्ड सिंध बैंक के निदेशक के चुनाव के लिए नामित करता हूँ।

हस्ताक्षर	
नाम	
शेयरों की संख्या	
पंजीकृत फोलियो संख्या (यदि अमूर्त नहीं है)	
डीपी आईडी व ग्राहक आईडी (यदि अमूर्त है)	
स्थान	
दिनांक	

टिप्पणियां :

1) यदि नामांकन किसी निगमित निकाय द्वारा किया जाता है तो नामांकन फॉर्म के साथ संबंधित बोर्ड के पारित संकल्प की प्रमाणित सत्यप्रति जिस पर संबंधित बैठक के अध्यक्ष के हस्ताक्षर हो, संलग्न की जानी चाहिए।
2) उम्मीदवार का नामांकन करने वाले शेयरधारकों के हस्ताक्षर रजिस्ट्रार तथा बैंक के शेयर अंतरण एजेंट के पास उपलब्ध हस्ताक्षरों से मेल खाने चाहिए।
3) यदि उपरोक्त में से कोई भी कॉलम खाली छोड़ा जाता है या विवरण गलत पाया जाता है तो नामांकन रद्द कर दिया जाएगा।

Punjab & Sind Bank

(A Government of India Undertaking)
Head Office: 21, Rajendra Place, New Delhi – 110008
Corporate Office: NBCC Office Complex, Block 3, East Kidwai Nagar, New Delhi - 110023

N O T I C E

NOTICE IS HEREBY GIVEN that an Extraordinary General Meeting of the Shareholders of Punjab & Sind Bank will be held through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM) on **Friday, the 31st day of May, 2024** at 11.00 a.m. to transact the following business:

Item No 1:
To elect ONE Director from amongst the shareholders of the Bank, other than the Central Government, in respect of whom valid nominations are received in terms Section 9 (3) (i) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1980 (hereinafter referred to as "**the Act**") read with the Banking Regulation Act, 1949 (hereinafter referred to as "**the B R Act**"), the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980 (hereinafter referred to as "**the Scheme**") and the Punjab & Sind Bank (Shares & Meetings) Regulation, 2008 (hereinafter referred to as "**the Regulations**") made pursuant to Section 19 of the Act, SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended (hereinafter referred to as "**SEBI Listing Regulations**") and Reserve Bank of India ('Fit and Proper' Criteria for Elected Directors on the Boards of PSBs) Directions, 2019 issued vide RBI/DBR/2019-20/71 Master Direction DBR.Appt.No: 9/29.67.001/2019-20 dated August 02, 2019 read with RBI circular No. DBR.Appt.BC.No.39/29.39.001/2016-17 dated November 24, 2016 and further amendment thereto, if any (hereinafter referred to as "**RBI Directions**") and Notification No.F.No. 16/83/2013-BO.I dated September 03, 2013, F.No.16/51/2012-BO.I dated April 28, 2015 and dated July 20, 2016 of the Government of India read with the criteria laid down by the Government of India for consideration as Non-Official Director of Public Sector Banks on March 25, 2015, July 08, 2016 and any further amendments thereto (hereinafter referred to as "**GOI Guidelines**") and to pass the following resolution:-

RESOLVED THAT ONE Director elected from amongst the shareholders of the Bank, other than the Central Government, pursuant to Section 9(3) (i) of the Act read with the B R Act, Scheme, Regulations made thereunder, RBI directions and Government Guidelines, be and is hereby appointed as Director of the Bank to assume office from the day after the declaration of result of election and shall hold office until the completion of a period of 3 years from the date of such assumption.

Upon election, the aforesaid Resolution shall also be considered to be passed under the provisions of Regulation 25 (2A) of SEBI Listing Regulations.

Item No 2:
To consider and if thought fit to pass the following as an Ordinary Resolution:-

RESOLVED THAT pursuant to Regulation 17 (1C) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended from time to time, the appointment of Shri Ravi Mehra, as an Executive Director of the Bank under clause (a) of sub section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980, vide Notification no. eF.no.4/1(v)/2023-BO.I dated 09th October 2023 issued by Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services for a period of 3 years w.e.f. the date of assumption of office or until further orders, whichever is earlier, be and is hereby approved.

Item No 3:
To seek approval of shareholders to create, offer, issue and allot Fresh Equity Shares of Face Value of Rs10/- (Rupees Ten only) each up to an amount of Rs.2000 crore (including premium) by way of Qualified Institutional Placement, ranking *pari passu* with the existing equity shares of the Bank for all purpose and in all respects, including payment of dividend, in one or more tranches, at such price or prices, and on such terms and conditions as may be decided by the Board/Committee in its absolute discretion and to consider and if thought fit, pass the following as Special Resolution:

"RESOLVED THAT pursuant to Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act 1980 (herein referred to as "**the Act**"), Banking Regulation Act, 1949 (herein referred to as "**Banking Act**"), Punjab & Sind Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2008 (herein referred to as the "**Regulations**"), the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018, as amended (herein referred to as "**SEBI (ICDR) Regulations")** and in accordance with the applicable rules, regulations, guidelines, circulars and clarifications

issued by Government of India ("**GOI**"), Reserve Bank of India("**RBI**"), Securities and Exchange Board of India ("**SEBI**") and / or any other competent authorities and subject to any other applicable laws, rules and regulations (including any amendment thereto or re-enactment thereof for the time being in force), the Listing agreements entered into by the bank with stock exchanges where equity shares of the bank are listed, SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (herein referred to as "**SEBI (LODR)**"), any approval, consent permissions or sanctions of other concerned authorities and such terms, conditions and modifications as may be prescribed by any of them while granting such approvals, consent, permissions or sanctions and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank (herein referred to as "**the Board**" which term shall include any committee constituted by the Board), consent be and is hereby granted to the Board to create, offer, issue and allot by way of Qualified Institutional Placement under Chapter VI of ICDR Regulations, whether they be holders of the shares of the Bank or not as may be approved by GOI / RBI and as may be decided by the Board in their discretion and permitted under the applicable laws and regulations for an aggregate amount not exceeding Rs.2000 crore (Rupees Two Thousand crore only) at such time or times, at such price including premium in such manner and on such terms and conditions as may be deemed appropriate by the Board at its absolute discretion including the discretion to determine the categories of investors to whom the offer, issue and allotment considering the prevailing market conditions and other relevant factors and wherever necessary in consultation with lead managers(s) and / or underwriter(s) and / or other advisor(s) as the Board may in its absolute discretion deem fit or appropriate."

"RESOLVED FURTHER THAT the Equity shares issued shall rank *pari-passu* with the existing shares of the Bank including dividend."

"RESOLVED FURTHER THAT in case of Qualified Institutional Placement pursuant to Chapter VI of ICDR Regulations:

a. the allotment of Securities shall only be to Qualified Institutional Buyers within the meaning of Chapter VI of the ICDR Regulations, such securities shall be fully paid-up and the allotment of such securities shall be completed within 12 months from the date of this resolution.
b. The Bank is, pursuant to Regulation 176(1) of ICDR Regulations, authorized to offer shares at a discount of not more than five percent on the floor price as determined in accordance with the Regulations
c. The relevant date for the determination of the floor price of the securities shall be in accordance with the ICDR Regulations"

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to the above Resolutions, the Board be and is hereby authorized to do all such acts, deeds, matters and things including but not limited to finalization and approval of the draft as well as final offer document(s) determining the form and manner of the issue, including the class of investors to whom the Equity Shares are to be issued and allotted, number of Equity Shares to be allotted, issue price, premium amount on issue as it may in its absolute discretion deem fit and to settle all questions, difficulties or doubts that may arise in regard to the issue, offer or allotment of shares and utilization of the issue proceeds as it may in it absolute discretion deem fit without being required to seek any further consent or approval of members or otherwise to the end and intent that the members shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of this Resolution."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to engage / appoint Lead Managers, Legal Advisors, Underwriters, Bankers, Advisors as may be necessary and all such agencies as may be involved or concerned in such offering of Equity Shares and to remunerate them by way of commission, brokerage, fees or the like and also to enter into and execute all such arrangements, agreements, memoranda, documents, etc, with such agencies and to seek the listing of Equity Shares issued such on the stock exchanges where the Equity Shares of the Bank are listed."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to form a committee of Directors to delegate all or any of its powers to a Committee of Directors / Managing Director & Chief Executive Officer / Executive Director(s) / Company Secretary / other person authorized by the Board to give effect to the aforesaid Resolution and is authorized to take such steps and to do all such acts, deeds, matters, things and accept any alterations(s) or amendments(s) as they may deem fit and proper and give such directions as may be necessary to settle any question or difficulty that may arise in regard to issue and allotment of Equity Shares including but not limited to:

i. Approving the draft / final offer documents and filing the same with any other authority or persons as may be required;
ii. Approving the issue price, the number of Equity Shares to be allotted, the basis of allocation and allotment of Equity Shares;
iii. Arranging, the delivery and execution of all contracts, agreements and all other documents, deeds and instruments

as may be required or desirable in connection with the issue of Equity Shares;

iv. Opening such Bank Accounts as may be required for the offering;

v. To do all such acts, deeds, matters and things and execute all such other documents and pay all such fees, as it may, in its absolute discretion, deem necessary or desirable for the purpose of the transaction;

vi. To make all such necessary applications with the appropriate authorities and make the necessary regulatory filings in this regard;

vii. Making applications for listing of the Equity Shares of the Bank on the stock exchanges(s) where the equity shares of the Bank are listed.

By order of the Board of Directors
For PUNJAB & SIND BANK

Place: New Delhi
Date: 07 May, 2024

Saket Mehrotra
Company Secretary

NOTES:

1. **EXTRAORDINARY GENERAL MEETING THROUGH VIDEO CONFERENCING**
   MCA (Ministry of Corporate Affairs) vide various circulars issued since May 2020 including the General Circular No. 02/2022 issued on 05th May 2022 and Circular No. 09/2023 dated 25th September 2023, permitted companies to hold their EGM through VC/OAVM by 30th September 2024. SEBI has also in line with the aforesaid circulars issued by MCA, granted relaxations to listed entities vide its Circular dated 06th October 2023.

   In compliance with the above provisions, Extraordinary General Meeting of the Bank is being conducted through Video Conferencing (VC) which does not require physical presence of members at a common venue. The deemed venue for the EGM shall be the Head Office of the Bank. Shareholders attending the EGM through VC / OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Regulation 58 of Punjab & Sind Bank (Shares & Meetings) Regulations, 2008. As the EGM will be held through VC / OAVM, the Route Map is not annexed in this notice as required under Secretarial Standard 2.

2. **VOTING RIGHTS:** In terms of the provisions of Section 3(2E) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980, as amended, no shareholder of the Bank other than the Central Government shall be entitled to exercise voting rights in respect of the shares held by him in excess of 10% of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.

   If any share stands in the name of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof.

   In terms of Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended, shareholders entitled to attend and vote at the meeting, can exercise their voting rights through electronic means.

3. **APPOINTMENT OF PROXIES:** A shareholder entitled to attend and vote at the meeting, is entitled to appoint a proxy to attend and vote instead of himself / herself and such a proxy need not be a shareholder of the Bank. However, in accordance with the aforesaid relaxations for convening of the EGM through VC/OAVM, physical attendance of shareholders has been dispensed with. Accordingly, the facility for appointment of proxy by shareholders is not available for this EGM and the Proxy Form and Attendance Slip are not annexed to this notice.

4. **APPOINTMENT OF AUTHORISED REPRESENTATIVE(S):** No person shall be entitled to attend the meeting through VC / OAVM and / or vote through e-voting as duly authorized representative of a body corporate, unless a certified true copy of the resolution appointing him/her as a duly authorized representative of a company/entity is deposited at the Corporate Office of the Bank with the Company Secretary, Punjab & Sind Bank, NBCC Office Complex, 1st Floor, Block 3, East Kidwai Nagar, New Delhi – 110023 or has been sent by email to the scrutinizer at scrutinizer@snaco.net with copy marked to complianceofficer@psb.co.in not later than four days before the date of meeting i.e. on or before **5.00 p.m. on Sunday, 26th May 2024**.

   No officer or employee of the Bank shall be appointed as the Authorised Representative of a shareholder.

5. The notice of the meeting is available for downloading from the website of the Bank viz. https://punjabandsindbank.co.in/ (Investor Info Page), on the website of BSE Limited at www.bseindia.com and on the website of National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com.

6. **EXPLANATORY STATEMENT**
   The Explanatory Statement setting out the material facts in respect of the business of the meeting is annexed hereto and forms part of the notice.

7. **COMMUNICATION WITH THE SHARE TRANSFER AGENT:**
   Shareholders holding shares in physical form are requested to intimate changes/update, if any, in their email address, postal address, bank details etc. to Share Transfer Agent of the Bank at the following address to receive all communication through electronic mode:
   Link Intime India Pvt Ltd.
   Unit: Punjab & Sind Bank
   Noble Heights, 1st Floor, Plot No. NH 2, LSC, C-1 Block,
   Near Savitri Market, Janakpuri, New Delhi-110058
   Phone: +91 11 4141 0592, 93, 94 Fax: +91 11 4141 0591
   Email: delhi@linkintime.co.in

Shareholders holding shares in dematerialised form are requested to intimate changes/ update, if any, in their email address, postal address, bank details etc. to their depository participants, to receive all communication through electronic mode.

8. **VOTING THROUGH ELECTRONIC MEANS**

I. Pursuant to Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Listing Agreement with Stock Exchanges and provisions under Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended read with MCA Circulars, the Bank is pleased to provide its shareholders facility to exercise their right to vote in respect of the business to be transacted at the EGM by electronic means (remote e-voting and e-voting during the EGM) through the e-voting platform provided by Central Depository Services Limited (CDSL).

II. **Specified date / Cut-Off Date:** The Bank has fixed the following specified dates / cut-off dates:

For Agenda No 1: Friday, the 03rd May 2024 has been fixed as the Specified / Cut-off date for the purpose of determining the Shareholders entitled to participate in the Election i.e., Nominate, Contest and Vote in the Election of One Director from amongst the shareholders of the Bank, other than the Central Government, as mentioned in the Notice.

For Agenda No 2 &3: Thursday, the 23rd May 2024 for attendance at the meeting and voting.

III. Those shareholders, who will be present in the EGM through VC / OAVM facility and have not cast their vote on Election / other agenda items, as the case may be, through remote e-voting shall be eligible to vote through e-voting system during the EGM.

IV. The shareholders who have cast their vote by remote e-voting prior to the meeting may also attend the meeting through VC / OAVM but shall not be entitled to cast their vote again.

V. The Members can join the EGM in the VC/OAVM mode 15 minutes before and after the scheduled time of the commencement of the Meeting by following the procedure mentioned in the Notice. The facility of participation at the EGM through VC/OAVM will be made available to atleast 1000 members on first come first served basis. This will not include large Shareholders (Shareholders holding 2% or more shareholding), Promoters, Institutional Investors, Directors, Key Managerial Personnel, the Chairpersons of the Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee and Stakeholders Relationship Committee, Auditors etc. who are allowed to attend the EGM without restriction on account of first come first served basis.

VI. **THE INTRUCTIONS OF SHAREHOLDERS FOR E-VOTING AND JOINING VIRTUAL MEETINGS ARE AS UNDER:**

Step 1 : Access through Depositories CDSL/NSDL e-Voting system in case of individual shareholders holding shares in demat mode.

Step 2 : Access through CDSL e-Voting system in case of shareholders holding shares in physical mode and non-individual shareholders in demat mode.

i. The remote e-voting period begins at **10.00 am, on Monday, 27th May, 2024** and ends at **5.00 pm on Thursday, 30th May, 2024**. The remote e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter. During this period, shareholders of the Bank, holding shares either in physical form or in dematerialized form as on the specified date / cut-off date may cast their vote electronically.

ii. Pursuant to SEBI Circular No. **SEBI/HO/CFD/CMD/CIR/P/2020/242 dated 09.12.2020,** under Regulation 44 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, listed entities are required to provide remote e-voting facility to its shareholders, in respect of all shareholders' resolutions. However, it has been observed that the participation by the public non-institutional shareholders/retail shareholders is at a negligible level.

Currently, there are multiple e-voting service providers (ESPs) providing e-voting facility to listed entities in India. This necessitates registration on various ESPs and maintenance of multiple user IDs and passwords by the shareholders.

In order to increase the efficiency of the voting process, pursuant to a public consultation, it has been decided to enable e-voting to **all the demat account holders**, **by way of a single login credential, through their demat accounts/ websites of Depositories/ Depository Participants**. Demat account holders would be able to cast their vote without having to register again with the ESPs, thereby, not only facilitating seamless authentication but also enhancing ease and convenience of participating in e-voting process.

Step 1: Access through Depositories CDSL/NSDL e-Voting system in case of individual shareholders holding shares in demat mode.

iii. In terms of **SEBI circular no. SEBI/HO/CFD/CMD/CIR/P/2020/242 dated December 9, 2020** on e-Voting facility provided by Listed Companies, Individual shareholders holding securities in demat mode are allowed to vote through their demat account maintained with Depositories and Depository Participants. Shareholders

are advised to update their mobile number and email Id in their demat accounts in order to access e-Voting facility.

Pursuant to above SEBI Circular**,** Login method for e-Voting and joining virtual meetings **for Individual shareholders holding securities in Demat mode CDSL/NSDL** is given below:

Type of shareholders	**Login Method**
Individual Shareholders holding securities in Demat mode with **CDSL Depository**	1) Users who have opted for CDSL Easi / Easiest facility, can login through their existing user id and password. Option will be made available to reach e-Voting page without any further authentication. The users to login to Easi / Easiest are requested to visit CDSL website www.cdslindia.com and click on login icon & New System Myeasi Tab. 2) After successful login the Easi / Easiest user will be able to see the e-Voting option for eligible companies where the e-voting is in progress as per the information provided by company. On clicking the e-voting option, the user will be able to see e-Voting page of the e-Voting service provider for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting. Additionally, there is also link provided to access the system of all e-Voting Service Providers, so that the user can visit the e-Voting service providers' website directly. 3) If the user is not registered for Easi/Easiest, option to register is available at CDSL website www.cdslindia.com and click on login & New System Myeasi Tab and then click on registration option. Alternatively, the user can directly access e-Voting page by providing Demat Account Number and PAN No. from the e-Voting link available on www.cdslindia.com home page. The system will authenticate the user by sending OTP on registered Mobile & Email as recorded in the Demat Account. After successful authentication, user will be able to see the e-Voting option where the e-voting is in progress and also be able to directly access the system of all e-Voting Service Providers.
Individual Shareholders holding securities in demat mode with **NSDL Depository**	1) If you are already registered for NSDL IDeAS facility, please visit the e-Services website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: https://eservices.nsdl.com either on a Personal Computer or on a mobile. Once the home page of e-Services is launched, click on the "Beneficial Owner" icon under "Login" which is available under 'IDeAS' section. A new screen will open. You will have to enter your User ID and Password. After successful authentication, you will be able to see e-Voting services. Click on "Access to e-Voting" under e-Voting services and you will be able to see e-Voting page. Click on company name or e-Voting service provider name and you will be re-directed to e-Voting service provider website for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting. 2) If the user is not registered for IDeAS e-Services, option to register is available at https://eservices.nsdl.com. Select "Register Online for IDeAS "Portal or click at https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp 3) Visit the e-Voting website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: https://www.evoting.nsdl.com/ either on a Personal Computer or on a mobile. Once the home page of e-Voting system is launched, click on the icon "Login" which is available under 'Shareholder/Member' section. A new screen will open. You will have to enter your User ID (i.e. your sixteen digit demat account number held with NSDL), Password/OTP and a Verification Code as shown on the screen. After successful authentication, you will be redirected to NSDL Depository site wherein you can see e-Voting page. Click on company name or e-Voting service provider name and you will be redirected to e-Voting service provider website for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting.

Individual Shareholders (holding securities in demat mode) login through their **Depository Participants (DP)**	You can also login using the login credentials of your demat account through your Depository Participant registered with NSDL/CDSL for e-Voting facility. After Successful login, you will be able to see e-Voting option. Once you click on e-Voting option, you will be redirected to NSDL/CDSL Depository site after successful authentication, wherein you can see e-Voting feature. Click on company name or e-Voting service provider name and you will be redirected to e-Voting service provider website for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting.

Important note: Members who are unable to retrieve User ID/ Password are advised to use Forget User ID and Forget Password option available at abovementioned website.

Helpdesk for Individual Shareholders holding securities in demat mode for any technical issues related to login through Depository i.e. CDSL and NSDL

Login type	**Helpdesk details**
Individual Shareholders holding securities in Demat mode with **CDSL**	Members facing any technical issue in login can contact CDSL helpdesk by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at toll free no. 1800 22 55 33
Individual Shareholders holding securities in Demat mode with **NSDL**	Members facing any technical issue in login can contact NSDL helpdesk by sending a request at evoting@nsdl.co.in or call at toll free no.: 022-4886 7000 and 022-2499 7000

Step 2 : Access through CDSL e-Voting system in case of shareholders holding shares in physical mode and non-individual shareholders in demat mode.

(i) Login method for e-Voting and joining virtual meetings for **Physical shareholders and shareholders other than individual holding in Demat form.**

1) The shareholders should log on to the e-voting website www.evotingindia.com.
2) Click on "Shareholders" module.
3) Now enter your User ID
   a. For CDSL: 16 digits beneficiary ID,
   b. For NSDL: 8 Character DP ID followed by 8 Digits Client ID,
   c. Shareholders holding shares in Physical Form should enter Folio Number registered with the Bank.
4) Next enter the Image Verification as displayed and Click on Login.
5) If you are holding shares in demat form and had logged on to www.evotingindia.com and voted on an earlier e-voting of any company, then your existing password is to be used.
6) If you are a first-time user follow the steps given below:

	For Physical shareholders and other than individual shareholders holding shares in Demat.
PAN	Enter your 10 digit alpha-numeric *PAN issued by Income Tax Department (Applicable for both demat shareholders as well as physical shareholders) • Shareholders who have not updated their PAN with the Bank/Depository Participant are requested to use the sequence number sent by Bank/RTA or contact Bank/RTA.
Dividend Bank Details **OR** Date of Birth (DOB)	Enter the Dividend Bank Details or Date of Birth (in dd/mm/yyyy format) as recorded in your demat account or in the Bank records in order to login. • If both the details are not recorded with the depository or Bank, please enter the member id / folio number in the Dividend Bank details field.

(ii) After entering these details appropriately, click on "SUBMIT" tab.

(iii) Shareholders holding shares in physical form will then directly reach the Company selection screen. However, shareholders holding shares in demat form will now reach 'Password Creation' menu wherein they are required to mandatorily enter their login password in the new password field. Kindly note that this password is to be also

used by the demat holders for voting for resolutions of any other company on which they are eligible to vote, provided that company opts for e-voting through CDSL platform. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.

(iv) For shareholders holding shares in physical form, the details can be used only for e-voting on the resolutions contained in this Notice.

(v) Click on the EVSN of Punjab & Sind Bank on which you choose to vote.

(vi) On the voting page, you will see "RESOLUTION DESCRIPTION" and against the same the option "YES/NO" for voting. Select the option YES or NO as desired. The option YES implies that you assent to the Resolution and option NO implies that you dissent to the Resolution.

(vii) Click on the "RESOLUTIONS FILE LINK" if you wish to view the entire Resolution details.

(viii) After selecting the resolution, you have decided to vote on, click on "SUBMIT". A confirmation box will be displayed. If you wish to confirm your vote, click on "OK", else to change your vote, click on "CANCEL" and accordingly modify your vote.

(ix) Once you "CONFIRM" your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.

(x) You can also take a print of the votes cast by clicking on "Click here to print" option on the Voting page.

(xi) If a demat account holder has forgotten the login password then Enter the User ID and the image verification code and click on Forgot Password & enter the details as prompted by the system.

(xii) There is also an optional provision to upload BR/POA if any uploaded, which will be made available to scrutinizer for verification.

(xiii) **Additional Facility for Non – Individual Shareholders and Custodians – For Remote Voting only.**

- Non-Individual shareholders (i.e. other than Individuals, HUF, NRI etc.) and Custodians are required to log on to www.evotingindia.com and register themselves in the "Corporates" module.
- A scanned copy of the Registration Form bearing the stamp and sign of the entity should be emailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com.
- After receiving the login details a Compliance User should be created using the admin login and password. The Compliance User would be able to link the account(s) for which they wish to vote on.
- The list of accounts linked in the login will be mapped automatically & can be delink in case of any wrong mapping.
- It is Mandatory that, a scanned copy of the Board Resolution and Power of Attorney (POA) which they have issued in favour of the Custodian, if any, should be uploaded in PDF format in the system for the scrutinizer to verify the same.
- Alternatively Non Individual shareholders are required mandatory to send the relevant Board Resolution/ Authority letter etc. together with attested specimen signature of the duly authorized signatory who are authorized to vote, to the Scrutinizer and to the Bank at the email address viz; scrutinizer@snaco.net and complianceofficer@psb.co.in, if they have voted from individual tab & not uploaded same in the CDSL e-voting system for the scrutinizer to verify the same.

INSTRUCTIONS FOR SHAREHOLDERS ATTENDING THE EGM THROUGH VC/OAVM & E-VOTING DURING MEETING ARE AS UNDER:

1. The procedure for attending meeting & e-Voting on the day of the EGM is same as the instructions mentioned above for e-voting.
2. The link for VC/OAVM to attend meeting will be available where the EVSN of Bank will be displayed after successful login as per the instructions mentioned above for e-voting.
3. Shareholders who have voted through Remote e-Voting will be eligible to attend the meeting. However, they will not be eligible to vote at the EGM.
4. Shareholders are encouraged to join the Meeting through Laptops / IPads for better experience.
5. Further shareholders will be required to allow Camera and use Internet with a good speed to avoid any disturbance during the meeting.
6. Please note that Participants Connecting from Mobile Devices or Tablets or through Laptop connecting via Mobile Hotspot may experience Audio/Video loss due to Fluctuation in their respective network. It is therefore recommended to use Stable Wi-Fi or LAN Connection to mitigate any kind of aforesaid glitches.
7. Shareholders who would like to express their views/ask questions during the meeting may register themselves as a speaker by sending their request in advance atleast **48 hours prior to meeting** mentioning their name, demat account number/folio number, email id, mobile number at complianceoffier@psb.co.in. The shareholders who do not wish to speak during the EGM but have queries may send their queries in advance **48 hours prior to meeting**

mentioning their name, demat account number/folio number, email id, mobile number at complianceoffier@psb.co.in. These queries will be replied to by the Bank suitably by email.

8. Those shareholders who have registered themselves as a speaker will only be allowed to express their views/ask questions during the meeting.
9. Only those shareholders, who are present in the EGM through VC/OAVM facility and have not casted their vote on the Resolutions through remote e-Voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-Voting system available during the EGM.
10. If any Votes are cast by the shareholders through the e-voting available during the EGM and if the same shareholders have not participated in the meeting through VC/OAVM facility, then the votes cast by such shareholders may be considered invalid as the facility of e-voting during the meeting is available only to the shareholders attending the meeting.

PROCESS FOR THOSE SHAREHOLDERS WHOSE EMAIL/MOBILE NO. ARE NOT REGISTERED WITH THE BANK/DEPOSITORIES.

1. For Physical shareholders – please provide necessary details like Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) by email to **complianceofficer@psb.co.in / delhi@linkintime.co.in**
2. For Demat shareholders – Please update your email id & mobile no. with your respective **Depository Participant (DP)**
3. **For Individual Demat shareholders –** Please update your email id & mobile no. with your respective Depository Participant (DP) which is mandatory while e-Voting & joining virtual meetings through Depository.

If you have any queries or issues regarding attending EGM & e-Voting from the CDSL e-Voting System, you can write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at toll free no. 1800 22 55 33

All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager, (CDSL,) Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call toll free no. 1800 22 55 33.

9. **SCRUTINIZER**

M/s S. N. ANANTHASUBRAMANIAN & Co, Company Secretaries, has been appointed as the scrutinizer by the Bank to scrutinize the e-voting process in a fair and transparent manner.

The Scrutinizer shall submit a consolidated Scrutinizer's Report on the total votes cast to the Chairman of the Meeting not later than 48 hours of conclusion of the EGM and the Chairman or a person authorised by him in writing shall countersign the same and declare the result of the voting forthwith by placing the Results along with the Scrutinizer's Report on the website of Stock Exchanges and the Bank.

10. **CHANGE OF ADDRESS / DIVIDEND MANDATE**

a) The Bank for sending Notices / communications will use the details of address registered with NSDL/CDSL and downloaded by RTA from the respective Depositories. Shareholders holding shares in electronic form are hereby informed that their address registered in Demat Account should be updated with respective Depository Participant so as to get updated immediately. The Bank or its Registrar and Share Transfer Agent cannot act on any request received directly from the Shareholders holding shares in electronic form for any change of address. Such changes are to be advised only to the Depository Participant of the Shareholders.

b) Shareholders holding shares in physical form are requested to advise any change of address along with a valid documentary evidence and formal request application duly signed immediately to the Bank's Registrar and Share Transfer Agent, i.e. M/s Link Intime India Private Limited. Shareholders holding shares in electronic form must register change in address with their respective Depository Participant only and not to the Bank or Bank's Registrar and Share Transfer Agent.

c) Shareholders are requested to invariably quote their respective folio number/s (for those holding shares in physical form) and their respective DP Id / Client Id number (for those holding shares in electronic/demat form) in any correspondence with the Bank or Bank's Registrar and Share Transfer Agent.

11. **FURNISHING OF PAN, NOMINATION, CONTACT DETAILS, BANK A/C DETAILS AND SPECIMEN SIGNATURE BY PHYSICAL SHAREHOLDERS**

SEBI vide its Circular no. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD- PoD-1/P/CIR/2023/37 dated 16th March 2023 has advised following:

a) It is mandatory for all holders of physical securities in listed companies to furnish PAN, Nomination, Contact

details, Bank A/c details and Specimen signature for their corresponding folio numbers.

b) The folios wherein any one of the above cited document/details are not available on or after October 01, 2023, shall be frozen by the RTA.

c) The security holder(s) whose folio(s) have been frozen shall be eligible (1) to lodge grievance or avail any service request from the RTA only after furnishing the complete documents / details as mentioned in above para 1. (2) for any payment including dividend, interest or redemption payment in respect of such frozen folios, only through electronic mode with effect from April 01, 2024.

d) Frozen folios will be referred by the RTA / Bank to the administering authority under the Benami Transactions (Prohibitions) Act, 1988 and/or Prevention of Money Laundering Act, 2002, if they continue to remain frozen as on December 31, 2025.

12. **CONTACT DETAILS FOR SHAREHOLDERS**

For clarifications / assistance on any of the matters of this communication or any other issues related to shares / dividends of Punjab & Sind Bank, you may please reach us / RTA on the following address (Please quote your Folio No. / Telephone No. / Mobile No. / Email address in your correspondence).

Link Intime India Pvt Ltd. Unit: Punjab & Sind Bank Noble Heights, 1st Floor, Plot No. NH 2, LSC, C-1 Block, Near Savitri Market, Janakpuri, New Delhi-110058 Phone: +91 11 4141 0592, 93, 94 Fax: +91 11 4141 0591 Email: delhi@linkintime.co.in	The Company Secretary, Punjab & Sind Bank, NBCC Office Complex, 1st Floor, Block 3, East Kidwai Nagar, New Delhi-110023, Telephone: 011-40175169, E-mail: complianceofficer@psb.co.in

SEBI vide Circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD-1/P/CIR/2023/72 dated June 08, 2023 had advised RTA's to set up a user-friendly online mechanism or portal for service requests/ complaints.

As advised by SEBI, Bank's RTA (M/s Link Intime India Private Limited) has launched '**SWAYAM**', a brand-new Investor Self-Service Portal.

'SWAYAM' is a secure, user-friendly web-based application that empowers shareholders to effortlessly access various services. We request you to get registered and have first-hand experience of the portal.

This application can be accessed at https://swayam.linkintime.co.in

- Effective Resolution of Service Request -Generate and Track Service Requests/Complaints through SWAYAM.
- Features - A user-friendly GUI.
- Track Corporate Actions like Dividend/Interest/Bonus/split.
- PAN-based investments - Provides access to PAN linked accounts, Company wise holdings and security valuations.
- Effortlessly raise request for Unpaid Amounts.
- Self-service portal – for securities held in demat mode and physical securities, whose folios are KYC compliant.
- Statements - View entire holdings and status of corporate benefits.
- Two-factor authentication (2FA) at Login - Enhances security for investors.

13. **DEMATERIALIZATION OF PHYSICAL HOLDINGS – A SPECIAL REQUEST:**

a) SEBI vide its Press Release No. 12/2019 dated 27.03.2019 has decided that except in case of transmission or transposition of securities, requests for effecting transfer of securities shall not be processed unless the securities are held in dematerialized form with a depository w.e.f. 01.04.2019. Hence, we request the shareholders to Demat their physical holding immediately.

b) In terms of Regulation 40(1) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, transfer of securities held in physical mode has been discontinued w.e.f. April 01, 2019. Accordingly transfer of shares can be done only if the shares are held in demat form.

c) Further, SEBI vide Circular No. SEBI/HO/MIRSD_RTAMB/P/ CIR/2022/8 dated 25th January 2022, decided that listed companies while processing requests for issue of duplicate share certificate, transmission, transposition, etc., shall henceforth issue the securities in demat form only. In view of above, we request all shareholders of the Bank, who hold the shares in physical form to kindly dematerialize their shares. Major advantages of holding the shares in Demat form are as follows:

i. Possibility of damage or loss of Physical share certificate is eliminated;
ii. Possibility of tearing or forgery or mutilation of share certificate(s) are eliminated;
iii. Dematerialization provides the ease and convenience of paperless trading of shares. Once a demat account is

opened with a Depository Participant (DP), shareholder can easily buy or sell shares in electronic form.

14. **PROCESS FOR DEMATERIALIZATION OF SHARES IN PHYSICAL FORM :**
Following is the dematerialization process in case there is no change in details of existing share certificates:

A. For shareholder(s) who are not having a Demat account:
The shareholder(s) is/are required to approach nearby Depository Participant (DP) and open a Demat Account in the same name(s) and style in which the shareholder(s) hold shares in Punjab & Sind Bank.
After opening of the Demat Account, shareholder(s) has to surrender the original share certificate(s) along with duly filled-in and signed Demat Request Form (DRF) to the DP, who will forward the same to Bank's RTA.
The RTA will scrutinize/ verify the DRF and, if found in order, equivalent number of shares will be credited to the Demat account of the shareholder(s)

B. For shareholders already having a Demat account:
The shareholder (s) who are already having the Demat Account are required to check whether the existing Demat Account is in the same name(s) and style as per the shareholding in Punjab & Sind Bank. If yes, shareholder(s) has to submit duly filled in and signed DRF along with original share certificate(s) to the DP who will forward the same to Bank's RTA.
The RTA will scrutinize/ verify the DRF and, if found in order, equivalent number of shares will be credited to the Demat account of the shareholder(s).
If the existing Demat Account is not in the same order of name, the shareholder(s) is/are required to approach his/her DP for guidance.
In case there is change in details of existing share certificates, kindly contact our RTA i.e. M/s Link Intime India Private Limited or Bank at address mentioned above.

15. **OTHER INFORMATION**
a. Shareholders who hold shares in physical form in multiple folios in identical names or joint names in the same order of names are requested to send their share certificates to the RTA for consolidation into a single folio.
b. In view of the 'Green Initiatives' undertaken by the Bank, shareholders are requested to get their Email ids registered with their respective Depository Participant in case of shares held in demat form and with the Bank's RTA in case of shares held in physical form (email id of RTA: delhi@linkintime.co.in). Further, in case of changes, if any, pertaining to their name, postal address, email address, telephone/ mobile numbers, Permanent Account Number (PAN), mandates, nominations, bank details such as, name of the bank and branch details, bank account number, MICR code, IFSC code, etc., the same may be intimated to their DPs in case the shares are held by them in electronic form and to the RTA in case the shares are held by them in physical form.

By order of the Board of Directors
For PUNJAB & SIND BANK

Place: New Delhi
Date: 07 May, 2024

Saket Mehrotra
Company Secretary

EXPLANATORY STATEMENT

Agenda No 1: Election of One Shareholder Director

Section 9 (3) (i) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1980 (The Act) provides for election of Directors from amongst Shareholders, other than the Central Government, and the section inter alia provides that one Director to be elected by the shareholders other than the Central Government from amongst themselves, if the capital issued to public by the Bank is not more than 16% of total paid-up capital. Presently, the Public Shareholding of the Bank stands at 1.75% and it is proposed to elect 1 director from amongst the shareholders of the Bank.

The term of Shri Tirath Raj Mendiratta, shareholder director of the Bank will end on 11th May 2024. With a view to fill this vacancy, an Extraordinary General Meeting of the Bank has been called for election of one Director representing shareholders (other than the Central Government) of the Bank.

The shareholders (other than the Central Government) are therefore entitled to send their nominations as per the procedure detailed in relevant Act/ Scheme / Regulations / RBI Directions / Directions from the Central Government, the relevant extracts/portions of which have been reproduced elsewhere.

LEGAL PROVISIONS:

The following table indicates the provisions contained in various Acts/Regulation/ Scheme/Notifications applicable in this regard:

ACT / SCHEME / REGULATIONS / NOTIFICATIONS	PROVISIONS	SHORT PARTICULARS
The Banking Regulation Act, 1949	Section 5 (ne) Section 16 (1) Section 20	• Substantial Interest • Prohibition of Common Directors • Restrictions for granting loan or advance to or on behalf of any of its directors
The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980	Section 3 (2E) Section 9 (3) (i) Section 9 (3A) (A) to (C) Section 9 (3AA) & Section 9 (3AB) Section 9 (3B) Section 13 (2)	• Restriction on voting rights • No. of directors to be elected by the shareholders • Special knowledge in certain fields • No person shall be eligible to be elected as director unless he is a person having fit and proper status based upon track record, integrity and such other criteria as RBI may prescribe. • Right of RBI to remove a director so elected who does not fulfill the requirements of Section 9(3A) and 9(3AA) of the said Act. • Obligation as to fidelity and secrecy
The Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980	Clause 9(4) Clause 10 Clause 11 Clause 11A Clause 11B Clause 12(8)	• Term of office of elected directors • Disqualifications from being elected as a Director of the Bank • Vacation of office of Director • Removal from office of an elected Director • Filling of casual vacancy in the office of an elected Director • Disclosure of interest by directors in certain arrangements in which they are interested.
Punjab & Sind Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2008	Regulation 10 Regulation 61 Regulation 63 Regulation 64 Regulation 65 Regulation 66 Regulation 67 Regulation 68	• Exercise of rights of joint holders • Voting at General Meetings • Directors to be elected at General Meetings • List of Shareholders • Nomination of candidates for election • Scrutiny of nominations • Election disputes

	Regulation 69 Regulation 70	• Determination of voting rights • Voting by duly authorized representative • Proxies
Reserve Bank of India ('Fit and Proper' Criteria for Elected Directors on the Boards of PSBs) Directions, 2019 issued vide RBI/DBR/2019-20/71 Master Direction DBR. Appt.No: 9/ 29.67.001/ 2019-20 dated August 02, 2019	Pursuant to Section 9(3AA) and Section 9(3AB) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980	Reserve Bank of India ('Fit and Proper' Criteria for Elected Directors on the Boards of PSBs) Directions, 2019.
Letter dated 3rd September, 2013 vide Ref F.No.16/83/2013-(GOI), Ministry of Finance, Department of Financial Services and Revised Guidelines issued by the Government of India approved by Appointment Committee of the Cabinet for appointment of part time non official director dated 25th March 2015 forwarded vide GOI letter F.No.16/51/ 2012-BO.I. dated 28 April 2015 and Revised Guidelines dated 8 July 2016 forwarded vide GOI letter F.No.16/51/ 2012-BO.I. dated 20 July 2016 and subsequent amendments thereto, if any.		GOI guidelines for appointment of part-time non-official Directors in Public Sector Banks
RBI Master Circular RBI/2015-16/95 DBR No.DIR.BC.10/13.03. 00/2015-16 dated July 1, 2015		Granting loans and advances to relatives of Directors
SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015		Provisions relating to Independent Director

For the convenience of the shareholders, the relevant extracts from the Act, Regulation Act, the Scheme, Regulation, Reserve Bank of India ('Fit and Proper' Criteria for Elected Directors on the Boards of PSBs) Directions, 2019 issued vide RBI/DBR/2019-20/71 Master Direction DBR. Appt. No: 9/29.67.001/ 2019-20 dated August 02, 2019 read with RBI circular No. DBR. Appt. BC. No.39/29.39.001/2016-17 dated November 24, 2016 and GOI Guidelines will be hosted on the Bank's website https://punjabandsindbank.co.in/. Such extracts will also be e-mailed to the intending candidates on receipt of a request addressed to the Company Secretary, Punjab & Sind Bank at their Corporate Office at "complianceofficer@psb.co.in" on or before the last date fixed for submission of nomination forms viz. **Thursday, 16th May, 2024**.

PARTICIPATION IN ELECTION:

As already indicated earlier, those shareholders whose names appear on the Register of Shareholders/Beneficial Owners as on the Specified Date i.e., on **Friday, the 03rd May, 2024**, shall be entitled to participate i.e., **Nominate, Contest and Vote** in the election of One Director from amongst Shareholders other than the Central Government.

It may be noted that, Central Government is not entitled to participate in the election of Director, but may attend the EGM as an observer.

QUALIFICATIONS REQUIRED FOR BEING ELECTED AS A DIRECTOR OF THE BANK:

In terms of Section 9(3A) of the Act, a candidate, being a shareholder of the Bank and who desires to be elected as Director of the Bank under Section 9(3)(i) of the Act shall

A. have special knowledge or practical experience in respect of one or more of the following matters namely:-

i. Agricultural and rural economy
ii. Banking
iii. Co-operation
iv. Economics
v. Finance
vi. Law
vii. Small scale industry
viii. any other matter the special knowledge of, and practical experience in which, would, in the opinion of the Reserve Bank of India be useful to the Bank.

(RBI vide its circular no.DBR.Appt.BC.No.39/29.39.001/2016-17 dated November 24, 2016 has extended the fields of specialization to include (i) Information Technology (ii) Payment & Settlement Systems (iii) Human Resources (iv) Risk

Management and (v) Business Management, for persons who could be considered for appointment of director in the banks)

B. Represents the interest of depositors; or

C. Represents the interest of farmers, workers and artisans.

In terms of Section 9(3AA) of the Act, no person shall be eligible to be elected as Director under Section 9 (3) (i) of the Act, unless he is a person having "Fit and Proper" status based on track record, integrity and such other criteria as the Reserve Bank of India may notify from time to time in this regard.

Reserve Bank of India (RBI), in exercise of powers conferred on it under sub-sections (3AA) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act 1970/1980 has issued notification DBR. Appt. No: 9/29.67.001/2019-20 dated 02nd August 2019 laying down specific "Fit and Proper" Criteria to be fulfilled by the persons being elected as directors on the Board of the Banks under the provisions of Section 9 (3)(i) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act 1970/1980.

Further, the elected Directors will have to execute deed of covenants, be subjected to Code of Conduct of the Bank and are required to furnish annual declarations as prescribed by the Reserve Bank of India/ other regulatory authorities in this regard.

DISQUALIFICATIONS FROM BEING ELECTED AS A DIRECTOR OF THE BANK:

(A) In terms of Clause 10 of the Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980, a person shall be disqualified for being appointed, as and for being a Director:

i) if he has at any time been adjudicated an insolvent or has suspended payment or has compounded with his creditors; or
ii) if he has been found to be of unsound mind and stands so declared by a competent court; or
iii) if he has been convicted by criminal court of an offence which involves moral turpitude; or
iv) if he holds any office of profit under any nationalized Bank or State Bank of India constituted under sub-section (1) of Section 3 of the State Bank of India, Act, 1955 or any Subsidiary Bank as defined in Section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, except for holding the post of whole time Director, including the Managing Director and Directors nominated under clauses (e) and (f) of sub-section (3) of Section 9 of the Act from among the employees of the Bank and

(B) If he is not found to be 'Fit and Proper' person in terms of Reserve Bank of India ('Fit and Proper' Criteria for Elected Directors on the Boards of PSBs) Directions, 2019 issued vide RBI/DBR/2019-20/71 Master Direction DBR. Appt. No: 9/29.67.001/2019-20 dated August 02, 2019 read with the criteria laid down by the Central Government for consideration as a Non-official Director in Public Sector Banks, by the Nomination and Remuneration Committee of the Board of the Bank.

PLEASE NOTE – In terms of the legal advice received by the Bank and taken on record by the Board of Directors, Ex-employees of Punjab & Sind Bank will not be considered as Fit & Proper to contest the election of shareholder director of the Bank.

TENURE
In terms of Clause 9 (4) of the Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980, an elected Director shall hold office for three years and shall be eligible for re-election.
Provided no such Director shall hold office continuously for a period exceeding six years.

LIST OF SHAREHOLDERS:

As provided in Regulation 64 of the Punjab & Sind Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2008, a copy of the List of Shareholders (in electronic form i.e. CD/Pen Drive or such other media) will be available at Corporate Office of the Bank at NBCC Office Complex, 1st Floor, Block 3, East Kidwai Nagar, New Delhi - 110023, from **Friday, 10th May, 2024** onwards for purchase by Shareholders on payment of Rs.50,000 (Rupees fifty thousand only) by Demand Draft / Pay Order of Scheduled Bank in favour of "Punjab & Sind Bank" payable at New Delhi. The Candidates desirous of purchasing the said list shall have to give a request letter addressed to "The Company Secretary, Punjab & Sind Bank, Shares Cell, NBCC Office Complex, 1st Floor, Block 3, East Kidwai Nagar, New Delhi - 110023" with an undertaking that the list will be used in canvassing for the election and shall not be used for any other purpose whatsoever.

INSPECTION OF THE REGISTER OF SHAREHOLDERS:

The Register of Shareholders will be open for inspection by the shareholders at the NBCC Office Complex, 1st Floor, Block 3, East Kidwai Nagar, New Delhi - 110023 on all working days (other than Sundays, 2 & 4 Saturdays and Bank Holidays) i.e. Monday to Saturday between 3.00 p.m.to 5.00 p.m.. If any shareholder requires a copy or computer print of select/part information, the same shall be supplied to him on prepayment at the rate of Rs.5/- (Rupees five only) for every 1,000 words or fractional part thereof required to be copied.

NOMINATION OF CANDIDATES FOR ELECTION:

I. VALIDITY OF NOMINATIONS:

In terms of Regulation 65 of Punjab & Sind Bank (Shares & Meetings) Regulations, 2008, RBI Directions and GOI Guidelines and any further amendment thereto or such other directives as may be issued from time to time for being elected as a director, nomination of a candidate for election as a Director shall be valid provided:

a) He/she is a shareholder holding not less than **100 (One hundred) shares** of the Bank as on **Friday, the 03rd May 2024** being the Specified Date / Cut-off fixed for the purpose of determining the eligibility of shareholders for participating in the election and continues to hold a minimum of 100 shares till the date of the meeting and thereafter till the end of his/her tenure, if he/she is elected.

b) As on **Thursday, 16th May, 2024**, being the last date for receipt of nomination, he/she is not disqualified to be a Director under the Banking Regulation Act, 1949 or the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1980 or the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980 or the Punjab & Sind Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2008 and thereafter has been found "Fit and Proper" by the Board of Directors in accordance with the provisions of the Master Directions – Reserve Bank of India ('Fit and Proper' Criteria for Elected Directors on the Board of PSBs) Directions dated 02nd August 2019, read with the Guidelines dated 25th March 2015 and 08th July 2016 issued by the Government of India for Non-Official Directors of the Public Sector Banks or such other directives as may be issued from time to time for being elected as a Director.

c) The valid nomination is in writing signed by at least **100 (one hundred) shareholders** entitled to elect Directors under the Act or by their duly constituted attorney, provided that a nomination by shareholder who is a company may be made by a resolution of the Directors of the said Company and where it is so made, a copy of the resolution certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall be dispatched / deposited to the Corporate Office of the Bank addressed to the Company Secretary, Shares Cell at NBCC Office Complex, 1st Floor, Block 3, East Kidwai Nagar, New Delhi – 110023 and such copy shall be deemed to be a nomination on behalf of such Company.

d) The valid nominations are to be accompanied by or contain a declaration signed by the candidate before a Judge/ Magistrate/Registrar or Sub-Registrar of Assurances /other Gazetted Officer/an officer of the Reserve Bank of India / any Nationalized Bank, that he/she accepts the nomination and is willing to stand for election, and that he / she is not disqualified either under the Act/Regulation Act/Scheme/ Regulation /RBI Directions/applicable GOI guidelines from being a Director.

e) The nomination forms and declaration form are as prescribed by the Regulation and as per the proforma annexed to this Notice (The proforma is also available on the Bank's website https://punjabandsindbank.co.in/ along with full Notice).

II. SUBMISSION OF NOMINATION FORMS:

Shareholders desirous of contesting the election of the Directors of the Bank from amongst the shareholders, other than the Central Government, should submit the following documents in the formats annexed to the Notice, in a sealed envelope super scribing thereon **"Punjab & Sind Bank – Election of Shareholder Director – 2024" in person or through Registered Post / Courier addressed to the Company Secretary, Punjab & Sind Bank, HO Accounts & Audit Department, Share Cell, NBCC Office Complex, 1st Floor, Block 3, East Kidwai Nagar, New Delhi - 110023 so as to reach on any working day not less than fourteen days before the date fixed for the EGM i.e. on or before 04:00 p.m. on Thursday, 16th May 2024**:

a. Duly filled in Declaration Form;
b. Valid Nominations from minimum of one hundred shareholders entitled to participate in the election;

c. Personal Information, Declaration and Undertaking in the formats annexed to the Notice together with the connected documents, testimonials, **viz. self-attested copies of Bio-data, Certificate of Educational Qualifications, Experience, etc.**

The said nomination forms and other documents should be complete in all respects failing which the nominations are liable to be rejected.

III. SCRUTINY OF NOMINATIONS AND ELECTION OF DIRECTORS:

a. Nominations shall be scrutinized by the bank on **Friday, the 17th May 2024**, the first working day following the last date fixed for the receipt of the nominations and in case any nomination is not found to be valid, the same shall be rejected after recording the reasons there for.

b. Valid Nominations shall then be subjected to scrutiny by the Nomination & Remuneration Committee (NRC) of the Board / Board of Directors as the case may be in terms of the RBI Directions and GOI Guidelines. As the restrictions imposed by RBI Direction/Notification and GOI Guidelines are similar in nature, the Bank may consider the stricter of the two while determining the Fit & Proper status of the Candidates. As already indicated earlier, in terms of legal advice received by the Bank and taken on record by the Board of Directors, Ex-employees of Punjab & Sind Bank will not be considered as Fit & Proper to contest the election of shareholder director of the Bank.

c. The Bank may at the time of scrutiny of Nominations or as advised by the NRC / Board of Directors seek further information, documents from the candidates in support of his / her candidature.

d. If there is only one valid nomination for the one vacancy to be filled by the election, the candidate so nominated shall be deemed to be elected forthwith and his / her name shall be informed to the Stock Exchanges and uploaded on the Bank's website followed by publication in newspapers. The newly elected director will assume office from the date following the date on which he/she is deemed to be elected.

e. If there are more than one valid nomination, the names of the candidates shall be informed to the Stock Exchanges and uploaded on the Bank's website followed by publication in newspapers and Election will be held at the EGM. The candidate in receipt of the majority of the votes in his/her favour i.e., aggregate of remote e-voting and voting at the meeting will be deemed to have been elected and his/her name will be announced. The newly elected directors will assume office on **Saturday, the 1st June 2024.**

IV. WITHDRAWAL OF CANDIDATURE:

If any candidate desires to withdraw his/her nomination, he/she would be entitled to do so at any time prior to closing hours of the Bank i.e., on or before **5.00 p.m. Friday, the 24th May, 2024** by sending a letter addressed to The Company Secretary, Punjab & Sind Bank, Shares Cell, NBCC Office Complex, 1st Floor, Block 3, East Kidwai Nagar, New Delhi - 110023 or by email to complianceofficer@psb.co.in, followed by dispatch of the same by Courier/Speed Post/ Registered Post.

V. VOTING PROCESS AT / DURING THE EGM

The voting for the election will be done through Remote e-voting and Voting at the Meeting.
Remote e-voting will be held from 10.00 am, on Monday, 27th May, 2024 and ends at **5.00 pm. on Thursday, 30th May, 2024.**
The voting at the EGM shall be done through E-Voting and will commence immediately after an announcement is made by the Chairman of the meeting.
The number of votes will be equivalent to the number of shares held by them on **Friday, the 03rd May 2024**, the Specified Date.

VI. DISPUTES:

If there is any dispute, the same will be settled as per Regulation 67 of the Punjab & Sind Bank (Shares & Meetings) Regulations, 2008.

VII. EXTRACTS:

Extracts of the relevant portions of the applicable Act / Regulation / Scheme / RBI Directions / GOI Guidelines are reproduced hereinafter for the benefit of the shareholders.

VIII. INTEREST OF DIRECTORS:

Directors of the Bank to the extent of their shareholding and such Director who file his nomination may be deemed to

be concerned or interested in the aforesaid item of business.

IX. WRIT PETITION

In respect of election of shareholder director, a Writ Petition was filed before the Hon'ble Delhi High Court, challenging the decision of the Bank to withdraw the election process of shareholder-directors conducted in 2020.The Bank has filed its affidavit in opposition in this matter. The Writ Petition is yet to be disposed of by the Hon'ble High Court. The election process as well as the results are subject to the final decision on the Writ Petition.

Item No 2: To approve appointment of Sh. Ravi Mehra as Executive Director of the Bank

Pursuant to the Regulation 17 (1C) of SEBI (LODR) Regulations, 2015, a Public Sector Company shall ensure that the approval of the shareholders for appointment or re-appointment of a person on the Board of Directors is taken at the next general meeting. Accordingly, approval of shareholders is required for appointment of Sh. Ravi Mehra as Executive Director of the Bank w.e.f 09.10.2023.

In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980, the Central Government, vide notification eF.no.4/1(v)/2023-BO.I dated 09th October 2023 has appointed Sh.Ravi Mehra as Executive Director of Punjab & Sind Bank, w.e.f. the date of assumption of office i.e. 09.10.2023 or until further orders, whichever is earlier.

Details of Director seeking appointment at the EGM in terms of Regulation 36(3) of SEBI LODR) and Secretarial Standard 2

Brief Profile of Sh. Ravi Mehra

Name of Director: Sh. Ravi Mehra

Age: 57 years

Educational Qualification: Post Graduate in Commerce and also a Certified Associate of Indian Institute of Bankers (CAIIB).

Date of Joining: 09.10.2023

Shri Ravi Mehra has assumed charge as Executive Director of the Bank on 09.10.2023. Prior to his elevation as Executive Director of Punjab & Sind Bank, Shri Ravi Mehra was General Manager of Punjab & Sind Bank. He is a Post Graduate in Commerce and also a Certified Associate of Indian Institute of Bankers (CAIIB).

He joined the services of Punjab & Sind Bank in December 1988. In a career spanning over three decades, Shri Ravi Mehra gained expertise in almost all the key areas of banking, having served in Rural, Urban and Metro Branches and also in Administrative Offices including Corporate Office of the Bank. He has rich experience in Credit, Human Resource, Risk Management and Financial Inclusion amongst others.

Sh. Ravi Mehra is entitled to Remuneration / Compensation as per Government of India guidelines.

None of the Directors or their relatives and Key Managerial Personnel of the Bank other than Sh. Ravi Mehra or his relatives to the extent of their shareholding in the Bank, if any, are concerned or interested in the Ordinary Resolution as set out in Item No 2 of the accompanying Notice of EGM.

Item No 3: Issue of Equity Shares by way of Qualified Institutional Placement

• To cater to its increasingly growing business level in the continually changing business scenario and to comply with the Basel-III norms, the Bank needs additional capital.

• In order to meet the growing capital requirement of funds in terms of Basel III Capital Regulations and consequent Capital Charge and for general lending purposes as may be decided by the Board, the Bank proposes to raise funds to improve the Capital Adequacy of the Bank and to fund general business needs of the Bank.

• The Special Resolution proposed in the Notice relates to the issue of equity shares through Qualified Institutional Placement under Chapter VI of ICDR Regulations to Qualified Institutional Buyers for an amount not exceeding Rs.2000 crore (Rupees Two Thousand Crore only) (including premium).

• As the equity shares of the Bank is listed with the Stock Exchanges pursuant to SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, it is necessary for the shareholders to approve issue of any further security if not offered to them on a proportionate basis.

• It may be noted that apart from the approval of the shareholders, the issue of equity shares by way of Qualified Institutional Placement (QIP), etc., would be subject to compliance of all statutory, regulatory or any other applicable guidelines in this regard.

• The detailed terms and conditions for the issuance of the Equity Shares as and when made will be determined by the Board in consultation with the Merchant Bankers, Lead Managers, Advisors and such other authorities as may be required to be considered by the Bank considering the prevailing market conditions and other relevant factors. The Special Resolution seeks to give the Board powers to issue Equity Shares in one or more tranches at such time or times, at such price or prices, and to such of the Investors as are mentioned therein as the Board in its absolute discretion deems fit.

• The Board of Directors recommends for your approval the Special Resolution mentioned in the Notice.

• None of the Directors of the Bank are concerned or interested in the Special Resolution.

By order of the Board of Directors
For PUNJAB & SIND BANK

Place: New Delhi
Date: 07 May, 2024

Saket Mehrotra
Company Secretary

ELECTION OF DIRECTORS - EXTRACTS OF RELEVANT ACTS, SCHEME AND REGULATIONS, ETC.

The provisions regarding Election of Shareholder Directors and number of such Directors to be elected by the shareholders other than the Central Government are contained in Section 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980.

The relevant Sections of the Banking Regulations Act, 1949, the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980, the Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980 and the relevant regulations of Punjab & Sind Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2008, RBI's Fit and Proper Criteria issued vide RBI Notification No. 46 and 47 /29.39.001/2007-08 dated 01.11.2007 read with Notification No. DBOD. BC.No.95/ 29.39.001/2010-11 dated 23.05.2011and Guidelines for selection of part-time Non-official Director (GOI Guidelines) dated 01.06.2011 revised on 25.03.2015 and 08.07.2016 and made applicable to the Shareholder Directors vide GOI Office Memorandum dated 03.09.2013 are reproduced below for the information of the shareholders.

THE BANKING REGULATION ACT, 1949

Substantial Interest - Section 5(ne):

(i) in relation to a company, means the holding of a beneficial interest by an individual or his spouse or minor child, whether singly or taken together in the shares thereof, the amount paid-up on which exceeds five lakh of rupees or ten per cent of the paid- up capital of the company, whichever is less;
(ii) in relation to a firm, means the beneficial interest held therein by an individual or his spouse or minor child, whether singly or taken together which represents more than ten per cent of the total capital subscribed by all the partners of the said firm.

Prohibition of Common Directors - Section 16(1):

No Banking Company incorporated in India shall have as a Director on its Board of Directors, any person who is a Director of any other Banking Company.

Restrictions on Loans and Advances - Section 20:

1) Notwithstanding anything to the contrary contained in Section 77 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), no Banking Company shall
a) grant any loans or advances on the security of its own shares, or
b) enter into any commitment for granting any loan or advance to or on behalf of-
(i) any of its Directors
(ii) any firm in which any of its Directors is interested as partner, manager, employee or guarantor, or
(iii) any company not being a subsidiary of the Banking Company or a Company registered under Section 25 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), or a Government Company of which or the subsidiary or the holding company of which any of the Directors of the Banking Company is a Director, Managing Agent, Manager, Employee or guarantor or in which he holds substantial interest, or
(iv) any individual in respect of whom any of its Directors is a partner or guarantor.

2) Where any loan or advance granted by a Banking Company is such that a commitment for granting it could not have been made if Clause (b) of sub-section (1) had been in force on the date on which the loan or advance was made or is granted by a Banking Company after the commencement of Section 5 of the Banking Laws (Amendment)Act, 1968 (58 of 1968), but in pursuance of a commitment entered into before such commencement, steps shall be taken to recover the amounts due to the Banking Company on account of the loan or advance together with interest, if any, due thereon within the period stipulated at the time of the grant of loan or advance or where no such period has been stipulated, before the expiry of one year from the commencement of the said Section 5;
Provided that the Reserve Bank may, in any case on application in writing made to it by the Banking Company in this behalf, extend the period for the recovery of the loan or advance until such date, not being a date beyond the period of three years from the commencement of the said Section 5 and subject to such terms and conditions, as the Reserve Bank may deem fit:
Provided further that this sub-section shall not apply if and when the Director concerned vacates the office of the Director of the Banking Company, whether by death, retirement, resignation or otherwise.
3) No loan or advance, referred to in sub-section (2), or any part thereof shall be remitted without the previous approval of the Reserve Bank, and any remission without such approval shall be void and of no effect.
4) Where any loan or advance referred to in sub-section (2), payable by any person, has not been repaid to the Banking Company within the period specified in that sub-section, then, such person shall, if he is a Director of such Banking Company on the date of the expiry of the said period, be deemed to have vacated his office as such on the said date.

Explanation in this Section:

- "Loan or advance" shall not include any transaction which the Reserve Bank of India may, having regard to the nature of the transaction, the period within which, and the manner and circumstances in which, any amount due on account of the transaction is likely to be realized, the interest of the depositors and other relevant considerations, specify by general or special order as not being a loan or advance for the purpose of this Section;
- "Directors" includes a member of any Board or Committee in India constituted by Banking Company for the purpose of managing or for the purpose of advising it in regard to the management of all or any of its affairs.

5) If any question arises whether any transaction is a loan or advance for the purpose of this Section, it shall be referred to the Reserve Bank, whose decision thereon shall be final.

Further, any reference made under aforesaid provisions pertaining to the Companies Act, 1956 shall be suitably construed as references made under relevant provisions under the Companies Act, 2013.

THE BANKING COMPANIES (ACQUISITION AND TRANSFER OF UNDERTAKINGS) ACT, 1980

Restrictions on Voting Rights:

Section 3(2E): No shareholder of the corresponding new Bank other than the Central Government shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him in excess of ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the corresponding new Bank.

Composition of the Board of Directors:

Section 9(3) (i): Where the capital issued under clause (c) of sub-section (2B) of Section 3 is:-

a) not more than sixteen per cent of the total paid up capital, one Director

b) more than sixteen per cent, but not more than thirty two per cent of the total paid up capital, two Directors.

c) more than thirty two per cent of the total paid-up capital, three Directors to be elected by the shareholders other than the Central Government from amongst themselves.

Provided that on the assumption of charge after election of any such director under this clause, equal number of directors nominated under clause (h) shall retire in such manner as may be specified in the Scheme.

Provided further that in case the number of directors elected, on or before the commencement of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) and Financial Institutions Laws (Amendment) Act, 2006, in a corresponding new Bank exceed the number of directors specified in sub-clause (I) or sub-clause (II) or sub-clause (III), as the case may be, such excess number of directors elected before such commencement shall retire in such manner as may be specified in the scheme and such directors shall not be entitled to claim any compensation for the premature retirement of their term of office.

Section 9(3A): The Directors to be elected under the said clause (i) shall-

(A) have special knowledge or practical experience in respect of the one or more of the following matters, namely

i. Agricultural and rural economy

ii. Banking

iii. Co-operation

iv. Economics

v. Finance

vi. Law

vii. Small scale industry

viii. any other matter the special knowledge of, and practical experience in which, would, in the opinion of the Reserve Bank of India be useful to the Bank.

(RBI vide its circular no.DBR.Appt.BC.No.39/29.39.001/2016-17 dated November 24, 2016 has extended the fields of specialization to include (i) Information Technology (ii) Payment & Settlement Systems (iii) Human Resources (iv) Risk Management and (v) Business Management, for persons who could be considered for appointment of director in the banks)

(B) Represent the interests of depositors; or

(C) Represent the interest of farmers, workers and artisans

Section 9(3AA): Without prejudice to the provision of sub-section 3(A) and notwithstanding anything to the contrary contained in the Act or in other law for the time being in force, no person shall be eligible to be elected as a Director under Clause (i) of Sub-Section (3) unless he is a person having 'fit and proper status' based upon the track record, integrity and such other criteria as the Reserve Bank of India may notify from time to time in this regard.

Section 9(3AB): The Reserve Bank of India may also specify in the notification issued under sub-section 3(AA), the

Authority to determine the 'Fit and Proper' status, the manner of such determination, the procedure to be followed for such determination and such other matters as may be considered necessary or incidental thereto.

Section 9(3B): Where the Reserve Bank is of the opinion that any Director of a corresponding new Bank elected under clause (i) of sub-section (3) does not fulfill the requirements of sub-section (3A) and (3AA), it may after giving to such Director and the Bank a reasonable opportunity of being heard, by order, remove such Director and on such removal, the Board of Directors shall co-opt any other person fulfilling the requirement of sub-section (3A) and (3AA) as a Director in place of the person so removed till a Director is duly elected by the shareholders of the corresponding new Bank in the next Annual General Meeting and the person so co-opted shall be deemed to have been duly elected by the shareholders of the corresponding new Bank as a Director.

Obligation as to Fidelity and Secrecy:
Section 13(2): Every Director, member of a local Board or a Committee, or Auditor, Advisor, Officer or other employee of a corresponding new Bank shall before entering upon his duties, make a declaration of fidelity and secrecy in the form set out in the Third Schedule.

THE NATIONALISED BANKS (MANAGEMENT AND MISCELLANEOUS PROVISIONS) SCHEME, 1980

Term of office of elected Director:
Clause 9(4):
An elected Director shall hold office for three years and shall be eligible for re-election.
Provided that no such Director shall hold office continuously for a period exceeding six years.

Disqualification of Directors:
Clause 10:
A person shall be disqualified for being appointed as and for being a Director:-
a) if he has at any time been adjudicated an insolvent or has suspended payment or has compounded with his creditors; or
b) if he has been found to be of unsound mind and stands so declared by a competent court; or
c) if he has been convicted by criminal court of an offence which involves moral turpitude; or
d) if he holds any office of profit under any Nationalized Bank or State Bank of India constituted under sub-section (1) of Section 3 of the State Bank of India Act, 1955 or any Subsidiary Bank as defined in Section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, except for holding the post of a whole-time Director, including the Managing Director and Directors nominated under clauses (e) and (f) of sub-section (3) of Section 9 of the Act from amongst the employees of the corresponding new Bank.

Vacation of office of Directors:
Clause 11:
1. If a Director becomes subject to any of the disqualifications specified in clause 10 or is absent without leave of the board for more than three consecutive meetings thereof, he shall be deemed to have vacated his office as such and thereupon his office shall become vacant.
2. The Chairman or a whole-time Director including the Managing Director or a Director referred to in clause (b) or clause (c) or clause (d) of sub section 3 of Section 9 of the Act may resign his office by giving notice thereof in writing to the Central Government and on such resignation being accepted by that Government shall be deemed to have vacated his office; and any other Director may resign his office by giving notice thereof in writing to the Central Government and such resignation shall take effect on the receipt of the communication of the resignation by the Central Government.
3. Without prejudice to the provision of the foregoing sub-clauses, the office of a Director referred to in clause (e) or clause (f) of sub-section 3 of Section 9 of the Act shall become vacant as soon as the Director ceases to be a workman or an employee other than workman of the Nationalized Bank of which he is a Director.
4. Where any vacancy occurs in the office of a Director other than an elected Director, it shall be filled in accordance with sub-section (3) of Section 9 of the Act.

Removal from office of an elected Director
Clause 11A:
The shareholders, other than the Central Government, may, by a resolution passed by the majority of the votes of such shareholders holding in the aggregate, not less than one half of the share capital held by all such shareholders, remove any Director elected under Clause (i) of the sub-section (3) of Section 9 and elect in his stead another person to fill the vacancy.

Filling of vacancy in the office of an elected Director
Clause 11B:
1. Where any vacancy occurs before the expiry of the term of office of an elected Director, the vacancy shall be filled in

the election.
Provided that where the duration of vacancy is likely to be less than six months, the vacancy may be filled by the remaining Directors
2. A person elected or co-opted, as the case may be, under sub clause (1) shall hold office for the unexpired portion of the term of his predecessor.

Disclosure of interest by Directors:
Clause 12(8):
A Director who is directly or indirectly concerned or interested in any contract, loan, arrangement or proposal entered into or proposed to be entered into by or on behalf of the Nationalized Bank shall, as soon as possible after the relevant circumstances have come to his knowledge disclose the nature of his interest to the Board and shall not be present at the meeting of the Board when any such contract, loan, arrangement or proposal is discussed unless his presence is required by the other Directors for the purpose of eliciting information and no Director so required to be present shall vote on any such contract, loan, arrangement or proposal:

Provided that nothing contained in this sub-clause shall apply to such Director by reason only of his being:
i. a shareholder (other than a Director) holding not more than two percent of the paid up capital in any Public Company as defined in the Companies Act, 1956 (1 of 1956), or any Corporation established by or under any law for the time being in force in India or any Co-operative society, with which or to which the Nationalized Bank has entered into or made, or proposed to enter into or make, a contract, loan, arrangement or proposal; or
ii. an officer or other employee of the Nationalized Bank, if he is a director referred to in clause (e) or clause (f) of sub-section (3) of Section 9 of the Act.

PUNJAB & SIND BANK (SHARES AND MEETINGS) REGULATIONS, 2008

Regulation 10: Exercise of rights of joint holders:
If any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall as regards voting, receipt of dividends, service of notices and all or any other matters connected with Punjab & Sind Bank except the transfer of shares be deemed to be the sole holder thereof.

Regulation 63: Directors to be elected at general meeting:
i. A Director under clause (i) of sub-section 3 of Section 9 of the Act shall be elected by the shareholders on the register, other than the Central Government, from amongst themselves in the General Meeting of the Bank.
ii. Where an election of a Director is to be held at any general meeting, the notice thereof shall be included in the notice convening the meeting. Every such notice shall specify the number of directors to be elected and the particulars of vacancies in respect of which the election is to be held.

Regulation 64: List of shareholders:
i. For the purpose of election of a Director under sub-regulation (i) of Regulation 63 of these regulations, a list shall be prepared of shareholders on the register by whom the director is to be elected.
ii. The list shall contain the names of the shareholders, their registered addresses, the number and denoting numbers of shares held by them with the dates on which the shares were registered and the number of votes to which they will be entitled on the date fixed for the meeting at which the election will take place and copies of the list shall be available for purchase at least three weeks before the date fixed for the meeting at a price to be fixed by the Board or the Management Committee, on application at the Head Office.

Regulation 65: Nomination of candidates for election:
i. No nomination of a candidate for election as a director shall be valid unless,
a) he/she is a shareholder holding not less than 100 (One hundred) shares in Punjab & Sind Bank.
b) he/she is on the last date for receipt of nomination, not disqualified to be a Director under the Act or under the Scheme.
c) he/she has paid all calls in respect of the shares of the Bank held by him, whether alone or jointly with others, on or before the last date fixed for the payment of the call;
d) the nomination is in writing signed by atleast one hundred shareholders entitled to elect Directors under the Act or by their duly constituted attorney, provided that a nomination by a shareholder who is a Company may be made by a resolution of the Directors of the said Company and where it is so made, a copy of the resolution certified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall be dispatched to the Head Office of the Bank and such copy shall be deemed to be a nomination on behalf of such Company;
e) the nomination accompanies or contains a declaration signed by the candidate before a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Gazetted Officer or an Officer of the Reserve Bank of India or any Nationalized Bank, that he accepts the nomination and is willing to stand for election, and that he is not disqualified

either under the Act or the Scheme or these regulations from being a Director.
ii. No nomination shall be valid unless it is received with all the connected documents complete in all respects and received, at the Head office of Punjab & Sind Bank on a working day not less than fourteen days before the date fixed for the meeting.

Regulation 66: Scrutiny of nominations:
i. Nominations shall be scrutinized on the first working day following the date fixed for receipt of nominations and in case any nomination is not found to be valid, the same shall be rejected after recording the reason thereof. If there is only one valid nomination for any particular vacancy to be filled by election, the candidate so nominated shall be deemed to be elected forthwith and his name and address shall be published as so elected. In such an event there shall not be any election at the meeting convened for the purpose and if the meeting had been called solely for the purpose of the aforesaid election it shall stand cancelled.
ii. In the event of an election being held, if valid nominations are more than the number of Directors to be elected, the candidate polling the majority of votes shall be deemed to have been elected.
iii. A Director elected to fill an existing vacancy shall be deemed to have assumed office from the date following that on which he is or is deemed to be elected.

Regulation 67: Election disputes:
i. if any doubt or dispute shall arise as to the qualification or disqualification of a person deemed, or declared to be elected, or as to the validity of the election of a Director, any person interested, being a candidate or shareholder entitled to vote at such election, may, within seven days of the date of the declaration of the result of such election, give intimation in writing thereof to the Chairman and Managing Director of the Bank and shall in the said intimation give full particulars of the grounds upon which he doubts or disputes the validity of the election.
ii. On receipt of an intimation under sub-regulation (i) the Chairman and Managing Director or in his absence, the Executive Director of the Bank shall forthwith refer such doubt or dispute for the decision of a committee consisting of the Chairman and Managing Director or in his absence, the Executive Director and any two of the Directors nominated under clauses (b) and (c) of sub-section (3) of Section 9 of the Act.
iii. The committee referred to in sub-regulation (ii) shall make such enquiry as it deems necessary and if it finds that the election was a valid election, it shall confirm the declared results of the election, or if it finds that the election was not a valid election, it shall, within thirty days of the commencement of the enquiry, make such order and give such directions including the holding of fresh election as shall in the circumstances appear just to the committee.
iv. An order and direction of such committee in pursuance of this regulation shall be conclusive.

Regulation 68: Determination of voting rights:
i. Subject to the provisions contained in Section 3 (2E) of the Act, each shareholder who has been registered as a shareholder on the date of the closure of the register prior to the date of a general meeting shall, at such meeting, have one vote on show of hands and in case of a poll shall have one vote for each share held by him.
ii. Subject to the provisions contained in Section 3 (2E) of the Act, every shareholder entitled to vote as aforesaid who, not being a Company, is present in person or by proxy or who being a Company is present by a duly authorized representative, or by proxy shall have one vote on a show of hands and in case of a poll shall have one vote for each share held by him as stated herein above in sub-regulation (i).
Explanation- for this chapter, "Company" means any Body Corporate.
iii. Shareholders of the Bank entitled to attend and vote at a general meeting shall be entitled to appoint another person (whether a shareholder or not) as his proxy to attend and vote instead of himself; but a proxy so appointed shall not have any right to speak at the meeting.

Regulation 69: Voting by duly Authorized Representative:
i. A shareholder, being the Central Government or a Company, may by a resolution, as the case may be, authorize any of its officers or any other person to act as its representative at any general meeting of the shareholders and the person so authorized (referred to as a "duly authorized representatives" in these regulations) shall be entitled to exercise the same powers on behalf of the Central Government or the Company which he represents, as if he were an individual shareholder of the Bank. The authorization so given may be in favour of two persons in the alternative and in such a case any one of such persons may act as a duly authorized representative of the Central Government/ Company.
ii. No person shall attend or vote at any meeting of the shareholders of the Bank as the duly authorized representative of the Company unless a copy of the resolution appointing him as a duly authorized representative certified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall have been deposited at the Head Office of the Bank not less than four days before the date fixed for the meeting.

RESERVE BANK OF INDIA ('FIT AND PROPER' CRITERIA FOR ELECTED DIRECTORS ON THE BOARDS OF PSBS) DIRECTIONS, 2019:

Reserve Bank of India (RBI), in exercise of powers conferred on it under sub-sections (3AA) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act 1970/1980 has notified Reserve Bank of India ('Fit and Proper' Criteria for Elected Directors on the Boards of PSBs) Directions, 2019 vide their Notification No. RBI/DBR/2019-20/71 Master Direction DBR. Appt. No: 9/29.67.001/2019-20 dated August 02, 2019 laying down specific "Fit and Proper" Criteria to be fulfilled by the persons being elected as Directors on the Board of the Banks under the provisions of Section 9(3) (i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980

SALIENT FEATURES OF THE RBI DIRECTIONS:

The Authority, Manner / Procedure and Criteria for deciding the "Fit and Proper" status etc., are as under:

(a) Authority:

All the nationalized banks are required to constitute a "Nomination and Remuneration Committee" (Committee) consisting of a minimum of three non-executive directors from amongst the Board of Directors out of which not less than one-half shall be independent directors and should include at least one member from Risk Management Committee of the Board, for undertaking a process of due diligence to determine the 'fit and proper' status of the persons to be elected as directors under clause (i) of sub-section (3) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings)Act, 1970/1980. The Government of India nominee director and the director nominated under section 9(3)(c) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 shall not be part of the Committee.

The non-executive Chairperson of the bank may be appointed as a member of the Committee but shall not chair such Committee. The Board should also nominate one among them as Chairman of the Committee. The quorum required is three, including the Chairman. In case the absence of any nominated member results in want of quorum, the Board may nominate any other non-executive director in his place for the meeting. At the time of constituting the Committee, the Board can decide on its tenure.

(b) Manner and procedure:

The banks shall obtain necessary information, and a declaration & undertaking, in the prescribed format, from the persons who file their nominations for election. The Committee shall meet after the last date prescribed for acceptance of nominations and determine whether or not the person's candidature should be accepted, based on the criteria mentioned below. The Committee's discussions shall be properly recorded as formal minutes of the meeting and the voting, if done, shall also be noted. Based on the information provided in the signed declaration, the Committee shall decide on the acceptance or otherwise of the candidature and shall make references, where considered necessary, to the appropriate authority / persons, to ensure that the candidate conforms to the requirements indicated.

(c) Criteria:

The Committee shall determine the 'fit and proper' status of the proposed candidates based on the broad criteria mentioned hereunder:

i. **Age**-The candidate's age should be between 35 to 67 years as on the cut-off date fixed for submission of nominations for election.
ii. **Educational qualification**-The candidate should at least be a graduate.
iii. **Experience and field of expertise**-The candidate shall have special knowledge or practical experience in respect of one or more of the matters enumerated in section 9(3A)(A) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, as the case may be, read with RBI Circular DBR.Appt.BC No 39/29.39.001/2016-17 dated November 24, 2016.
iv. **Disqualifications**: In addition to 'Disqualifications of Directors' as prescribed in Clause 10 of Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970/80:
    a. The candidate should not be a member of the Board of any Bank or the Reserve Bank or a Financial Institution (FI) or Insurance Company or a Non-Operative Financial Holding Company (NOFHC) holding any other bank.

Explanation: For the purpose of this sub-para and sub-para (c), the expression "bank" shall include a banking company, a corresponding new bank, State Bank of India, a co-operative bank and a regional rural bank.

    b. A person connected with hire purchase, financing, money lending, investment, leasing and other para banking activities shall not be considered for appointment as elected director on the board of a PSB. However, investors of such entities would not be disqualified for appointment as directors if they do not enjoy any managerial control in them.
    c. No person may be elected/ re-elected on the Board of a bank if he/she has served as director in the past on the board of any bank (It includes the bank in which he/she has served as director in the past)/FI/RBI/Insurance Company under any category for six years, whether continuously or intermittently.
    d. The candidate should not be engaging in the business of stock broking.
    e. The candidate should not be holding the position of a Member of Parliament or State Legislature or Municipal Corporation or Municipality or other local bodies (other local bodies means bodies such as Notified Area Council,

City Council, Panchayat, Gram Sabha, Zila Parishad, etc.

f. The candidate should not be acting as a partner of a Chartered Accountant firm which is currently engaged as a Statutory Central Auditor of any Nationalised Bank or State Bank of India.

g. The candidate should not be acting as a partner of a Chartered Accountant firm which is currently engaged as Statutory Branch Auditor or Concurrent Auditor of the bank in which nomination for election is filed.

v. **Tenure** - An elected director shall hold office for three years and shall be eligible for re-election:

Provided that no such director shall hold office for a period exceeding six years, whether served continuously or intermittently.

vi. **Professional Restrictions**-

a. The candidate should neither have any business connection (including legal services, advisory services etc.) with the concerned bank nor should be engaged in activities which might result in a conflict of business interests with that bank.

b. The candidate should not be having any professional relationship with a bank or any NOFHC holding any other bank.

c. Provided that a candidate having any such relationship with a bank at the time of filing nomination for election shall be deemed to be meeting the requirement under item (b), the candidate shall submit a declaration to the Committee that such relationship with the bank shall be severed if he is elected as a director, and upon being elected, severs such relationship before appointment as a director of the bank.

vii. Track record and integrity-The candidate should not be under adverse notice of any regulatory or supervisory authority/agency, or law enforcement agency and should not be a defaulter of any lending institution.

The banks shall obtain from the elected director:

(a) a Deed of Covenant executed in the format annexed, before such person assumes office of director;

(b) a simple declaration every year as on 31 March to the effect that the information already provided by such person has not undergone any change.

(c) Where the elected director informs that there is change in the information provided earlier, the bank shall obtain from such director a fresh declaration and undertaking incorporating the changes.

The banks shall also ensure compliance to Section 20 of the Banking Regulation Act, 1949. In addition,

(a) Put in place a system of safeguards, including proper disclosure of the elected CA director's/his firm's clients, and not participating in bank's credit/investment decisions involving his/firm's clients. The elected CA director should be required to compulsorily disassociate himself from the entire process and sign a covenant to this effect.

(b) Require the elected director to make a full and proper disclosure of his interests and directorships in business entities, with the director personally distancing himself from and not participating in the bank's credit/investment decisions involving entities in which he is interested.

(c) Not allot any professional work to a person who was an elected director of that bank, for a period of two years after demitting office as such director.

Where the elected director:

(a) fails to:

(i) submit the Deed of Covenant or declaration; or

(ii) make proper disclosures; or

(iii) refrain from participating in credit/investment decisions, where he is interested; or

(b) makes incomplete or incorrect disclosures, or

(c) involves in such activities that render him/her 'not fit and proper' as per the criteria mentioned above, such director shall be deemed to be not fulfilling the requirements of sub-section (3AA) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 and shall be liable for the consequences thereof.

GOVERNMENT OF INDIA NOTIFICATION DATED 25TH JANUARY, 2021

Government of India vide Notification dated 25th January, 2021 amended the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 /1980 by inserting a Special Provision (Clause 14A) which states:

"Where a Nationalized Bank is required by law to do any act or thing and in order to do so the recommendations or determination of, or resolution of grievance of security holders by, or in respect of any appointment, approval or review by any committee of the Board of the Bank is required, and if the Board is satisfied that quorum for meeting of such committee cannot be met on account of either existence of any vacancy in such committee or recusal of a member thereof, the Board may do that act or thing."

GUIDELINES FOR SELECTION OF PART-TIME NON-OFFICIAL DIRECTOR:

GOI, vide its letter dated 3 September 2013 advised that the Nomination Committee of the Board may keep in mind guidelines issued by GOI for Non-Official Directors (NOD), while determining "Fit and Proper Status" of the Shareholder Directors also. The GOI has forwarded revised guidelines dated 25 March 2015 to Public Sector Banks vide its letter dated 28 April 2015 and amendments dated 8 July 2016 vide its letter dated 20 July 2016, the gist of which are as under:

A) GENERAL:

1. Nominations will be made keeping in view the provisions of the relevant Acts/Rules.
2. The suitability of nominees may be assessed in terms of formal qualification and expertise, track record, integrity etc. For assessing integrity and suitability, information on criminal records, financial position, civil actions undertaken to pursue personal debts, refusal of admission to or expulsion from professional bodies, sanctions applied by regulators and similar bodies and previous questionable business practices etc. will be relied upon.

B) EXPERIENCE:

1. Persons with special academic training or practical experience in the fields of agriculture, rural economy, banking, cooperation, economics, business management, human resources, finance, corporate law, risk management, industry and IT will ordinarily be considered. 20 years of industry experience at a senior position, established expertise in respective areas (successfully led a reputed organization, brought turnaround in a failing organization) would be preferred.
2. Retired senior Government officials with total experience of 20 years and minimum 10 years of experience at Joint Secretary and above level. Retired CMDs/EDs of Public Sector Banks after one year of retirement. The ex-CMDs/ EDs will not be considered for appointment as NOD on the Board of the PSB from which they have retired. Serving CMDs/EDs of PSB will not be considered as NOD on the Board of any other PSB.
3. Academicians Directors of premier Management Banking Institutes and Professors having more than 20 years of experience.
4. Chartered Accountants with 20 years' experience (excluding audit experience) would also be preferred.
5. However, the experience criteria may be relaxed with the approval of the Finance Minister in exceptional cases based on merits of the case.
6. As far as possible representation may also be given to women and the persons belonging to SC/ST community.

C) EDUCATION:

An NOD should at least be a graduate in any stream preferably with specialization in Business Management, Risk Management, Finance, Human Resources and IT.

D) AGE:

The age of the Director, on the date of recommendation by Search Committee should not be more than 67 years.

E) WORK EXPERIENCE:

Professionals/academicians should ordinarily have 20 years of work experience in their particular field.

F) DISQUALIFICATIONS:

1. A director already on a Bank/Financial Institution (FIs)/RBI/Insurance Company, under any category, may not be considered for nomination as NOD in any other Bank/FI/RBI/Insurance Company.
2. Persons connected with hire purchase, financing investment, leasing and other para-banking activities, MPs, MLAs, MLCs and Stock Brokers will not be appointed as non-official directors on the boards of Banks/Fls/RBI/Insurance Companies. Investors in a hire purchase, financing investment, leasing and other para banking activities would not be disqualified for appointment as NOD, if they are not having any managerial control in such companies.
3. No person may be re- nominated as an NOD on the Board of a Bank/Fl/RBI/Insurance Company on which he/she has served as Director in the past under any category for two terms or six years whichever is longer.
4. A Chartered Accountant if his/her firm is currently engaged in any Public Sector Bank as a Statutory Central Auditor.
5. A Chartered Accountant if his/her firm is currently engaged in the Bank as a Statutory Branch Auditor or Concurrent Auditor.

G) TENURE:

An NOD would not be considered for nomination as a Director on the Board of a Bank/Fl/RBI/Insurance Company if such Director has already been a NOD/ Shareholder-Director on the board of any other Bank/Fl/RBI/Insurance Company for six years, whether continuously or intermittently.

H) PROFESSIONAL RESTRICTION:

The issue of professional restriction vis-à-vis office of profit in any Public Sector Bank under clause 10(d) of the Nationalized

Banks Scheme (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 may be separately examined.

I) REGIONAL REPRESENTATION:
Efforts should be made to ensure representation of all the six zones of the country-North, South, East, West, Central and North-East on the boards of Public Sector Banks taken together.

As restriction imposed by RBI Direction and GOI Guidelines are similar in nature, the Bank may consider the stricter of the two while determining the Fit & Proper status of the Candidates

Punjab & Sind Bank
(A Government of India Undertaking)
Head Office: 21, Rajendra Place, New Delhi – 110008
Corporate Office: NBCC Office Complex, Block 3, East Kidwai Nagar, New Delhi – 110023

Name of the Bank: Punjab & Sind Bank

'Declaration and Undertaking' by a proposed Director (Candidate)

(with appropriate enclosures)

Affix passport size photo here

<table>
<tr><th>Sl No</th><th>Particulars</th><th colspan="3">Information Disclosed</th></tr>
<tr><td colspan="5">I. Personal Details</td></tr>
<tr><td rowspan="2">a</td><td rowspan="2">Name</td><td>First Name</td><td>Middle Name</td><td>Last Name</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>b</td><td>Present Address</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>c</td><td>Nationality</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>d</td><td>Date of Birth & Age</td><td colspan="3">__/__/____, Age: __Years __ Months ____ Days</td></tr>
<tr><td>e</td><td>Educational Qualifications</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>f</td><td>Director Identification Number</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>g</td><td>Aadhar Number</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>h</td><td>a. Permanent Account Number (PAN)
b. Charge where the proposed director is assessed to tax (Income Tax Jurisdiction) / Name and address of Income Tax Circle / Ward
c. Details of filing of return(s) and payment of taxes for past 3 years</td><td colspan="3"><table><tr><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Date of filing</td><td>Amount of Tax Paid (INR)</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2"></td></tr></table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>i</td><td>Permanent Address</td><td></td></tr>
<tr><td>j</td><td>E-mail Address / Alternate e-mail address:

Telephone Number with STD Code:

Mobile Number:</td><td></td></tr>
<tr><td>k</td><td>Relevant Knowledge and Experience [Refer

• Section 10A(2) of the Banking Regulation Act, 1949

• Section 9(3A) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970 / 1980

• Section 19A(a) of the SBI Act, 1955

as the case may be, read with RBI Circular DBR. Appt. BC No 39/29.39.001/2016-17 dated November 24, 2016 on Special knowledge or practical experience useful to banking companies]</td><td></td></tr>
<tr><td>l</td><td>Present occupation (designation, name of the organization and brief write-up on experience)</td><td></td></tr>
<tr><td>m</td><td>Previous occupation covering minimum of past ten years, with complete address of the organization(s) worked in, date of joining, date of relieving (including reasons), designation, etc.</td><td></td></tr>
<tr><td>n</td><td>In case of a Chartered Accountant, indicate the following:
(a) Membership Number of Institute of Chartered Accountants of India (ICAI):
(b) Date of registration with the ICAI:
(c) Name and Address of the registered firm/s:
(d) Details of the Audit(s) presently undertaken by the firm(s)</td><td></td></tr>
<tr><td>o</td><td>Name of the banker(s) with Branch and Account Numbers (savings / current / loan accounts) where you are a primary account holder.
Details of Demat account(s) held if any (attach copy)</td><td><table><tr><td>Bank Name</td><td>Branch</td><td>Type of A/c</td><td>A/c Number</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table></td></tr>
</table>

p	Comprehensive Credit Information Reports (including all modules) from all the Credit Information Companies (CICs)	
q	Any other information relevant to Directorship of the Bank	

II. Relevant Relationship of Proposed Director

a	List of relatives, if any, who are connected with any Bank [Refer Sub-Section 77 of Section 2 of the Companies Act, 2013 and Rule 4 of the Companies (Specification of Definition details) Rules, 2014]		
b	i. List of entities, if any, in which he / she is considered as being interested [Refer Section 184 of the Companies Act, 2013]. Names of the Banks / NBFCs / Companies / Bodies Corporate / Firms / Association of Individuals etc. should be mentioned separately. ii. Entities in which he /she holds beneficial ownership [Refer Sections 89 & 90 of Companies Act, 2013 and also refer to applicable Significant Beneficial Ownership Rules of MCA]: iii. List of Trusts in which the position as Trustee is held		
c	List of entities, existing and proposed, in which he / she is considered as holding substantial interest within the meaning of Section 5(ne)* of the Banking Regulation Act, 1949 *"substantial interest" (i) in relation to a company, means the holding of a beneficial interest by an individual or his spouse or minor child, whether singly or taken together, in the shares thereof, the amount paid up on which exceeds five lakhs of rupees or ten percent of the paid-up capital of the company, whichever is less; (ii) in relation to a firm, means the beneficial interest held therein by an individual or his spouse or minor child, whether singly or taken together, which represents more than ten per cent of the total capital subscribed by all the partners of the said firm;*	Name of the company / firm	
		Country of Incorporation	
		Number of shares	
		Face value of each share	
		Total Face Value of Shareholding	
		Shareholding as % of total Paid-up Capital	
		Beneficial Interest (in value as well as in % terms)	
		Whether the entity is a Section 8 Company under the Companies Act, 2013	
d	Holdings in entities incorporated abroad and having a place of business in India.		
e	Name of Bank/NBFC/any other company in which he / she is or has been a member of the Board/ Advisor (giving details of period during which such office is / was held).		
f	Fund and non-fund facilities, if any, presently availed of by him / her and / or by entities listed in II (b) to (d) above from the Bank		
g	Cases, if any, where he / she or entities listed in II (b) to (d) above are in default or have been I default in the past 10 years in respect of credit facilities obtained from the Bank / any other Bank / NBFC / any other lending institution		

h	Cases, if any, where he / she is a defaulter or has been declared as a wilful defaulter by any Bank / NBFC / any other lending institution.	

III.	**Records of Professional Achievements**	
a	Professional achievements relevant for the directorship.	
IV.	**Proceedings, if any, against the candidate**	
a	If the he/she is a member of a professional association / body, details of disciplinary action, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past against him / her or whether he / she has been banned from entry of at any profession / occupation at any time.	
b	Details of prosecution, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past against him/her and / or against any of the entities listed in II (b) to (e) above for violation of economic laws and regulations	
c	Details of criminal prosecution, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past against him/her	
d	Whether the director attracts any of the disqualifications envisaged under Section 164 of the Company's Act, 2013?	
e	Whether he/she or any of the entities at II (b) and (e) above been subject to any investigation at the instance of Government department or agency?	
f	Whether he/she at any time been found guilty of violation of rules / regulations / legislative requirements by customs / excise / income tax / foreign exchange / other revenue authorities, if so give particulars	
g	Whether he/she at any time has come to the adverse notice of any regulator such as SEBI, IRDAI, PFRDA, etc. (Though it shall not be necessary for a candidate to mention in the column about orders and findings made by regulators which have been later on reversed / set aside in toto, it would be necessary to make a mention of the same, in case the reversal / setting aside is on technical reasons like limitation or lack of jurisdiction, and not on merit. If the order of the regulator is temporarily stayed and the appellate / court proceedings are pending, the same also should be mentioned).	
V.	**Any other explanation / information in regard to items I to IV and other information relevant for judging 'fit and proper'**	

Undertaking I confirm that the above information is to the best of my knowledge and belief true and complete. I undertake to keep the bank fully informed, as soon as possible, of all events which take place subsequent to my appointment which are relevant to the information provided above. I undertake to distance myself from the bank audit work and not participate in the bank's credit/investment decisions involving entities in which I am interested. I also undertake to execute the Deed of Covenant as required to be executed by all the directors of the bank.	
Place:	Signature of the Candidate
Date:	
Remarks of NRC / Board of Directors of having satisfied itself that the above information is true and complete.	
Place: Date:	Signature of the Chair

Punjab & Sind Bank
(A Government of India Undertaking)
Head Office: 21, Rajendra Place, New Delhi – 110008
Corporate Office: NBCC Office Complex, Block 3, East Kidwai Nagar, New Delhi – 110023

Declaration by the Candidate

(Refer Regulation 65 of the PSB Regulations)

I,……………………………..son / daughter / wife of Shri/Smt ……..…………………….................……………………a resident of ……………………………………………….… …………………………….……………….....hereby confirm that:

a. I am a Shareholder holding………………equity shares of face value of Rs.10/- each of the Bank under Folio No. ..../ DPID No........................./Client ID No....................... as on **Friday, 03rd May 2024**, i.e., the Specified Date / Cut-off date for participating in the election, and undertake to hold the shares till the end of the tenure, if elected as a Director of the Bank;
b. I have special knowledge or practical experience* in (i) agriculture and rural economy, (ii) banking, (iii) co-operation, (iv) economics, (v) finance (vi) law, (vii) small scale industry, (viii) the special knowledge of IT/Payment & Settlement Systems/Human Resources/Risk Management/Business Management etc. or any other matter and practical experience of which in the opinion of Reserve Bank of India would be useful to the Bank) and I represent the interest of the depositors or farmers, workers and artisans, in terms of sub-section 3A of Section 9 of the Act and as an evidence thereof, I submit herewith the relevant testimonials, and
(*Delete whichever is not applicable.)
c. I accept the nominations numbering…………………….; and
d. I am willing to contest for the election of Director of Punjab & Sind Bank; and
e. I am not disqualified from being a director of the Bank under the provisions of the Banking Regulations Act, 1949, the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980, the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980, Punjab & Sind Bank (Shares & Meetings) Regulations, 2008, Master Directions issued by RBI and Guidelines issued by GOI with regard to Non Official Directors of Public Sector Banks,
f. I am not disqualified under Section 164 of the Companies Act, 2013; and
g. I neither hold any office of profit nor I am an employee of any Nationalized Bank or State Bank of India constituted under sub-section (1) of Section 3 of the State Bank of India Act, 1955 or any Subsidiary Bank as defined in Section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959.

I further declare that:

a. I have not been at any time adjudicated as an insolvent or have suspended payment or have compounded with my creditors; and
b. I have not been found of unsound mind and have not been so declared by a competent court and have not been convicted by competent court and have not been convicted by a criminal court for an offence which involves moral turpitude or otherwise; and
c. I have not been in the employment of Punjab & Sind Bank at any time; and
d. I have not been declared as proclaimed offender by any Economic Officer or Judicial Magistrate or High Court or any other court; and
e. I will sever professional relationship, if any, with the Bank forthwith on getting elected and will not undertake any professional relationship with the Bank during my tenure as Director and for a period of two years thereafter; and
f. I am not a member of the Board of any bank or the Reserve Bank or a Financial Institution (FI) or an Insurance Company or a NOFHC holding any other bank.
g. I am not connected with hire purchase, financing, money lending, investment, leasing and other para banking activities;
h. I have not served as director in the past on the board of any bank/FI/RBI/Insurance Company under any category for six years, whether continuously or intermittently.
i. I am not engaging in the business of stock broking.
j. I am not holding the position of a Member of Parliament or State Legislature or Municipal Corporation or Municipality or other local bodies (other local bodies means bodies such as Notified Area Council, City Council, Panchayat, Gram Sabha, Zila Parishad, etc.)
k. I am not acting as a partner of a Chartered Accountant firm which is currently engaged as a Statutory Central Auditor of any Nationalised Bank or State Bank of India.
l. I am not acting as a partner of a Chartered Accountant firm which is currently engaged as Statutory Branch Auditor or Concurrent Auditor of the Punjab & Sind Bank in which nomination for election is filed.

m. I neither have any business connection (including legal services, advisory services etc.) with the Punjab & Sind Bank nor am I engaged in activities which might result in a conflict of business interests with Punjab & Sind Bank.
n. I am not having any professional relationship with a bank or any NOFHC holding any other bank and undertake to sever the relationship, if any, with the Bank if elected before assuming charge as a director.
o. I am not under adverse notice of any regulatory or supervisory authority/agency, or law enforcement agency and I am not defaulter of any lending institution.
p. I undertake to execute Deed of Covenant (in the prescribed format of RBI circular dated 02.08.2019) before assuming office as a director;
q. I undertake to keep the Bank fully informed, as soon as possible, of events, if any, which take place subsequent to this declaration which are relevant to the information provided hereto and to execute the Deed of Covenants upon my election as a Director of the Bank; and
r. I undertake to comply with the relevant provisions of the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015, as amended, till I hold the position as a Director of the Bank; and
s. I give below the details of my present as well as past directorship in other Companies / Banks / other entities:

Name of the Company / Bank / other entities	Directorship details viz. tenure, period, nature of directorship, etc

(add additional rows/ sheets if necessary) (Delete whichever is not applicable.)

t. I enclose my personal details which are to the best of my knowledge and belief true and complete in all respects

Name	
Signature	
Mobile Number	
Number of shares held	
Registered Folio No. (if not dematerialized)	
DP ID & Client ID (if dematerialised)	
Place	
Date	

The above declaration signed before me.

Signature with Seal of Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurance, or other Gazetted Officer or an officer of the Reserve Bank of India or Punjab & Sind Bank or any Nationalized Bank.
(Delete whichever is not applicable.)

_____
Signature & Seal with date

Punjab & Sind Bank
(A Government of India Undertaking)
Head Office: 21, Rajendra Place, New Delhi – 110008
Corporate Office: NBCC Office Complex, Block 3, East Kidwai Nagar, New Delhi – 110023

NOMINATION FORM

(BY THE SHAREHOLDER)
(Refer Regulation 65 of PSB Regulations)

Serial No…………......................

To,
Punjab & Sind Bank,
NBCC Office Complex,
Block 3, East Kidwai Nagar,
New Delhi – 110023

Dear Sir/Madam,

ELECTION OF DIRECTOR

With reference to EGM Notice dated **07th May 2024** I,……………………………......................……… a shareholder of Punjab & Sind Bank holding……………………equity shares of face value of Rs.10/- each as on **Friday, 03rd May 2024** being the Specified Date / Cut-off Date for participating in the election, do hereby nominate Shri/Smt…………………......................………… son / daughter / wife of ………... Residing at……...........………………….……………………….…………………………………….., for contesting election of a director of Punjab & Sind Bank representing the shareholders of the Bank as provided in Section 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 at the Extraordinary General Meeting of the Shareholders of the Bank to be held on **Friday, 31st May 2024**.

Signature	
Name	
Number of shares	
Regd. Folio No. (if not dematerialized) DP ID & Client ID (if dematerialized)	
Place	
Date	

Notes:
1) In case nomination is made a Body Corporate, the Nomination Form should be accompanied by a certified true copy of the resolution passed at the meeting of the Board of Directors under the signature of the Chairman of the meeting at which it was passed.
2) Signature of the shareholders nominating the candidature should match with the specimen signature available with the Registrar and Share Transfer Agent of the Bank. (As recorded in the Register of Shareholders / Depository Records).
3) If any of the columns above is left blank or the particulars are found to be incorrect, the nomination is liable to be rejected.